रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 4, 2016/चैत्र 15, 1938
No. 244] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 4, 2016/ CHAITRA 15 , 1938

indiacode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2016

सा. का.नि. 395(अ).—भारत सरकार द्वारा प्रारूप नियम अर्थात्, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम 2015 का और संशोधन करने के लिए भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.582 (अ) तारीख 24 जुलाई, 2015 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी ;

और जनता को उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां 24 जुलाई, 2015 को उपलब्ध करा दी गईं थी;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक्त: विचार कर लिया गया है;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, प्रहस्तन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008 को सिवाय उन बातों के अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

अध्याय I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 है |

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे |

2. **लागू होना-** ये नियम अनुसूचियों में यथा विनिर्दिष्ट परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के प्रबंधन को लागू होंगे किन्तु निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे –

(क) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1985 (1985 का 14) और इसके अधीन बनाए गए और समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के उपबंधों के अधीन आने वाले अपशिष्ट जल या निशेषित गैस;

(ख) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनयम, 1958 (1958 का 44) और इसके अधीन बनाए गए और समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के उपबधों के अधीन आने वाले सुसंगत बेस रेखा के पांच किलोमीटर से परे पोतों के प्रचालन से निकलने वाला अपशिष्ट;

(ग) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) और इसके अधीन बनाए गए और समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के उपबंधों के अधीन आने वाले रेडियोंधर्मी अपशिष्ट;

(घ) अधिनियम के अधीन बनाए गए और समय-समय पर यथासंशोधित जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और प्रहस्तन), नियम, 1998 के अधीन आने वाले जैव चिकित्सीय अपशिष्ट; और

(ञ) अधिनियम के अधीन बनाए गए और समय-समय पर यथासंशोधित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2000 के अधीन आने वाले अपशिष्ट |

3. **परिभाषाएं** – (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

1. "अधिनियम'' से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है ;

2. "वास्तविक प्रयोक्ता" से ऐसा अधिभोगी अभिप्रेत है जो पुन: उपयोग, पुन:चक्रण, पुन:प्राप्ति, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण सहित उपयोग हेतु परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट को अधिप्राप्ति और प्रसंस्कृत करता है;

3. "प्राधिकार'' से नियम 6 के उपनियम (2) के अधीन मंजूर परिसंकटमय अपशिष्टों के सृजन, प्रहस्तन, संग्रहण, ग्रहण, शोधन, परिवहन, भंडारण, पुन:उपयोग पुनर्चक्रीकरण, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण सहित उपयोग और निपटान के लिए अनुज्ञा अभिप्रेत है |

4. "बेसिल अभिसमय'' से परिसंकटमय अपशिष्टों के सीमापार संचलन और उनके निपटान के नियंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अभिसमय अभिप्रेत है ;

5. "अबाध शोधन, भंडारण ओर निपटान सुविधा" से ऐसी सुविधा अभिप्रेत है जिसका विकास परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के शोधन, भंडारण और विनिर्माण प्रसंस्करण, शोधन, पैकेज, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रहण, नष्ट करने, परिवर्तन, बिक्री हेतु देने, हस्तांतरण के दौरान उत्पन्न अपशिष्टों के निपटान के लिए किसी अधिभोगी के परिसर के अंदर किया गया हो;

6. "केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' से जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है;

7. "साझा शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा" से ऐसी साझा सुविधा अभिप्रेत है जिसे व्यक्तिगत रूप से या राज्य सरकार या किसी सुविधा के अधिभोगी प्रचालक द्वारा संयुक्त रूप से या अधिभोगियों के सहयोग से अभिनिर्धारण किया गया हो जिसका उपयोग परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के शोधन, भंडारण और निपटान के लिए अनेक अधिभोगियों या वास्तविक उपयोकर्ताओं द्वारा साझा सुविधा के रूप में उपयोग किया जाएगा;

8. "पुन: प्रसंस्करण" से अभिप्रेत ऊर्जा या संसाधन या दोनों की पुन: प्राप्ति और प्रतिस्थान के माध्यक से पारंपरिक इंधनों या कच्ची सामग्रियों या दोनों के प्रयोग में परिणामी कमी के उद्देश्य से विनिर्माण प्रक्रियाओं में अपशिष्ट सामग्रियों का प्रयोग है;

9. "गहन देखभाल उपकरण" से जीवन रक्षक उपकरण अभिप्रेत है और इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट उपकरण शामिल है;

10. "निपटान'' से ऐसा कोई प्रचालन अभिप्रेत है जो पुन:प्रयोग, पुनर्चक्रीकरण, पुन: प्राप्ति या पुन:उपयोग सह-प्रसंस्करण सहित उपयोग की ओर नहीं ले जाता है और इसके अन्तर्गत अर्जित कचरे में भौतिक रसायन, जैविक उपचार, भस्मीकरण सुरक्षित खत्ता-स्थल में और निपटान सम्मिलित हैं;

IndiaCode

11. "निर्यात" से इसके व्याकरणिक रूप भेदों और सहजातीय पदों में भारत से भारत के बाहर किसी स्थान को ले जाना अभिप्रेत है ;

12. "निर्यातक' से परिसंकटमय या अन्य अपशिष्ट का निर्यात करने वाले देश सहित ऐसे निर्यातक देश की अधिकारिता के अधीन कोई व्यक्ति या अधिभोगी अभिप्रेत है जो परिसंकटमय या अन्य अपशिष्टों का निर्यात करता है;

13. "परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल प्रबंध" से यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित सभी उपाय करना अभिप्रेत है कि परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का प्रबंध ऐसी रीति से हो जो ऐसे अपशिष्ट के परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध स्वास्थ्य और पर्यावरण को संरक्षित करेगा;

14. "पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल प्रौद्योगिकियां" से केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर अनुमोदित कोई प्रौद्योगिकी अभिप्रेत है;

15. "सुविधा" से ऐसा कोई स्थापन अभिप्रेत है जिसमें परिसंकटमय और/या अन्य अपशिष्टों के उत्पादन, प्रहस्तन, संग्रहण, प्रवेश, शोधन, भंडारण, पुन:प्रयोग, पुनर्चक्रीकरण, पुन: प्राप्ति , पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण, उपयोग और निपटान के आनुषंगिक प्रक्रियाएं चलाई जाती हैं;

16. "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;

17. "परिसंकटमय अपशिष्ट" से कोई ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जो अपने भौतिक, रासायनिक, जैविक, प्रतिक्रियात्मक, विषाक्त, ज्वलनशील, विस्फोटक या क्षयकारी जैसे लक्षणों के कारण स्वास्थ्य या पर्यावरण को चाहे अकेले या अन्य अपशिष्टों या पदार्थों के सम्पर्क से खतरा कारित करता है या खतरा कारित करने की संभावना है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(i) अनुसूची 1 के स्तंभ 3 के अधीन विनिर्दिष्ट अपशिष्ट;

(ii) अनुसूची 2 के वर्ग क और वर्ग ख में या अनुसूची-।। के वर्ग ग में यथाविनिर्दिष्ट किन्हीं लक्षणों के अपशिष्ट संघटकों के लिए विनिर्दिष्ट संकेन्द्रण सीमाओं के समान या उससे अधिक रखने वाले अपशिष्ट; और

(iii) ऐसे अपशिष्टों के आयात या निर्यात की बाबत अनुसूची-।।। के भाग क में विनिर्दिष्ट अपशिष्ट या भाग क में विनिर्दिष्ट के सिवाए अपशिष्ट यदि उसमें अनुसूची-।।। के भाग ग में विनिर्दिष्ट कोई परिसंकटमय लक्षण है;

18. "आयात" से इसके व्याकरणीय रूपभेदों और सहजातीय पदों के अनुसार भारत में भारत के बाहर के स्थान से लाया जाना अभिप्रेत है;

19. "आयातक" से कोई व्यक्ति या अधिभोगी अभिप्रेत है जो परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट का आयात करता है;

20. "माल सूची" से इन नियमों के उपबंधों के अनुसार भेजने वाले द्वारा तैयार किया गया और हस्ताक्षरित परिवहन दस्तावेज अभिप्रेत है;

21. किसी कारखाना या परिसर के संबंध में "अधिभोगी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका कारखाना या परिसर के क्रियाकलाप पर नियंत्रण है और इसके अन्तर्गत परिसंकटमय या अन्य अपशिष्ट के कब्जे में कोई परिसंकटमय या अन्य अपशिष्ट है;

22. "व्ययन सुविधा का प्रचालक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के संग्रहण, ग्रहण, शोधन, भंडारण और व्ययन की सुविधा पर स्वामित्व रखता है या प्रचालित करता है ;

23. "अन्य अपशिष्ट" से आयात या निर्यात के लिए अनुसूची 3 के भाग ख और भाग ग में विनिर्दिष्ट अपशिष्ट अभिप्रेत है और इसमें देश में स्वदेशी रूप से उत्पादित ऐसे सभी अपशिष्ट शामिल हैं;

24. "पूर्व-प्रसंस्करण" से अपशिष्ट को सह-प्रसंस्करण या पुन: चक्रीकरण या आगे किसी अन्य प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त बनाने हेतु अपशिष्ट का शोधन करना अभिप्रेत है;

25. "पुन:चक्रीकरण" से मूल प्रयोजन या अन्य प्रयोजनों के लिए पर्यावरणीय अनुकूल रीति से परिसंकटमय या अन्य अपशिष्टों का पुन: उद्धार और पुन: प्रसंस्करण अभिप्रेत है;

26. "पुन:उपयोग" से इसके मूल उपयोग या अन्य उपयोग के प्रयोजन के लिए परिसंकटमय या अन्य अपशिष्ट का उपयोग अभिप्रेत है;

27. "पुन:प्राप्ति" से पुन:चक्रीकरण से कोई ऐसा परिचालन या कार्यकलाप अभिप्रेत है जिसमें विनिर्दिष्ट सामग्रियों की पुन: प्राप्ति की जाती है;

28. "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

29. संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है;

30. "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" से जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 4 के अधीन गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के अधीन गठित भी है ;

31. "भंडारण" से अस्थायी अवधि के लिए किसी परिसंकटमय या अन्य अपशिष्ट का भंडारण अभिप्रेत है जिसके अन्त में ऐसे अपशिष्ट का प्रसंस्करण या निपटान किया जाता है;

32. "सीमापार संचलन" से एक देश की अधिकारिता के अधीन क्षेत्र से या दूसरे देश की अधिकारिता के अधीन क्षेत्र के माध्यम से या किसी देश की अधिकारिता के अधीन न आने वाले क्षेत्र के माध्यम से परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का कोई संचलन अभिप्रेत है, परन्तु यह कि संचलन में कम से कम कोई दो देश अन्तर्वलित हों;

33. "परिवहन" से वायु, रेल, सड़क या जल द्वारा परिसंकटमय या अन्य अपशिष्टों का अपतट संचलन अभिप्रेत है;

34. "परिवाहक" से वायु, रेल, सड़क या जल द्वारा परिसंकटमय या अन्य अपशिष्ट का अपतट परिवहन में लगा व्यक्ति अभिप्रेत है;

35. "शोधन" से किसी परिसंकटमय या अन्य अपशिष्ट के भौतिक, रासायनिक या जैविक लक्षणों या संरचना को परिवर्तित करने के लिए ढंग, तकनीक या प्रक्रिया अभिप्रेत है जिससे कि नुकसान कारित करने की इसकी क्षमता को कम किया जा सके;

36. "'प्रयुक्त तेल' से निम्नलिखित कोई तेल अभिप्रेत है-

(i) प्रयुक्त इंजन तेल, गियर तेल, हाइड्रोलिक तेल, टरबाइन तेल, कम्प्रेशर तेल, औद्योगिक गियर तेल, ताप अन्तरण तेल, ट्रांसफार्मर तेल और उनके टेंक के तल के मलबे सहित कच्चा तेल या स्पेन्ट तेल सहित सिन्थेटिक मिश्रित तेल से व्युत्पन्न; और

(ii) पुन:संस्करण के लिए उपयुक्त यदि यह अनुसूची V के भाग क में निर्धारित विनिर्देश को पूरा करता है किन्तु इसमें अपशिष्ट तेल सम्मिलित नहीं है;

37. "उपयोग" से एक संसाधन के रूप में परिसंकटमय या अन्य अपशिष्ट का उपयोग अभिप्रेत है;

38. "अपशिष्ट" से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जो उत्पाद या उपोत्पाद नहीं है जिनका उत्पादन, परिवर्तन या उपभोग के प्रयोजन के लिए सृजनकर्ता के लिए आगे कोई उपयोग नहीं है।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए –

(i) अपशिष्ट में ऐसी सामग्री सम्मिलित है जिसका सृजन कच्ची सामग्री के उत्कर्षण के दौरान, कच्ची सामग्री से मध्यवर्ती और अन्तिम उत्पाद के प्रसंस्करण, अंतिम उत्पाद के उपभोग और अन्य मानवीय क्रियाकलापों के माध्यम से किया जा सकेगा और प्रक्रिया के भाग के रूप में सृजन के स्थान पर पुन:चक्रीत या पुन:उपयोगी अवशिष्टों को अपवर्जित करता है |

(ii) उपोत्पाद से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जो उत्पादन प्रक्रिया द्वारा एकमात्र या पृथकत: उत्पादित नहीं किया गया है किन्तु प्रक्रिया में उत्पादित किया गया है और इस प्रकार उपयोग किया गया है |

39. "अपशिष्ट तेल" से ऐसा कोई तेल अभिप्रेत है जिसमें कच्चा तेल, मिश्रण, टेंक सतह कचरा और पैट्रोलियम परिष्करणी संस्थापनों या पोतों से सृजित तरल तेल और ऊर्जा पुन: प्राप्ति के लिए भट्टी में ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है यदि यह इस प्रकार या प्रसंस्करण के पश्चात अनुसूची 5 के भाग ख में अधिकथित विनिर्देशों को पूरा करता है |

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद जो यहां परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं का वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है।

indiacode

अध्याय II

परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के प्रबंधन की प्रक्रिया

4. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए अधिभोगी के दायित्व –

(1) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए अधिभोगी निम्नलिखित कदमों का पालन करेंगे, अर्थात् :

(क) निवारण;
(ख) न्यूनीकरण;
(ग) पुन: प्रयोग;
(घ) पुन: चक्रीकरण;
(ड.) सह-प्रसंस्करण सहित पुन:प्राप्ति, उपयोग;
(च) सुरक्षित निपटान;

(2) अधिभोगी परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय अनुकूल प्रबंध के लिए उत्तरदायी होगा |

(3) किसी अधिभोगी के स्थापन में सृजित परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट को किसी अधिकृत वास्तविक प्रयोगकर्ता को भेजा या बेचा जाएगा या किसी अधिकृत निपटान सुविधा में इसका निपटान किया जाएगा।

(4) किसी अधिभोगी के स्थापन से परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट का इन नियमों के उपबंधों के अनुरूप प्राधिकृत वास्तविक प्रयोक्ता या प्राधिकृत निपटान सुविधा तक परिवहन किया जाएगा।

(5) ऐसा अधिभोगी जो अपने परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का शोधन या निपटान, शोधन के प्रचालक द्वारा कराना चाहता है वहां भंडारण और निपटान सुविधा उस सुविधा के प्रचालक और ऐसी जानकारी जो सुरक्षित भंडारण और निपटान के लिए आवश्यक हो, दी जाएगी।

(6) अधिभोगी परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के प्रबंधन के समय सभी पर्याप्त उपाय करेगा-

(क) संदूषकों को नियंत्रित करेगा और दुर्घटनाओं को रोकेगा तथा मानव और पर्यावरण पर उनके परिणामों को सीमित करेगा; और

(ख) स्थल पर कार्य कर रहे व्यक्तियों को समुचित प्रशिक्षण, उपकरण और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएगा |

(5) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के पर्यावरणीय अनुकूल प्रबंध के लिए राज्य सरकार के दायित्व - (1) राज्य में उद्योग विभाग या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य सरकारी अभिकरण, विद्यमान और भावी आद्योगिक पार्क, संपदा और औद्योगिक समूहों में परिसंकटमय या अन्य अपशिष्ट के पुन:चक्रीकरण, पूर्व-प्रसंस्करण और अन्य उपयोग के लिए औद्योगिक स्थान या शेड का निर्धारण या आवंटन सुनिश्चित करना;

(2) राज्य में श्रम विभाग या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी सरकारी अभिकरण द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे, -

(क) पुन:चक्रीकरण, पूर्व-प्रसंस्करण और अन्य उपयोग संबंधी कार्यकलापों में लगे कार्मिकों की पहचान और पंजीकरण सुनिश्चित करना;

(ख) ऐसी सुविधाओं की स्थापना में सुगमता प्रदान करने के लिए ऐसे कार्मिकों के समूहों को बनाने में सहायता प्रदान करना;

(ग) पुन:चक्रीकरण, पुन:प्रसंस्करण और अन्य उपयोग में लगे कार्मिकों के लिए औद्योगिक कौशल विकास संबंधी कार्यकलाप करना;

(घ) वार्षिक निगरानी करना और पुन:चक्रीकरण, पुन:प्रसंस्करण और अन्य उपयोग में लगे कार्मिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना।

(3) प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा इन उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एकीकृत योजना बनाई जा सकती है और केन्द्रीय सरकार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है।

(6) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए प्राधिकार का मंजूर किया जाना.-(1) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के प्रहस्तन, उत्पादन संग्रहण, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन, प्रयोग, शोधन, प्रसंस्करण, पुन:चक्रीकरण, पुन: प्राप्ति, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण, उपयोग, बिक्री, अंतरण या निपटान में लगी सुविधा के प्रत्येक अधिभोगी द्वारा प्ररुप 1 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को

IndiaCode

आवेदन किया जाना और इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों की अवधि के अंदर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करना अपेक्षित होगा। प्राधिकार के लिए ऐसे आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति होगी, अर्थात् :

(क) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 1974 (1974 का 25) और / वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 1985 (1985 का 21) के अधीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रचालन की सहमति।

(ख) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 1974 (1974 का 25) और / वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 1981 (1981 का 21) के अधीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मंजूर स्थापना की सहमति।

(ग) प्राधिकार के नवीकरण के मामले में, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के लिए प्राधिकार में विनिर्दिष्ट बहि:स्राव, उत्सर्जन मानकों और शर्तों के संबंध में स्व-प्रमाणित अनुपालन रिपोर्ट।

परन्तु यह कि प्राधिकार के लिए नवीकरण का आवेदन ऐसे प्राधिकार की समाप्ति के तीन मास पूर्व किया जा सकेगा :

परंतु यह और कि-

(i) परन्तु यह और कि इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पूर्व परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंध, प्रहस्तन और सीमापार संचलन) नियम, 2008 के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति से ऐसे प्राधिकार की अवधि की समाप्ति तक प्राधिकार का आवेदन करने की अपेक्षा नहीं होगी।

(ii) अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्ट के पुनर्चक्रण या पुनर्संस्करण में लगा कोई व्यक्ति जिसके पास परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, प्रहस्तन और सीमापार संचलन) नियम, 2008 के अधीन रजिस्ट्रीकरण है, को ऐसे रजिस्ट्रीकरण के अवसान की अवधि तक प्राधिकार के लिए आवेदन करना अपेक्षित नहीं है ।

(2) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्राधिकार के लिए सभी परिप्रेक्ष्य में पूर्ण आवेदन की प्राप्ति पर ऐसी जांच के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे और समाधान होने पर कि आवेदक परिसंकटमय अपशिष्ट या उसके समान किसी वस्तु के लिए यथा स्थिति, संग्रहण, भंडारण, पैकिंग परिवहन, शोधन, प्रसंस्करण, उपयोग, विध्वंस, पुनर्चक्रण, पुन: प्राप्ति, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण, उपयोग, विक्रय का प्रस्ताव, हस्तांतरण या निपटान, के लिए समुचित सुविधाएं रखता है और तकनीकी क्षमताओं तथा उपस्कर जो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा समय समय पर और स्थल निरीक्षण के माध्यम से विनिर्दिष्ट मानक प्रचालन प्रक्रिया और अन्य दिशा निर्देशों के अनुरुप हैं, एक सौ बीस दिन की अवधि में आवेदक को प्ररुप 2 में प्राधिकार जो पांच वर्ष की अवधि के लिए विधि मान्य होगा और उसमें अधिकथित ऐसी दशाओं के अध्यधीन होगा, देगा। अनुसूची IV में दिए गए अनुसार सामान्य रूप से पुनचक्रीकरणयोग्य परिसंकटमय अपशिष्ट के लिए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पहले से ही तैयार किए गए मार्गदर्शक सिद्धांत अपनाए जाएंगे :

परंतु यह कि प्राधिकार के नवीकरण के दशा में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऐसे प्राधिकार प्रदान करने से पहले अपना समाधान करेगा कि यह पूर्व से प्रदान किए गए किसी प्राधिकार में विनिर्दिष्ट दशाओं के उल्लंघन में नहीं है और इसे निरीक्षण रिपोर्ट में अभिलिखित किया जाएगा।

(3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपनियम (2) के अधीन प्रदत्त प्राधिकार के साथ उस बोर्ड द्वारा हस्ताक्षरित क्षेत्र निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति जिसके परिसंकटमय या उसके समान किसी वस्तु में और अन्य अपशिष्टों संग्रहण, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन, उपचार प्रसंस्करण, उपयोग, विध्वंस, पुनर्चक्रण, प्रति प्राप्ति, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण, उपयोग और विक्रय का प्रस्ताव, अंतरण या निपटान के लिए पर्याप्त सुविधाओं की सूचना होगी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट मानक प्रसंस्करण प्रचालन के मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन करेगा ।

(4) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आवेदक की उसमें कारणों को अभिलिखित करते हुए और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए इन नियमों के अधीन किसी प्राधिकार को प्रदान करने से इंकार कर सकेगा ।

(5) इन नियमों के अधीन प्राधिकृत प्रत्येक अधिभोगी उसके द्वारा प्रबंधित प्ररुप 3 में परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के अभिलेख रखेगा और तैयार करेगा तथा प्ररुप 4 में विनिर्दिष्ट ब्यौरों के सहित वार्षिक रुप से 30 जून या उससे पूर्व प्रत्येक वित्तीय वर्ष जो उस विवरणी से संबंधित है, को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा ।

(6) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए इन नियमों के अधीन अधिरोपित दशाओं की विशिष्टियां सहित एक रजिस्टर रखेगा और यह कार्यालय समय के दौरान किसी भी हितबद्ध या प्रभावित व्यक्ति के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

(7) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के प्राधिकृत वास्तविक प्रयोक्ता खरीदे गए परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के अभिलेखों के प्राधिकार के साथ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई पासबुक में रखेगा।

(8) प्राधिकृत वास्तविक उपयोगकर्ता को परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों को केवल वास्तविक प्रयोगकर्ता की पासबुक में प्रविष्टि करने के बाद ही सौंपा जाएगा।

7. प्राधिकार को निलंबित या रद्द करने की शक्ति.- (1) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यदि उसके विचार में प्राधिकार का धारक प्राधिकार में दशाओं या अधिनियम के किसी उपबंध में या इन नियमों में से किसी को भी अनुपालन करने में असफल रहा है तो उसको सुनवाई का अवसर देगा और उसके कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् नियम 6 के अधीन ऐसी अवधि जो वह लोक हित में आवश्यक समझे जारी प्राधिकार को रद्द या निलंबित कर सकेगा ।

(2) प्राधिकार में निलंबित या रद्द होने पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व्यक्ति जिसका प्राधिकार निलंबित या रद्द किया गया है, को परिसंकटमय अपशिष्ट को सुरक्षित भंडारण और प्रबंध के लिए निर्देश दे सकेगा और ऐसा व्यक्ति ऐसा निर्देशों का अनुपालन करेगा ।

8. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का भंडारण.- (1) प्रसुविधाओं के अधिभोगी, नब्बे दिन से अनधिक अवधि के लिए परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों को भंडार कर सकेगा और ऐसे अपशिष्टों में विक्रय अंतरण, भंडार, पुनर्चक्रण, पुन:प्राप्ति, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण और उपयोग का अभिलेख रखेगा और इन अभिलेखों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखेगा ।

परंतु यह कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निम्नलिखित मामलों के नब्बे दिन की अवधि को विस्तारित कर सकेगा, अर्थात् :-

(i) प्रतिवर्ष दस टन तक छोटे सृजनकर्ता उनकी वार्षिक क्षमता के एक सौ अस्सी दिनों तक;

(ii) वास्तविक प्रयोक्ता और निपटान सुविधा के प्रचालक उनकी वार्षिक क्षमता के एक सौ अस्सी दिन तक।

(iii) अधिभोगी जो संबद्ध राज्य में शोधन, भंडारण, निपटान प्रसुविधा नहीं रखते हैं;

(iv) अपशिष्ट जिन्हें इनके पुनचर्क्रण, पुन: प्राप्ति, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण या

उपयोग के लिए प्रक्रिया के विकास हेतु विशिष्ट रूप से भंडारित किए जाने की आवश्यकता हो;

(v) किसी अन्य मामले में, औचित्यपूर्ण आधार पर एक सौ अस्सी दिनों तक।

9. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का उपयोग.- (1) उत्पादक के परिसर सहित (यदि यह प्रक्रिया का भाग नहीं है) एक संसाधन के रूप में परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों उपयोग या सह-प्रसंस्करण या किसी अन्य प्रयोग के लिए पूर्व-प्रसंस्करण, केवल केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों या मानक के आधार पर अपशिष्ट के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जाएगा।

(2) जहां विशिष्ट उपयोग के लिए मानक प्रचालन पद्धतियां या मार्गदर्शक सिद्धांत उपलब्ध न हों, वहां केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदन की वांछा की जाएगी जो परीक्षणों के आधार पर अनुमोदन प्रदान करेगा और इसके बाद केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मानक प्रचालन प्रक्रियाएं या दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे:

परंतु यह कि यदि परीक्षण विशिष्ट उपयोग के संबंध में विशेष अपशिष्ट के लिए किया गया है तथा पर्यावरण मानकों का अनुपालन उपदर्शित किया गया है तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इसी अपशिष्ट तथा उपयोग के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अलग से परीक्षण की अपेक्षा के बिना प्राधिकार मंजूर किया जा सकता है और ऐसे सफल परीक्षण के मामलों के केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सूचित करेगा।

(3) सीमेंट संयंत्रों में अपशिष्ट के सह-प्रसंस्करण के लिए परीक्षणों की आवश्यकता नहीं होगी जिसके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं; तथापि वास्तविक उपयोगकर्ता द्वारा अपशिष्ट के सह-प्रसंसकरण के संबंध में सीमेंट संयंत्र के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अंतर्गत अधिसूचित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा:

परंतु यह कि मानकों के अधिसूचित होने तक परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट के अन्य उपयोग हेतु यथा प्रयोज्य प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जैसाकि ऊपर उपदर्शित किया गया है।

10. **वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए मानक प्रचालन पद्धति या मार्गदर्शक सिद्धांत.-** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय समय पर परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के पर्यावरणीय अनुकूल प्रबंधन के लिए मानक प्रचालन पद्धतियां या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा।

अध्याय III
परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट का आयात और निर्यात

11. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का आयात और निर्यात (सीमापार संचलन).- पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के सीमापार संचलन के लिए नोडल मंत्रालय होगा ।

IndiaCode

12. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के आयात और निर्यात के लिए कार्यनीति.- (1) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट का किसी अन्य देश से भारत में निस्तारण करने के लिए कोई आयात अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(2) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट का आयात केवल पुनर्चक्रण, पुन:प्राप्ति, पुन:उपयोग और सह-प्रसंस्करण सहित, उपयोग के लिए ही अनुज्ञेय होगा ।

(3) अनुसूची III के भाग क में परिसंकटमय अपशिष्ट का आयात निर्यातक देश की पूर्व सूचित सहमति के साथ वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए अनुज्ञेय होगा और इसके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति अपेक्षित होगी।

(4) अनुसूची III के भाग ख में अन्य अपशिष्टों का आयात पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति से अनुज्ञेय होगा।

(5) अनुसूची III के भाग घ में अन्य अपशिष्टों का नियम 13 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार और उपर्युक्त अनुसूची के नीचे की टिप्पणी के अनुसार अनुज्ञेय होगा।

(6) अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का आयात अनुज्ञेय नहीं होगा।

(7) भारत से अनुसूची III और अनुसूची VI के भाग क और भाग ख में सूचीबद्ध परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का आयात पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति से होगा। अनुसूची III और अनुसूची VI के भाग क में सूचीबद्ध परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के आयात के लिए आवेदनों के मामले में, उन पर आयातक देश की पूर्व सूचित सहमति के आधार पर विचार किया जाएगा।

(8) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों, जो अनुसूची III में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, किंतु अनुसूची III के भाग ग में उल्लिखित परिसंकटमय लक्षण दर्शातें हैं, के आयात तथा निर्यात के लिए इन्हें यथा स्थिति, भारत से आयात या निर्यात, किए जाने से पूर्व पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पूर्व लिखित अनुमति अपेक्षित होगी।

13. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के निर्यात की प्रक्रिया - (1) अनुसूची ।।। के भाग क और भाग ख में निर्दिष्ट परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के आयात या सीमापारीय संचलन हेतु वहन के इच्छुक वास्तविक प्रयोक्ता प्ररूप 5 के साथ इसमें सूचीबद्ध दस्तावेज सहित अनुसूची ।।। के भाग क के संबंध में निर्यातक देश के पूर्व सूचित सहमति सहित प्रस्तावित आयात के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को आवेदन करेंगे और इसके साथ ही संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सूचनार्थ आवेदन की एक प्रति भेजेंगे और इस संबंध में संबंधित राज्य प्रदूषण बोर्ड से पावती आवेदन सहित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी।

(2) अनुसूची ।।। के भाग घ में सूचीबद्ध अन्य अपशिष्टों के आयात के लिए आयातक के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति अपेक्षित नहीं होगी। तथापि, आयातक द्वारा अनुसूची VIII में सूचीलबद्ध दस्तावेजों के अतिरिक्त यथास्थिति, निम्नलिखित दस्तावेजों, जैसा भी मामला हो, के साथ सीमा शुल्क प्राधिकरणों को प्ररूप 6 के अनुसार अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की जाएगी। अनुसूची VIII (बेसेल सं. बी 1110) के क्रमांक 4 (ड.) से 4 (झ) में सूचीबद्ध प्रयुक्त वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिकी संयोजनों के लिए इन नियमों के अंतर्गत प्रलेखन की कोई विशेष्ट अपेक्षा नहीं है :

(क) विदेश व्यापार महानिदेशालय से आयात अनुज्ञप्ति, यदि लागू हो;

(ख) जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 25) और वायु (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 21) और समय-समय पर यथा संशोधित इन नियमों के साथ-साथ ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियम, 2011, जो भी प्रयोज्य हो, के अंतर्गत प्राधिकार के अंतर्गत विधि मान्य सहमतियां;

(ग) ऐसा आयातक जो व्यापारी है, वास्तविक प्रयोक्ताओं की ओर से अपशिष्ट का आयात करता है, द्वारा प्ररूप 7 में एक बार का प्राधिकार प्राप्त करेगा और इस प्राधिकार की एक प्रति प्ररुप 6 के साथ संलग्न की जाएगी।

(3) अनुसूची 3 के भाग ख के लिए, समय-समय पर यथासंशोधित ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियम, 2011 की अनुसूची I के अंतर्गत यथा सूचीबद्ध किसी प्रयुक्त वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिकी संयोजनों या अतिरिक्त पूर्जों या संघटक के भाग या उपभोज्य वस्तुओं के आयात के मामले में, आयातक को उक्त (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियम, 2011 के अंतर्गत उत्पादक के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व-प्राधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

(4) अनूसूची ।।। के भाग घ में सूचीबद्ध अपशिष्टों के प्रेषण की स्वीकृति से पूर्व, सीमा शुल्क प्राधिकरणों द्वारा अनुसूची VIII के कॉलम (3) में दिए गए अनुसार दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।

(5) अनुसूची ।।। के भाग क और भाग ख के संबंध में पूर्ण आवेदन की प्राप्ति पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से प्राप्त टिप्पणियों और प्रेक्षणों, यदि कोई हों, पर विचार करते हुए आवेदन की जांच की आएगी और आयातक के पास निम्नलिखित के होने की शर्त के अध्यधीन साठ दिनों की अवधि के अंदर आयात के लिए अनुमति प्रदान की जा सकती है -

(i) पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल सुविधाएं;

(ii) उत्पन्न अपशिष्टों के शोधन तथा निपटान के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं;

(iii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विधि मान्य प्राधिकार और अनुमति;

(iv) अनुसूची ।।। के भाग क के अपशिष्टों के मामले में निर्यातक देश से पूर्व सूचित सहमति।

(6) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संबंधित पत्तन तथा सीमा शुल्क प्राधिकरणों, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुमति की प्रति प्रेषित की जाएगी ताकि अनुसूची VIII में दिए गए उनके संबंधित कार्यों के बारे में अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(7) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का आयातक अपने द्वारा आयातित परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट के अभिलेखों का रख-रखाव प्ररूप 3 में करेगा और इस प्रकार रखे गए अभिलेखों को निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

(8) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का आयातक वित्त वर्ष जिसका संबंध विवरणी से हो, के 30 जून को या उससे पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्ररूप 4 में वार्षिक विवरणी दाखिल करेगा।

(9) परीक्षण या अनुसंधान और विकास उद्देश्यों के लिए आयात किए जा रहे परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के 1000 ग्राम या 1000 मि.ली. तक के नमूनों को इन नियमों के अंतर्गत आयात हेतु अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट होगी।

(10) पत्तन और सीमा शुल्क प्राधिकरणों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि नौभार के साथ प्ररुप 6 में दिए गए अनुसार संचलन दस्तावेज हो और संदेह के मामले में निर्यातक देश द्वारा प्रत्यायोजित या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से अपशिष्ट नौभार के विश्लेषण की परीक्षण रिपोर्ट का सीमा शुल्क द्वारा सत्यापन किया जाए।

14. भारत से परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट के निर्यात की प्रक्रिया.- (1) अनुसूची ।।। के भाग क, अनुसूची ।।। के भाग ख और अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट अपशिष्ट का निर्यात करने का इच्छुक कोई अधिभोगी अनुसूची ।।। के भाग क और अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट अपशिष्टों के संबंध में निर्यात करने वाले देश से लिखित में पूर्व सूचित सहमति के साथ परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के प्रस्तावित सीमापरीय संचलन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को बीमा कवर के साथ प्ररुप 5 में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पूर्ण आवेदन जमा करने की तारीख से साठ दिन की अवधि में प्रस्तावित निर्यात के लिए अनुमति दे सकता है और ऐसी दशाएं अधिरोपित कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे ।

(3) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उप-नियम (2) के अधीन प्रदत्त अनुमति की प्रति राज्य के राज्य प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड जहां अपशिष्ट उत्पन्न हुआ हो और उस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जहां निर्यात का पत्तन अवस्थित है तथा संबंधित पत्तन और सीमा शुल्क प्राधिकरणों को, निर्यात अनुमति की दशाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अग्रेषित करेगा ।

(4) निर्यातक यह सुनिश्चित करेगा कि आयात करने वाले देश से पूर्व सूचित सहमति, जहां कहीं लागू हो, प्राप्त होने से पूर्व नौभार को नहीं भेजा जाएगा ।

(5) निर्यातक यह सुनिश्चित करेगा कि नौभार के साथ प्ररूप 6 में संचलन दस्तावेज होंगे ।

(6) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का निर्यातक प्ररूप 3 में उसके द्वारा निर्यात किए गए परिसंकटमय या अन्य अपशिष्ट का अभिलेख रखेगा और ऐसे रखे गए अभिलेखों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगा ।

15. अवैध यातायात.- (1) भारत के बाहर और भीतर परिसंकटमय या अन्य अपशिष्टों का निर्यात और आयात अवैध समझा जाएगा यदि, -

(i) यह इन नियमों के अनुसार केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा के बिना है, या

(ii) अनुज्ञा झुठे और मिथ्या विवरण देकर या कपट से प्राप्त की गई है;

(iii) यह संचलन दस्तावेज में उपबंधित शिपिंग ब्यौरों के अनुसार नहीं है; या

(iv) इसका परिणाम जानबूझकर परिसंकटमय अपशिष्टों और अन्य अपशिष्टों के बेसल अभिसमय और अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय विधि के सामान्य सिद्धांतों के अतिक्रमण में किए गए व्ययन (अर्थात् नष्ट करना) में निकलता है ।

(2) परिसंकटमय या अन्य अपशिष्ट के अवैध आयात की दशा में, आयातकर्ता अपशिष्ट के भारत में पहुंचने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर अपनी लागत पर प्रश्नगत अपशिष्ट का पुन: निर्यात करेगा और इसका क्रियान्वयन संबंधित पत्तन और सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। पत्तन और सीमा शुल्क प्राधिकरणों द्वारा ऐसे अपशिष्ट के निपटान की दशा में, वे यह कार्य उस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जहां पत्तन विद्यमान है, की अनुमति से इन नियमों के अनुसार करेंगे।

(3) परिसंकटमय या अन्य अपशिष्ट के अवैध आयात की दशा में, जहां आयातक का पता लगाना संभव न हो, तो अपशिष्ट को सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा किसी ऐसे प्रयोक्ता को बेचा जा सकता है जिसके पास संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इन नियमों के अंतर्गत प्राधिकार हो या प्राधिकृत शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा को भेजा जा सकता है।

अध्याय - IV

परिसंकटमय तथा अन्य अपशिष्टों के शोधन, भंडारण और निपटान के लिए सुविधा

16. परिसंकटमय तथा अन्य अपशिष्टों के शोधन, भंडारण और निपटान के लिए सुविधा.- (1) राज्य सरकार, अधिभोगी, किसी सुविधा का प्रचालन या अधिभोगियों का संगम व्यष्टिक रूप से या संयुक्त रूप से या पृथक रूप से राज्य में परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के शोधन, भंडारण और निपटान की सुविधा स्थापित करने के लिए स्थलों की पहचान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(2) सामान्य सुविधा का प्रचालन या आबाध सुविधा का अधिभोगी, इस संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए तकनीकी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, उपचार, भंडारण और व्ययन सुविधा डिजाइन और स्थापित करेगा और इस संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से डिजाइन और ले-आउट का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियमित रूप से साझा या आबाध शोधन, भंडारण और निपटान सुविधाओं के स्थापन तथा प्रचालन को मानीटर करेगा।

(4) साझा सुविधा का प्रचालक या आबाध सुविधा का अधिभोगी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्ग-दर्शक सिद्धांतों या मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के अनुसार सुविधा के सुरक्षित और पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल प्रचालन तथा इसके समापन और समापन पश्चात की अवस्था के लिए जिम्मेदार होगा।

(5) साझा सुविधा प्रचालक या आबाध सुविधा के अधिभोगी द्वारा प्रहस्तित किए गए परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का प्ररुप-3 में अभिलेख रखा जाएगा।

(6) साझा सुविधा का प्रचालक या आबाध सुविधा का अधिभोगी वित्त वर्ष जिसका संबंध विवरणी से हो, के 30 जून को या उससे पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्ररूप 4 में वार्षिक विवरणी दाखिल करेगा।

अध्याय V

परिसंकटमय अपशिष्ट की पैकेजिंग, लेबलीकरण और परिवहन

17. **पैकेजिंग और लेबलीकरण.-** (1) परिसंकटमय या अन्य अपशिष्टों का प्रहस्तन करने वाले किसी अधिभोगी और शोधन, भंडारण तथा निपटान सुविधा के प्रचालक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों की पैकेजिंग केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार सुरक्षित प्रहस्तन, भंडारण और परिवहन के लिए उपयुक्त तरीके से की जाए। लेबलिंग का कार्य प्ररुप 8 के अनुसार किया जाएगा।

(2) लेबल ऐसी सामग्री का बना होगा जो धोने योग्य न हो, दृश्यमान हो और जलवायु कारकों को सहन करने में समर्थ हो।

18. परिसंकटमय और अन्य अन्य अपशिष्टों का परिवहन.- (1) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट का परिवहन इन नियमों और मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों तथा इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा।

(2) अधिभोगी परिवहनकर्ता को अपशिष्ट की परिसंकटमय प्रकृति के संबंध में प्ररूप 9 में सुसंगत सूचना और आपात स्थिति की दशा में किए जाने वाले उपायों को उपलब्ध कराएगा और परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट आधानों को प्ररूप 8 के अनुसार चिन्हित करेगा।

(3) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट के अंतिम निपटान के लिए ऐसी सुविधा तक परिवहन, जो अपशिष्ट उत्पन्न होने वाले राज्य से अलग राज्य में मौजूद हो, तक परिवहन के मामले में प्रेषणकर्ता द्वारा दोनों राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त किया जाएगा।

(4) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट के पुनर्चक्रण या सह-प्रसंस्करण सहित उपयोग के लिए परिवहन के मामले में, प्रेषक द्वारा परिवहनकर्ता को अपशिष्ट सौंपे जाने से पूर्व दोनों राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सूचित किया जाएगा।

(5) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट के पुनर्चक्रण, सह-प्रसंस्करण सहित उपयोग या निपटान के लिए मूल राज्य और गंतव्य से अलग राज्य के माध्यम से पारगमन के मामले में, प्रेषणकर्ता परिवहनकर्ता को अपशिष्ट सौंपे जाने से पूर्व पारगमन राज्यों के संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पूर्व सूचना देगा।

(6) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट के परिवहन के मामले में, सुरक्षित परिवहन का दायित्व प्रेषणकर्ता या प्राप्तकर्ता, जो भी परिवहन की व्यवस्था करता हो और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परिवहन के लिए आवश्यक प्राधिकार रखता हो, की होगी। यह दायित्व मालसूची में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

(7) परिवहन के लिए प्राधिकार की प्राप्ति प्रेषणकर्ता या प्राप्तकर्ता द्वारा की जाएगी जिसकी ओर से परिवहन की व्यवस्था की जा रही है।

19. केवल देश के भीतर ही प्रयोग किए जाने वाले परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट के लिए मालसूची प्रणाली (संचालन दस्तावेज).- (1) अपशिष्ट का प्रेषणकर्ता नीचे दिए गए रंजक कूट को मिलाकर प्ररुप 10 में मालसूची की सात प्रतियां तैयार करेगा और प्रेषणकर्ता द्वारा सभी सात प्रतियों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

रंजक कूट सहित प्रति संख्या	प्रयोजन
(1)	(2)
प्रति 1 (श्वेत)	प्रेषणकर्ता द्वारा सभी सात प्रतियों को हस्ताक्षर करने के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अग्रेषित की जाएगी।
प्रति 2 (पीला)	प्रेषणकर्ता द्वारा परिवहनकर्ता के उस पर हस्ताक्षर लेने के पश्चात् अपने पास रखी जाएगी और शेष 5 प्रतियों को परिवहनकर्ता द्वारा ले जाया जाएगा।
प्रति 3 (गुलाबी)	अपशिष्ट प्राप्त करने के पश्चात् प्राप्तकर्ता (वास्तविक प्रयोक्ता या शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा प्रचालक) द्वारा अपने पास रखी जाएगी और शेष 4 प्रतियों पर प्राप्तकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाएंगे।
प्रति 4 (संतरी)	अपशिष्ट को स्वीकार किए जाने के पश्चात् प्राप्तकर्ता द्वारा परिवहनकर्ता को सौंपी जाएगी।
प्रति 5 (हरा)	प्राप्तकर्ता द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजी जाएगी।
प्रति 6 (नीला)	प्राप्तकर्ता द्वारा प्रेषणकर्ता को भेजी जाएगी।
प्रति 7 (भूरा)	यदि प्रेषणकर्ता अन्य राज्य में है तो प्राप्तकर्ता द्वारा प्रेषणकर्ता के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजी जाएगी।

(2) प्रेषणकर्ता प्रति 1 (श्वेत) को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अग्रेषित करेगा और परिसंकटमय अपशिष्ट या अन्य अपशिष्ट के किसी वहन राज्य से परिवहन करने की दशा में प्रेषणकर्ता अपशिष्ट के संचलन के बारे में वहन राज्यों के राज्य प्रदूषण बोर्डों को सूचित करेगा।

(3) कोई परिवहनकर्ता परिवहन के लिए प्रेषणकर्ता से अपशिष्ट को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक उसके साथ प्रकट करने के लिए हस्ताक्षरित 3 से 7 प्रतियां संलग्न न हों ।

(4) परिवहनकर्ता प्रकट करने के लिए प्राप्तकर्ता द्वारा तारीख सहित सम्यकत: हस्ताक्षरित प्रति 3 से 7 को अपशिष्ट कन्साइनमेंट के साथ प्रस्तुत करेगा ।

(5) अपशिष्ट को स्वीकार करने के पश्चात् प्राप्तकर्ता द्वारा परिवहनकर्ता को प्रति 4 (संतरा) सौंपी जाएगी और प्रति 5 (हरा) अपने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को और प्रति 6 (नीला) प्रेषणकर्ता को तथा प्रति 3 (गुलाबी) प्राप्तकर्ता के पास रहेगी।

(6) यदि प्रेषणकर्ता अन्य राज्य में हो तो प्रति 7 (भूरा) केवल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ही भेजी जाएगी।

अध्याय VI
विविध

20. अभिलेख और विवरणी.- (1) परिसंकटमय या अन्य अपशिष्टों का प्रहस्तन करने वाले अधिभोगी और निपटान सुविधा के प्रचालक द्वारा ऐसे प्रचालनों का प्ररुप 3 में अभिलेख रखा जाएगा।

(2) परिसंकटमय या अन्य अपशिष्टों का प्रहस्तन करने वाले अधिभोगी और निपटान सुविधा के प्रचालक द्वारा प्ररुप राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्ररूप 4 में वार्षिक विवरणी भेजी जाएगी।

(3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के निपटान हेतु सुविधाओं के अधिभोगियों और प्रचालकों से प्राप्त वार्षिक विवरणी के आधार पर उत्पन्न, पुनर्चक्रित प्रतिप्राप्त, सह-प्रसंस्करणकृत सहित उपयोग में लाए गए अपशिष्ट; पुन:आयातित तथा निपटान किए गए अपशिष्ट की वार्षिक सूची बनाएगा और प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं, वास्तविक प्रयोक्ताओं तथा और साझा तथा अबाध निपटान सुविधाओं की सूची भी तैयार की जाएगी और प्रत्येक दो वर्ष में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचना प्रस्तुत की जाएगी।

(4) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के प्रबंधन संबंधन की समेकित समीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा और वर्ष में एक बार 30 दिसम्बर से पहले अपने सिफारिशों के साथ इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजेगा।

21. प्राधिकारियों का दायित्व – अनुसूची VII के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों को करेगा ।

22. दुर्घटना की रिपोर्ट करना. - जब किसी परिसंकटमय या अपशिष्ट का प्रहस्तन करने वाले अधिभोगी और निपटान सुविधा के प्रचालक की सुविधा में परिवहन के दौरान कोई दुर्घटना होती है तो अधिभोगी या प्रचालक या परिवहनकर्ता द्वारा तत्काल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दुर्घटना के विषय में टेलीफोन, ई-मेल के माध्यम से सूचना दी जाएगी और इसके बाद प्ररुप 11 में एक रिपोर्ट भेजी जाएगी।

23 निपटान सुविधा के अधिभोगी, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता और प्रचालक का दायित्व.-

(1) **निपटान सुविधा के अधिभोगी, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता और प्रचालक** पर्यावरण या तृतीय पक्ष को परिसंकटमय अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट के अनुचित प्रहस्तन और प्रबंधन के कारण कारित सभी क्षतियों के लिए दायी होंगे ।

(2) निपटान सुविधा का अधिभोगी और प्रचालक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्वानुमति से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इन नियमों के उपबंधों के अधीन किसी उल्लंघन के लिए उद्ग्रहण के रूप में वित्तीय शास्तियों का संदाय करने के लिए दायी होंगे

24. अपील.- (1) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उसके प्राधिकार को रद्द करने, निरस्त करने या उसके नवीकरण से इनकार करने के लिए व्यथित कोई व्यक्ति उस तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर जिसको उसे आदेश संसूचित किया गया था प्ररूप 12 में अपीलीय प्राधिकारी अर्थात् राज्य के पर्यावरण सचिव को अपील कर सकेगा ।

(2) अपील प्राधिकार तीस दिन की उक्त अवधि के समापन के पश्चात् अपील पर विचार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारण से समय के भीतर अपील फाइल करने से निवारित था ।

(3) इस नियम के अधीन फाइल की गई प्रत्येक अपील का निपटारा इसके फाइल किए जाने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

अनुसूची ।

[नियम 3(1)(17)(i) देखें]

परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली प्रक्रियाओं की सूची

क्र.सं.	प्रकिया	परिसंकटमय अपशिष्ट *
(1)	(2)	(3)
1.	पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाएं और पाइरोलिटिक संक्रियाएं	1.1 फरनेस या रिएक्टर अवशेष और कचरा 1.2 टैरी अवशेष और आसवन प्रक्रिया से स्टिल बौटम 1.3 ऑयली स्लज पायस 1.4 कार्बनिक अवशेष 1.5 ईंधनों को क्षार से धोने पर बचा अवशेष 1.6 स्पेन्ट केटालिस्ट और मॉलीक्यूलर सीव्स 1.7 अपशिष्ट जल के शोधन से ऑयल
2.	कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन	2.1 जल युक्त कीचड़ को छोड़कर ड्रिल कटिंग्स 2.2 तेल युक्त स्लज 2.3 तेल युक्त ड्रिलिंग मड
3.	पोत वाहनों सहित पेट्रोलियम तेल भंडारण की टंकियों की सफाई, उन्हें खाली करना और उनका रख-रखाव	3.1 तेल युक्त कार्गो अवशेष, वाशिंग वॉटर और स्लज 3.2 केमिकल युक्त कार्गो अवशेष और स्लज 3.3 स्लज और तेल से संदूषित फिल्टर्स 3.4 पोत वाहनों से तेल युक्त बैलास्ट वॉटर
4.	प्रयुक्त तेल का पेट्रोलियम परिष्करण या पुन: प्रसंस्करण या अपशिष्ट तेल का पुन: चक्रण	4.1 तैलीय स्लज या पायस 4.2 स्पैंट कैटालिस्ट 4.3 स्लॉप तेल 4.4 प्रक्रिया से उत्पन्न कार्बनिक अवशेष 4.5 तेल युक्त स्पेन्ट क्ले
5.	हाइड्रोलिक सिस्टम या अन्य अनुप्रयोगों में लुब्रीकेन्ट के रूप में मिनरल या सिन्थेटिक तेल का उपयोग करते हुए औद्योगिक प्रचालन	5.1 प्रयुक्त या स्पेन्ट ऑयल 5.2 तेल युक्त अपशिष्ट या अवशेष 5.3 अपशिष्ट कटिंग तेल
6.	जिंक का गौण उत्पादन और/या औद्योगिक उपयोग	6.1 जिंक सल्फेट और अन्य जिंक संघटकों के उत्पादन के बाद उत्पन्न स्लज और फिल्टर प्रैस केक 6.2 विक्षेपी रूप में जिंक फाईन्स या धूल कण या स्किीमिन्ग 6.3 जिंक भस्म या स्किीमिन्ग के प्रसंस्करण से उत्पन्न अन्य अवशेष 6.4 फ्लू गैस धूल कण और अन्य विविक्त कण

7.	अल्युमिनियम को छोड़कर जिंक या लेड या कॉपर और अन्य नॉन-फेरस धातुओं का प्रारंभिक उत्पादन	7.1 रोस्टिंग से उत्पन्न फ्लू धूलकण 7.2 प्रोसेस अवशेष 7.3 आर्सेनिक युक्त स्लज 7.4 स्लज और अवशेष सहित नॉन फेरस धातु 7.5 मार्जक से स्लज
8.	कॉपर का गौण उत्पादन	8.1 स्पैन्ट इलेक्ट्रोलिटिक घोल 8.2 स्लज और फिल्टर केक्स 8.3 फ्ले गैस धूलकण और अन्य विविक्त कण
9.	लेड का गौण उत्पादन	9.1 लेड युक्त अवशेष 9.2 लेड एश या फ्लू गैस से विविक्त कण 9.3 प्रयुक्त बैट्रियों से एसिड
10.	कैडमियम और आर्सनिक और उनके संघटकों का उत्पादन और/या औद्योगिक उपयोग	10.1 कैडमियम और आर्सनिक युक्त अवशेष
11.	प्रारंभिक और गौण एल्युमिनियम का उत्पादन	11.1 ऑफ गैस अभिक्रिया से स्लज 11.2 पॉट लाईनिंग अपशिष्ट सहित कैथोड अवशिष्ट 11.3 अपशिष्ट युक्त तार 11.4 फ्लू गैस धूल कण और अन्य विविक्त कण 11.5 ड्रॉस और साल्ट स्लज शोधन से उत्पन्न अपशिष्ट 11.6 प्रयुक्त एनोड बट्स 11.7 एल्युमिना परिष्करणी से वेनेडियम स्लज
12.	धातु सतह शोधन जैसे कि इचिंग, स्टेनिंग, पॉलिश करना, गेल्वा नाईजिंग, सफाई करना, ग्रीस हटाना, प्लेटिंग आदि	12.1 अम्ल और क्षार अवशेष 12.2 स्पेंट अम्ल और क्षार 12.3 सल्फाइड, सायनाइड और विषैले धातुओं से युक्त स्पैन्ट बाथ या स्लज 12.4 कार्बनिक विलायकों से युक्त बाथ से उत्पन्न स्लज 12.5 फास्फेट स्लज 12.6 स्टेनिंग बाथ से सलज 12.7 ताम्बा निक्षारण अवशेष 12.8 प्लेटिंग मैटल स्लज
13.	अन्य लौह एलोय सहित आयन और इस्पात का उत्पादन (इलेक्ट्रिकक फरनेस, स्टील रोलिंग और फिनिशिंग मिल्स, कोक ऑवन और उपोत्पाद संयंत्र)	13.1 स्पेंट पिकलिंग लिकर 13.2 अम्ल रिकवरी इकाई से स्लज 13.3 बेनजोल अम्ल स्लज 13.4 डिकेन्टर टंकी टार स्लज 13.5 टार भंडारण की टंकी का अवशेष 13.6 कोक ओवन उपोत्पाद संयंत्र से अवशेष
14.	हार्डनगिंग ऑफ स्टील	14.1 सायनाइड - नाइट्रेट या नाइट्राईट युक्त स्लज 14.2 स्पेन्ट हार्डनिंग साल्ट
15.	एस्बेस्टस या एस्बेस्टस युक्त पदार्थों का उत्पादन	15.1 एस्बेस्टस युक्त अवशेष 15.2 डिस्कार्डेड एस्बेस्टस 15.3 गैस निकासी शोधन से उत्पन्न धूल कण या विविक्त कण
16.	कास्टिक सोडा और क्लोरीन का उत्पादन	16.1 मर्करी सेल प्रक्रिया से उत्पन्न मर्करीधारक स्लज 16.2 अवशेष या स्लज और फिल्टर केक्स 16.3 ब्राईन स्लज
17.	खनिज अम्लों का उत्पादन	17.1 प्रक्रिया अम्लीय अवशेष, फिल्टर केक, धूल कण 17.2 स्पेंट कैटालिस्ट
18.	नाइट्रोजनस और काम्प्लैक्स उर्वरकों का उत्पादन	18.1 स्पेंट उत्प्रेरक 18.2 कार्बन अवशेष 18.3 आर्सनिक युक्त स्लज या अवशेष 18.4 वॉटर कूलिंग टावर से क्रोमियम स्लज
19.	फीनोल का उत्पादन	19.1 फीनोल युक्त अवशेष या स्लज 19.2 स्पेंट उत्प्रेरक

20.	विलायकों का उत्पादन और/या औद्योगिक उपयोग	20.1 संदूषित एरोमेटिक, एलिफेटिक या नेफटेनिक विलायकों से युक्त विलायक जो पुन: उपयोग के लिए उपयुक्त हो या न हो 20.2 स्पेंट विलायक 20.3 आसवन अवशेष 20.4 प्रक्रिया स्लज
21.	पेंट, रंजक, लेकर्स, वार्निश, प्लास्टिकों और स्याही का उत्पादन और/या औद्योगिक उपयोग	21.1 प्रक्रिया अपशिष्ट, अवशेष और स्लज 21.2 स्पेंट विलायक
22.	प्लास्टिक का उत्पादन	22.1 स्पेंट उत्प्रेरक 22.2 प्रक्रिया अवशेष
23.	गोंद, कार्बनिक सीमेंट, आसंजक और रेजिन का उत्पादन और/या औद्योगिक उपयोग	23.1 अपशिष्ट या अवशेष (जो वनस्पति या जीव जन्तु सामग्री से न बना हो) 23.2 स्पेंट विलायक
24.	केनवस और कपड़े का उत्पादन	24.1 रासायनिक अवशेष
25.	काष्ठ परिरक्षियों का औद्योगिक उत्पादन और निरुपण	25.1 रासायनिक अवशेष 25.2 काष्ठ क्षार बाथ से अवशेष
26.	कृत्रिम रंजकों, मध्यवर्ती रंजकों और रंगों का उत्पादन या औद्योगिक उपयोग	26.1 प्रक्रिया अपशिष्ट स्लज/अम्ल, विषाक्त धातुओं, कार्बनिक यौगिकों से युक्त अवशेष 26.2 वायु फिलटरेशन तंत्र से धूल कण 26.3 स्पेंट अम्ल 26.4 स्पेंट विलायक 26.5 स्पेंट उत्प्रेरक
27.	कार्बनिक - सिलिकॉन यौगिक का उत्पादन	27.1 प्रक्रिया अवशेष
28.	औषधी/फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य परिचर्या का उत्पादन/निरूपण	28.1 प्रक्रिया अवशेष और अपशिष्ट 28.2 स्पेंट उत्प्रेरक 28.3 स्पेंट कार्बन 28.4 ऑफ स्पेसीफिकेशन उत्पाद 28.5 वे उत्पाद जिनकी तिथि बीत चुकी है 28.6 स्पेन्ट विलायक
29.	स्टाक - पाईल्स सहित कीटनाशकों का उत्पादन और निरुपण	29.1 प्रक्रिया अपशिष्ट/अवशेष 29.2 अवशेष कीटनाशकों से युक्त स्लज 29.3 जिनकी तिथि बीत चुकी है और ऑफ-स्पेसीफिकेशन कीटनाशक 29.4 स्पेंट विलायक 29.5 स्पेंट उत्प्रेरक 29.6 स्पेंट अम्ल
30.	चर्मशोधन	30.1 अवशेष और स्लज युक्त क्रोमियम
31.	इलेक्ट्रोनिक उद्योग	31.1 प्रक्रिया अवशेष और अपशिष्ट 31.2 स्पेंट एचिंग रसायन और विलायक
32.	लुगदी और कागज उद्योग	32.1 स्पेंट रसायन 32.2 तेज अम्ल और क्षार के उपयोग से उत्पन्न संक्षारक अपशिष्ट 32.3 घुलनशील कार्बनिक हेलाईट्स (एओएक्स) युक्त प्रक्रिया स्लज
33.	परिसंकटमय अपशिष्टों/ रसायनों के प्रहस्तन के लिए प्रयुक्त बेरेलों/कन्टेनरों का विसंदूषण	33.1 परिसंकटमय रसायनों/अपशिष्टों से संदूषित खाली बैरल/कंटेनर/लाईनर 33.2 संदूषित कॉटन रैग या अन्य सफाई सामग्री
34.	परिसंकटमय अपशिष्टों/ रसायनों के प्रहस्तन के लिए प्रयुक्त बेरेलों/कन्टेनरों का विसंदूषण	34.1 विसंदूषण से उत्पन्न रसायन युक्त अवशेष 34.2 बैरेलों/कन्टेनरों की सफाई/निपटान से उत्पन्न अपशिष्ट जल के शोधन से स्लज
35.	इस अनुसूची में प्रक्रियाओं से निकास हुए वायु/गैसों, जल और अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण और शोधन और साझा औद्योगिक बहि:स्राव शोधन संयंत्र (सीईटीपी)	35.1 निकास वायु या गैस सफाई अवशेष 35.2 विषाक्त धातु युक्त स्पेंट आयन एक्सचेंज रेसिन 35.3 अपशिष्ट जल के शोधन से उत्पन्न रासायनिक स्लज 35.4 ऑयल और ग्रीस स्किमिंग 35.5 कूलिंग जल से क्रोमियम स्लज

36.	कार्बनिक संघटकों/विलायकों के लिए शुद्धिकरण प्रक्रिया	36.1 किसी भी प्रक्रिया या आसवन के अवशेष 36.2 स्पेंट कार्बन या फिल्टर मीडियम
37.	परिसंकटमय अपशिष्ट पदार्थों की शोधन प्रक्रियाएं, उदाहरणार्थ पूर्व प्रसंस्करण, भष्मीकरण और सांद्रण	37.1 वेट स्क्रबर्स से स्लज 37.2 भष्मीकरण से उत्पन्न राख और गलू गैस क्लीनिंग अवशेष 37.3 सांद्रण या वाष्पीकरण अवशेष
38.	क्रोमिनियम, मैंगनीज, निकेल, कैडमियन इत्यादि जैसी भारी धातुओं से युक्त अयस्कों का रासायनिक का प्रसंस्करण	38.1 प्रकिया अवशेष 38.2 स्पेंट अम्ल

*** इस अनुसूची में अन्तर्विष्ट अपशिष्ट पदार्थों को शामिल करना, अनुसूची II के उपयोग को यह दर्शाने के लिए प्रवारित नहीं करता है कि अपशिष्ट पदार्थ परिसंकटमय नहीं है। विवाद के मामले में, यह मामला पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गठित की गई तकनीकी समीक्षा समिति को भेजा जाएगा।**

टिप्पण: उच्च मात्रा कम प्रभाव वाले अपशिष्ट पदार्थ जैसे फ्लाई ऐश, फॉसफोजिप्सम, रेड मड, जेरोसाइट, पायरोमेटलर्जिकल प्रचालनों से स्लैग्स, माईन टेलिंगस और अयस्क बेनिफिसियेशन रिजेक्ट्स को परिसंकटमय अपशिष्टों की श्रेणी से हटाया गया है। इन अपशिष्टों के प्रबंधन के संबंध में पृथक मार्गदर्शक सिद्धांत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए जाएंगे।

अनुसूची II

[नियम 3(1)(17)(ii) देखें]

सांद्रता सीमाओं सहित अपशिष्ट घटकों की सूची

वर्ग क : निक्षालन सांद्रता सीमाओं पर आधारित [विषाक्तता लक्षण निक्षालन प्रक्रिया (टीसीएलपी) या घुलनशील प्रारंभिक सीमा सांद्रता (एसटीएलसी)]

वर्ग	संघटक	सांद्रता मि.ग्रा/ली.में
(1)	(2)	(3)
क1	आर्सेनिक	5.0
क2	बेरियम	100.0
क3	कैडमियम	1.0
क4	क्रोमियम और/या क्रोमियम (III) यौगिक	5.0
क5	लेड	5.0
क6	मैगनीज	10.0
क7	पारा	0.2
क8	सेलेनियम	1.0
क9	चांदी	5.0
क10	अमोनिया	50*
क11	साइनाइड	20*
क12	नाइट्रेट (नाइट्रेट-नाइट्रोजन के रूप में)	1000.0
क13	सल्फाइड ($एच_2एस$ के रूप में)	5.0
क14	1,1 - डायक्लोरोइथिलीन	0.7
क15	1,2 - डायक्लोरोइथेन	0.5
क16	1,4 - डायक्लोरोबेंजीन	7.5
क17	2,4,5 - ट्राइक्लोरोफिनॉल	400.0
क18	2,4,6 - ट्राइक्लोरोफिनॉल	2.0
क19	2,4 - डायनाइट्रोटॉलुइन	0.13
क20	बेंजीन	0.5

IndiaCode

वर्ग	संघटक	सांद्रता मि.ग्रा/ली.में
(1)	(2)	(3)
क21	बेंजो (क) पायरिन	0.001
क22	ब्रोमोडाइक्लोरोमिथेन	6.0
क23	ब्रोमोफॉर्म	10.0
क24	कार्बनटेट्राक्लोराइड	0.5
क25	क्लोरोबेंजीन	100.0
क26	क्लोरोफॉर्म	6.0
क27	क्रिसोल (ऑर्थो + मीटा + पारा)	200.0
क28	डाईब्रोमोक्लोरोमिथेन	10.0
क29	हेक्साक्लोरोबेंजिन	0.13
क30	हेक्साक्लोरोब्यूटाडिन	0.5
क31	हेक्साक्लोराइथेन	3.0
क32	मिथाइलइथाइल किटोन	200.0
क33	नेपथलिन	5.0
क34	नाइट्रोबेंजिन	2.0
क35	पेंटाक्लोरोफेनोल	100.0
क36	पाइरीडिन	5.0
क37	टेट्राक्लोरोइथिलीन	0.7
क38	ट्राईक्लोरोइथिलीन	0.5
क39	विनाइलक्लोरोइड	0.2
क40	2,4,5 - टी.पी. (सिलवेक्स)	1.0
क41	2,4 - डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसेटिक एसिड	10.0
क42	अलाक्लोर	2.0
क43	अल्फा एचसीएच	0.001
क44	एट्राजाइन	0.2
क45	बीटा एचसीएच	0.004
क46	ब्यूटाक्लोर	12.5
क47	क्लोरडेन	0.03
क48	क्लोरपाइरीफॉस	9.0
क49	डेल्टा एचसीएच	0.004
क50	एंडोसल्फान (अल्फा + बीटा + सल्फेट)	0.04
क51	एंड्रिन	0.02
क52	इथियॉन	0.3
क53	हेप्टाक्लोर (और इसके इपॉक साइड)	0.008
क54	आइसोप्रोटूरॉन	0.9
क55	लिंडेन	0.4
क56	मालाथियॉन	19
क57	मिथॉक्सीक्लोर	10
क58	मिथाईलपाराथिअन	0.7
क59	मोनोक्रोटोफॉस	0.1
क60	फोरेट	0.2

IndiaCode

वर्ग	संघटक	सांद्रता मि.ग्रा/ली.में
(1)	(2)	(3)
क61	टॉक्साफिन	0.5
क62	एन्टीमोनी	15
क63	बेरिलियम	0.75
क64	क्रोमियम (vi)	5.0
क65	कोबाल्ट	80.0
क66	तांबा	25.0
क67	मोलिवडेनम	350
क68	निकेल	20.0
क69	थैलियम	7.0
क70	वानाडियम	24.0
क71	जिंक	250
क72	फ्लोराइड	180.0
क73	अल्ड्रिन	0.14
क74	डाईक्लोरीडाईफिनाइलट्राईक्लोरीइथेन (डीडीटी), डाईक्लोरीडाईफिनाइलडाईक्लोरीइथिलिन (डीडीई), डाईक्लोरीडाईफिनाइलडाईक्लोरीइथेन (डीडीडी)	0.1
क75	डाईएल्ड्रिन	0.8
क76	किपोन	2.1
क77	माइरेक्स	2.1
क78	पोलीक्लोरोनिटेड बाईफिनाइल	5.0
क79	डॉईऑक्सिन 2,3,7,8-टीसीडीडी	0.001

IndiaCode

वर्ग ख : कुल प्रारंभिक सीमा सांद्रता (टीटीएलसी) पर आधारित

वर्ग	संघटक	सांद्रता मि.ग्रा./कि.ग्रा.
(1)	(2)	(3)
ख1	ऐस्बेस्टस	10000
ख2	टोटल पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन (टीपीएच) (सी5 - सी 36)	5000

टिप्पणी :

(1) वर्ग क के क1 से क61 में संघटकों की सूची के लिए परीक्षण पद्धति विषाक्तता लक्षण निक्षालन प्रक्रिया (टीसीएलपी) पर आधारित होगा और निक्षालन योग्य संघटकों के निष्कर्षण हेतु यूएसईपीए परीक्षण पद्धति 1311 का प्रयोग किया जाएगा।

(2) वर्ग क के क62 से क79 के घटकों की सूची के लिए परीक्षण पद्धति घुलनशील प्रारंभिक सीमा सांद्रता (एसटीएलसी) पर आधारित होगी और कैलिफोर्निया कोड विनियमन (सीसीआर) के शीर्षक 22 की धारा 66261 के परिशिष्ट ।। में दी गई अपशिष्ट निष्कर्षण परीक्षण (डब्ल्यूएटी) प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा।

(3) अमोनिया (क10), साइनाइड (क11) और क्रोमियम VI क64 के मामले में, निष्कर्षण टीसीएलपी/एसटीएलसी पक्रियाओं में निर्दिष्ट निक्षालन माध्यम की बजाय डिस्टिल्ड पानी का प्रयोग करके किया जाएगा।

(4) इन निक्षालन पद्धतियों का उपर्युक्त विशिष्ट लीचिंग/एक्सट्रेक्शन प्रक्रिया सार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रकाशित परिसंकटमय अपशिष्ट के लक्षण वर्णन तथा विश्लेषण के मैनुअल में शामिल है और यदि यदि यह पद्धति उक्त मैनुअल में शामिल न हो तो मापन के लिए उपयुक्त संदर्भ पद्धति अपनाई जा सकती है।

(5) एस्बेस्टस के मामले में, निर्दिष्ट सांद्रता सीमाएं केवल तभी लागू होंगी यदि सामग्री भुरभुरी, पाउडरीकृत या महीन टुकड़े की अवस्था में हो।

(6) अपशिष्ट में विश्लेषित किए जाने वाले परिसंकटमय घटक उद्योग की प्रकृति और प्रक्रिया में प्रयुक्त सामग्रियों के प्रासंगिक होंगे।

(7) ऐसे अपशिष्ट जिसमें नीचे सूचीबद्ध घटकों में से कोई एक पाया जाए तो उन्हें परिसंकटमय समझा जाएगा परंतु यह कि वे इस अनुसूची के वर्ग ग में सूचीबद्ध विशेषताओं को प्रदर्शित करें :

1.	एसिड एमाइड

2.	एसिड हाइड्राइड
3.	एमाइन
4.	एंथ्रासिन
5.	श्रेणी क में सूचीबद्ध को छोड़कर अन्य ऐरोमेटिक कंपाउंड
6.	ब्रोमेट, (हाइपो-ब्रोमाइट)
7.	क्लोरेट (हाइपो-क्लोराइट्स)
8.	कार्बोनील
9.	फेरो- सिलिकेट और एलाय
10.	हैलोजेन - ऐसे यौगिक वाली सामग्री जो आर्द्र वायु या जल के साथ संपर्क में आने पर एसिडिक वाष्प उत्पन्न करते हैं अर्थात सिलिकॉन ट्रेट्राक्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड
11.	हैलोजन - साइलेनेस
12.	हैलोजिनेटेड एलिफेटिक कंपाउंड
13.	हाइड्राजाइन
14.	हाइड्राइड
15.	अकार्बनिक एसिड
16.	अकार्बनिक पेरॉक्साइड
17.	अकार्बनिक टिन कंपाउंड
18.	लोडेट
19.	(आइसो ऑर थायो-) साइनेट
20.	मैंगनीज-सिलिकेट
21.	मर्कैप्टन
22.	मेटल कार्बोनिल
23.	मेटल हाइड्रोजन सल्फेट
24.	नाइट्राइड
25.	नाइट्राइल
26.	कार्बनिक ऐजो और एजोक्सी कंपाउंड
27.	कार्बनिक पेरोक्साइड
28.	कार्बनिक ऑक्सीजन कंपाउंड
29.	कार्बनिक सल्फर कंपाउंड
30.	कार्बनिक-टिन कंपाउंड
31.	कार्बनिक नाइट्रो-और नाइट्रोसो कंपाउंड
32.	हाइड्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन, एल्युमिनियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम के ऑक्साइडों और हाइड्रोक्साइडों को छोड़कर ऑक्साइड और हाइड्रोऑक्साइड
33.	फिनैनथ्रिनिन
34.	फिनॉलिक कंपाउंड
35.	एल्युमिनियम कैल्सियम और आयरन के फॉस्फेटों को छोड़कर फॉस्फेट कंपाउंड
36.	प्री-एसिड के साल्ट
37.	कुल सल्फर
38.	टंग्स्टन कंपाउंड
39.	टेल्युरियम और टेल्युरियम कंपाउंड
40.	सफेद और लाल फॉस्फेरस

IndiaCode

41.	2-एसिटाइलएमिनोफ्लोरिन
42.	4-एमिनोडाइफिनाइल
43.	बेंजीडाइन और इसके साल्ट
44.	बिस (क्लोरोमिथाइल) इथर
45.	मिथाइल क्लोरोमिथाइल इथर
46.	1,2 - डाइब्रोमो-3-क्लोरोप्रोपेन
47.	3,3- डाइक्लोरोबेंजिडाइन और इसके साल्ट
48.	4-डाइमिथाइलएमिनोएजोबेंजिन
49.	4-नाइट्रोबाइफिनाइल
50.	बीटा-प्रोपायोलैक्टोन

वर्ग ग : परिसंकटमय विशेषताओं के आधार पर

ऊपर दिए गए सांद्रता सीमा के अलावा, पदार्थ या अपशिष्ट को परिसंकटमय अपशिष्ट के रूप में वगीकृत किया जाएगा यदि अपशिष्ट में निम्नलिखित में से कोड परिसंकटमय भी संघटक की उपस्थिति प्रदर्शित होती हो:

वर्ग ग1: ज्वलनशील- अपशिष्ट जिके नमूने में ज्वलनशील या आग पकड़ने वाला निम्नलिखित में से कोई भी गुण प्रदर्शित हो, नामत :-

(i) ज्वलनशील द्रव, या द्रवों का मिश्रण, या द्रव जिसके घोल में ठोस या आस्थगन (उदाहरणार्थ, पेंट, वार्निश, रोगन आदि, परंतु वैसे सत्व या अपशिष्ट शामिल न हों जिन्हें उनकी परिसंकटमय विशिष्ट के कारण अन्यथा वगीकृत किया गया हो), जिनसे 60^0 सेल्यिस के कम तापमान पर ज्वलनशील वाष्प उत्सर्जित होती हो। इस दीप्ति बिंदु का मापन एएसटीएमडी 93-79 के अनुरूप क्लोज्ड कप टेस्ट प्रणाली द्वारा या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रकाशित एक समतुल्य परीक्षण पद्धति द्वारा यथा निर्धारित तरीके से किया जाएगा;

(ii) जो द्रव न होते हुए भी मानक तापमान और दबाव पर घर्षण, नमी के अपशोषण या स्वत: प्रवर्तित रासायनिक परिवर्तनों और सुलगाने पर प्रबलता से निरंतर जलते हुए परिसंकट उत्पन्न करने में सक्षम हों ;

(iii) जो दहनीय संपीडित गैस हो;

(iv) जो ऑक्सीकारक हो और विशिष्टिकरण के उद्देश्य से वैसा पदार्थ जैसे क्लोरेट, परमैंगनेट, अकार्बनिक पेरोक्साइड, या नाइट्रेट हैं, जो कार्बनिक पदार्थ के दहन को तीव्र करने के लिए तत्परता से ऑक्सीजन नसर्जित करते हैं।

वर्ग ग2: संक्षारकता- अपशिष्ट जिसके प्रतिनिधिक नमूने में निम्नलिखित में से संक्षारकता की कोई भी विशिष्टि प्रदर्थित होती हो, नामत :-

(i) जो जल युक्त हो और जिसका पीएच 2 के समतुल्य या उससे न्यून या 12.5 के समतुल्य या अधिक हो;

(ii) जो द्रव हो और इस्पात (एसएई1020) का परीक्षयमान 55^0 सेल्सियस के तापमान पर 6.35 मिमी प्रतिवर्ष की दर से संक्षरण करें;

(iii) जो जलयुक्त न हो और, समभार जल के साथ मिश्रित किए जाने पर ऐसा कोल बनाता हो, जिसका पीएच2 से न्यून या 12.5 से अधिक या समतुल्य हो;

(iv) जो द्रव न हो और, समतुल्य भार जल के साथ मिश्रित किए जाने पर ऐसा द्रव उत्पन्न करता हो जो इस्पात (एसएई1020) को परीक्षयमान 55^0 सेल्सियस के तापमान पर 6.35 मिमी प्रतिवर्ष से अधिक की दर संक्षरित करता हो।

टिप्पणी :

संक्षारकता निर्धारित करने के उद्देश्य से, पीएच निर्धारण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो 9040 ग पद्धति, संक्षारकता विशेषताओं को स्थापित करने के लिए स्टील (एसएई1020) की दिशा में संक्षारकता के लिए एनएसीई टीएम 01 69 : धातुओं के प्रयोगशाला संक्षारण परीक्षण और ईपीए 1110क पद्धति को अपनाया जाएगा।

वर्ग ग3: प्रतिक्रियात्वमकता विस्फोटक- ठोस अपशिष्ट प्रतिक्रियात्मक विशिष्ट युक्त माना जाएगा यदि अपशिष्ट का प्रतिनिधिक नमूना निम्नलिखित प्रदर्शित करें, नामत :-

(i) जो सामान्य या अस्थिर हो बिना डिटोनेटिंग के आसानी से उग्र परिवर्तन उत्पन्न करता हो;

(ii) जो जल के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करे या जल के साथ प्रछन्न विस्फोटक मिश्रण बनाता हो;

IndiaCode

(iii) जो जल के साथ मिश्रित किए जाने पर मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरनाक मात्रा में विषैली गैस, वाष्प या धूम्र उत्पन्न करें;

(iv) जो सायनाइड या सल्फाइड हो, जिसे 2 और 12.5 पीएच अवस्थिति में एक्सपोज किए जाने पर मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरनाक मात्रा में विषैली गैस, वाष्प या धूम्र उत्पन्न होता हो;

(v) जो डिटोनेशन या विस्फोटक प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो, यदि इसे प्रबल अनभयस्त स्रोत के सामीण्य या परिरुद्ध तापित किया जाए;

(vi) जो डिटोनेशन या विस्फोटक अपघटन या मानक तापमान और दबाव पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो;

(vii) जो प्रतिबंधित विस्फोटक हो।

वर्ग ग4: विषाक्त - अपशिष्ट विषाक्तता का लक्षण प्रदर्शित करता है, यदि

(i) अपशिष्ट के संघटकों की सांद्रता इस अनुसूची के वर्ग क और ख में सूचीबद्ध सीमा के समतुल्य या उसमें अनुज्ञेय निर्धारित सीमा से अधिक हो;

(ii) यह प्रति किलोग्राम 2500 मि.ग्रा. से कम तीक्ष्ण मौखिक एलडी50 रहा हो;

(iii) इसमें प्रति किलोग्राम 4300 मि.ग्रा. से कम तीक्ष्ण त्वचीय एलडी50 रहा हो;

(iv) गैस या वाष्प के रूप में प्रति मिलियन 10000 भाग से कम तीक्ष्ण अंत:श्वसन एलसी50 रहा हो;

(v) विलियन जल में प्रति लीटर 500 मि.ग्रा. के सांद्रण और बीआईएस परीक्षण पद्धति 6582-2001 में यथानिर्दिष्ट परीक्षण परिस्थितियों में जेब्राफिश (ब्रेकिडेनियो रेरियो) के लिए 96 घंटे के अंदर 50 प्रतिशत मृत्यु दर के साथ तीक्ष्ण जलीय विषाक्तता रखता हो;

(vi) अनुभव या मानक संदर्भ परीक्षण पद्धति के आधार पर जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण को अपनी कैंसरकारी, म्यूटाजेनेसिटी, इंडोक्रइिन भंगुरता, अचिर विषाक्तता, चिर विषाक्तता, जैव संग्राही गुणों या पर्यावरण में उपस्थिति के कारण खतरा उत्पन्न करे।

वर्ग ग5 : पदार्थ या अपशिष्ट जो स्वत: ज्वलनशील हो - ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट जिनके परिवहन में सामान्य स्थितियों के अंतर्गत स्वत: गर्म होने या वायु के संपर्क में आने पर गर्म होने और तत्पश्चात इसमें आग पकड़ लेने की प्रवृत्ति हो।

वर्ग ग6 : पदार्थ या अपशिष्ट जो जल से मिश्रित होने पर ज्वलनशील गैस उत्सर्जित करते हों - ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट जो जल से संपर्क में आने पर स्वत: ज्वलनशील हों या खतरनाक मात्रा में ज्वलनशील गैस उत्पन्न करते हों।

वर्ग ग7 : ऑक्सीकारक - ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट जो स्वयं अनिवार्य रूप से दहनशील न हों, किन्तु सामान्यतया ऑक्सीजन उत्पन्न करके अन्य सामग्री में आग लगने के कारक या सहायक हो सकते हैं।

वर्ग ग8 : कार्बनिक पेराऑक्साइड : ऐसे कार्बनिक पदार्थ या अपशिष्ट जिनमें वाइवेलेंट ओ-ओ संरचना हो, जिनमें एक्जोथर्मिक स्वत: त्वरित विघटन हो सकता हो।

वर्ग ग9 : विष (तीव्र) : ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट जिन्हें यदि निगल या सूंघ लिया जाए या त्वचा से संपर्क में आ जाएं तो मृत्यु का कारण बन सकते हों, गंभीर क्षति पहुंचा सकते हों या स्वास्थ के लिए हानिकारक हो सकते हों।

वर्ग ग10 : संक्रामक पदार्थ - ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट जिनमें व्यवहार्य सूक्ष्म जीव या उनके विष हों जो पशुओं या मनुष्यों में बीमारी फैलाते हों।

वर्ग ग11 : वायु या जल से संपर्क में आने पर विषाक्त गैसों का उत्सर्जन - ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट जो वायु या जल से संपर्क में आने पर खतरनाक मात्रा में विषाक्त गैसें उत्सर्जित करें।

वर्ग ग12 : पारि-विषाक्त - ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जो यदि उत्सर्जित हो जाएं तो पर्यावरण पर तात्कालिक या विलंबित रूप से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हों या विषैले प्रभाव छोड़ सकते हों।

वर्ग ग13 : जो किसी उपाय से निस्तारण के पश्चात अन्य सामग्री विसर्जित कर सकते हों अर्थात लीचेट जिसमें ऊपर सूचीबद्ध विशेषताओं में से कोई एक विशेषता हो सकती है।

(नियम 3 (1) (17)(iii), (3)(23),12,13 और 14 देखें)

(भाग क)

भाग क : पूर्व सूचित स्वीकृति सहित आयात और निर्यात के लिए अनुप्रयुक्त परिसंकटमय अपशिष्टों पदार्थों की सूची बेसल कन्वेंशन का उपाबंध VIII*)

बेसल सं.	**परिसंकटमय अपशिष्ट का वर्णन**
(1)	**(2)**
क 1	**धातु और धातु युक्त अपशिष्ट**
क 1010	धातु अपशिष्ट और वे अपशिष्ट जिसमें निम्नलिखित किसी भी धातु के एलाय हों किन्तु भाग ख और भाग घ में विशिष्ट रूप से सूचीबद्ध ऐसे अपशिष्टों को छोड़कर - एंटिमनी - कैडमियम - सीसा - टेल्यूरियम
क 1020	अपशिष्ट जिनमें संघटक या संदूषक हैं, स्थूल रुप में धातु अपशिष्टों को छोड़कर, कोई या निम्नलिखित : - एंटिमनी, एंटिमनी यौगिक - कैडमियम, कैडमियम यौगिक - सीसा, सीसा यौगिक - टेल्यूरियम, टेलयूरियम यौगिक
क 1040	अपशिष्ट जिनमें धातु कार्बोनाईल संघटक हो
क 1050	गैल्वेनिक गाद
क 1070	जस्ता प्रसंस्करण, धुल और आपंक से निच्छालित अवशेष अर्थात जेरोसाइट, हेमेटाईट आदि
क 1080	सांद्रणों में सीसा और कैडमियम वाली सूची ख में सम्मिलित न किए गए अपशिष्ट जिंक अवशेष के भाग ग में उपदर्शित परिसंकटमय लक्षण संप्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है।
क 1090	विद्युतरोधी तांबे की तारों के भष्मीकरण से प्राप्त भष्म
क 1100	तांबा प्रगालक की गैस शोधन प्रणाली से प्राप्त धूल और अवशेष
क 1120	तांबा विद्युत परिष्करण और विद्युत प्रापण की संक्रियाओं में से विद्युत अपघटनी शोधन प्रणाली के एनोड अवपंक को छोड़कर अपशिष्ट स्लज
क 1140	अपशिष्ट क्यूपुरिक क्लोराइड और कॉपर साइनाइड उत्प्रेरक जो तरल स्वरूप में न हों, अनुसूची VI में संबंधित इंदराज नोट करें
क 1150	मुद्रित परिपथों के भष्मीकरण से उत्पन्न मूल्यवान धातु भष्म जो भाग ख के अंतर्गत न हो
क 1160	अपशिष्ट लेड एसिड बैटरियां या संपूर्ण या कुचली हुईं
क 1170	बिन छटी पुरानी बैटरियों का सम्मिश्रण जो भाग ख बैटरियों में शामिल नहीं हैं। अपशिष्ट बैटरियां जो अनुसूची II में उल्लिखित भाग ख निहित संघटकों में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, परिसंकटमय हैं।
क 2	**मुख्यत: अकार्बनिक संघटकों वाले अपशिष्ट जिसमें धातु और कार्बनिक पदार्थ अंतर्विष्ट हों**
क 2010	कैथोड किरण नालिकाएं और अन्य सक्रियकृत कांच से सक्रियकृत कांच के अपशिष्ट
क 2030	कैटालिस्ट अपशिष्ट किन्तु सूची ख में विनिर्दिष्ट ऐसे अपशिष्टों को छोड़कर
क 3	**मुख्यता कार्बनिक संघटकों वाले अपशिष्ट, जिसमें धातु और अकार्बनिक सामग्री हों**
क 3010	पेट्रोलियम कोक और बिटुमेन के उत्पादन या प्रसंस्करण से उत्पन्न अपशिष्ट
क 3020	अपशिष्ट खनिज तेल जो उनके मूल रुप में आशायित उपयोग के लिए अनुपयुक्त हों
क 3050	रेसिन लेटेक्स, प्लास्टिसाइजर, सरेश या आसजंकों के उत्पादन, संरुपण एवं उपयोग से उत्पन्न ऐसे अपशिष्ट, सूची ख में विर्निदिष्ट ऐसे अपशिष्टों को छोड़कर (ख 4020)

IndiaCode

क 3120	श्रेडिंग से फ्लफ-लाइट फ्रैक्शन
क 3130	अपशिष्ट कार्बनिक फास्फोरस यौगिक
क 4	**ऐसे अपशिष्ट जिनमें या तो अकार्बनिक या कार्बनिक संघटक हों।**
क 4010	भेषज उत्पादों के उत्पादन और निर्मित तथा उपयोग से उत्पन्न अपशिष्ट किन्तु उन अपशिष्टों को छोड़कर जो सूची ख में विनिर्दिष्ट हैं।
क 4040	काष्ठ संरेक्षी रसायन के विनिर्माण संरुपण और उपयोग से उत्पन्न अपशिष्ट (इसमें काष्ठ संरक्षण रसायनों से उपचारित काष्ट शामिल नहीं है)
क 4070	स्याही, रंजक, वणक, आसव, प्रलाक्षा वार्निश के उत्पादन, संरुपण और उपयोग से उत्पन्न अपशिष्ट सूची ख में विनिर्दिष्ट को छोड़कर (4010)
क 4100	औद्योगिक बहिगैस के शोधन के लिए औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों से प्राप्त अपशिष्ट ऐसे अपशिष्टों को छोड़कर जो सूची ख में विनिर्दिष्ट हैं
क 4120	अपशिष्ट जिसमें पेरोऑक्साइड हो सकता है, मिश्रित हो सकता है या संदूषित हो सकता है
क 4130	ऐसे अपशिष्ट पैकेज और आद्यान, जिनमें अनुसूची 3 के भाग ग की खतरनाक विशेषताओं को परिलक्षित करने के लिए पर्याप्त सांद्रण में अनुसूची ।। के घटक शामिल हों
क 4140	अनुसूची ।। में उल्लिखित और अनुसूची ।।। के भाग ग की खतरनाक विशेषताओं का प्रदर्शित करने वाले घटक के तदनुरूपी विशिष्टी या पुराने रसायनों (विनिर्माता द्वारा संस्तुत अवधि के अंदर प्रयोग न किया गया) से युक्त या मिश्रित अपशिष्ट
क 4160	मुक्तशेष सक्रियत कार्बन जो सूची ख में शामिल नहीं है (ख 2060)

*यह सूची परिसंकटमय अपशिष्ट के सीमा पार संचलन पर बेसल कन्वेंशन के उपाबंध VIII पर आधारित है तथा इसमें कन्वेंशन के अनुच्छेद 1, पैरा 1 (क) के अधीन परिसंकटमय के रुप में माने गए अपशिष्ट समाविष्ट हैं। इस सूची में अपशिष्टों का समावेशन परिसंकटमय के शब्द को अलग नहीं करता है।

बेसल कन्वेंशन के उपाबंध VIII में (इस अनुसूची के भाग ग) में दिए गए परिसंकटमय लक्षणों के उपयोग से प्रदर्शित होता है कि अपशिष्ट परिसंकटमय नहीं है। **भाग-क में परिसंकटमय अपशिष्ट प्रतिबंधित हैं तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय के लाइसेंस, यदि लागू हो, के बिना उनका आयात किए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती।**

भाग ख

आयात और निर्यात के लिए लागू होने वाले अन्य अपशिष्टों की सूची, जिनके लिए पूर्व सूचित सहमति अपेक्षित नहीं है। (बेसल कन्वेशन का उपाबंध IX*)

बेसल सं.	**अपशिष्टों का वर्णन**
ख 1	**धातु और धातुयुक्त अपशिष्ट**
ख1010	धात्विक, गैर-परिक्षेपण रुप में धातु और धातु एलॉय अपशिष्ट :
	-थोरियम स्क्रैप
	-रेयर अर्थ स्क्रैप
ख 1020	निम्नलिखित (शीट, प्लेट, बीम, छड़ इत्यादि) के रूप में निर्मित एलॉय सहित स्वच्छ, असंदूषित धातु स्क्रैप :
	- एंटिमनी स्क्रैप
	-बेरिलियम स्क्रैप
	- कैडमियम स्क्रैप
	- सीसा स्क्रैप (सीसा अम्ल बैटरियों को छोड़कर)
	-सिलिनियम स्क्रैप
	- टेल्युरियम स्क्रैप
ख 1030	अपशिष्ट निहित अपवर्तक धातुएं

ख 1031	धात्विक परिक्षेपण रुप (धातु चूर्ण) में मोल्बिडेनम, अंगस्टन, टिटेनियम, टेंटालूम, नियोबियम एवं रहेनियम धातु और मिश्र धातु अपशिष्ट, सूची क के अंतर्गत प्रविष्टि क 1050 में विनिर्दिष्ट ऐसे अपशिष्टों को छोड़कर, गाल्वनिक स्क्रैप
ख 1040	विद्युतशक्ति उत्पादन के समंजक स्क्रैप जो स्नेहक तेल, पीसीबी या पीसीटी द्वारा परिसंकटमय तय करने की सीमा तक प्रदूषित न हो।
ख 1050	भाग ग विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त सांद्रता में अनुसूची II में वर्णित कैडमियम, एंटिमनी, शीशा और टेल्यूरियम निहित मिश्रित अलौह धातु हैवी फ्रैक्शन स्क्रैप
ख 1060	पाउडर सहित धात्विक एलिमेंटल रुप में अपशिष्ट सिलिनियम और टेल्यूरियम
ख 1070	ताम्र और ताम्र मिश्र धातुओं का अपशिष्ट विक्षेपित रुप में जब तक कि उनमें अनुसूची II में उल्लिखित कोई संघटक जो भाग ग की विशेषताओं का प्रदर्शन करने की सीमाओं तक विनिर्दिष्ट सांद्रण सीमाओं तक अंतर्विष्ट न हो।
ख 1080	जिंक भस्म और अपशिष्ट जिसमें मिश्र अपशिष्ट विक्षेपित रुप में हो जब तक कि उनमें अनुसूची II में उल्लिखित कोई संघटक जो भाग ग की विशेषताओं का प्रदर्शन करने की सीमाओं तक विनिर्दिष्ट सांद्रण सीमाओं तक अंतर्विष्ट न हो।
ख 1090	मानक बैटरी विनिर्देश के अनुरुप अपशिष्ट बैटरियां, सीसा, कैडमियम या पारे से बनी बैटरियों को छोड़कर।
ख 1100	धातुओं को गलाने, प्रगलन और परिष्करण से उत्पन्न अपशिष्ट युक्त धातु :
	- आर्सेनिक, शीशा या कैडमियम निहित स्लैग जो प्रसंस्करण या परिष्करण के लिए ताम्र प्रसंस्करण से प्राप्त होता हो।
	- पुन: परिष्करण हेतु बहुमूल्य धातुओं के प्रसंस्करण से प्राप्त स्लैग ताम्र ग्लन से उत्पन्न क्रुसिबल सहित रिफ्रैक्ट्री संस्तर के अपशिष्ट
	0.5% से कम टिन सहित टैंटेलम युक्त टिन स्लैग
ख 1110	अनुसूची III के भाग ग में सूचीबद्ध एसेम्बलीज को छोड़कर प्रयुक्त विद्युत और इलैक्ट्रॉनिक एसेम्बलीज
	- वैद्युत और इलैक्ट्रोनिक एसेम्बलीज जिनमें केवल धातुएं या मिश्र धातुएं हों -इलैक्ट्रिकल और इलैक्ट्रोनिक पुर्जों के ऐसे स्क्रैप अपशिष्ट (छपाईयुक्त सर्किट बोर्ड सहित) जिनमें अनुसूची III के भाग क में शामिल एक्यूमुलेटर्स तथा अन्य बैटरियां, मरकरी स्विच, कैथोड रे ट्यूबों के कांच व अन्य क्रियाशील कांच पीसीबी कैपीसिटर्स इत्यादि न हो या कैडमियम, मरकरी, सीसा पॉलीक्लोरीनेटिड बाई फिनाइल जैसे अवयवों से संदूषित न हो या उन चीजों से जिनमें इन्हें निकाला गया हो और उनमें अनुसूची III के भाग ग में निहित विशेषता, उसमें विनिर्दिष्ट सांद्रण की सीमा तक न हों।
ख 1120	प्रयुक्त कैटलिस्ट सिवाए ऐसे तरल पदार्थों के जिसका उपयोग कैटालिस्ट के रुप में किया गया हो, जिनमें निम्न में से कोई भी शामिल हो : ट्रांजीशन धातुएं, भाग क और अनुसूची VI में शामिल अपशिष्ट कैटालिस्ट को छोड़कर (प्रयुक्त कैटालिस्ट, कैटालिस्ट के रुप में उपयोग किए गए तरल पदार्थ या अन्य कैटालिस्ट) : स्कैन्डियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज लौह कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक यट्रियम जिरकोनियम नियोबियम मॉलिब्डेनम हैफनियम टैंटालम टंगस्टन रेनियम लैन्थेनाइड (दुर्लभ-भू धातुएं) : लैन्थेनम सीरियम प्रासियोडायमियम नियोडाईमियम समेरियम यूरोपियम गेडोलिनियम टरबियम डिसप्रोसियम होलमियम इर्बियम थुलियम येटरवियम लुटेटियम

ख 1130	कैटालिस्टयुक्त क्लीन्ड स्पैंट बहुमूल्य धातु
ख 1140	ठोस रुप में बहुमूल्य धातु, जिसके अंतर्विष्ट अपशिष्ट जिसके अंतर्विष्ट अनुरेख अकार्बनिक साइनाइड हो
ख 1150	समुचित पैकेजिंग तथा लेबलिंग के साथ प्रक्षिण्ण स्वरूप में मूल्यवान धातु, और मिश्र धातु अपशिष्ट (सोना, चांदी, प्लेटिनम वर्ग के किन्तु पारा को छोड़कर)
ख 1160	मुद्रित सर्कट बोर्ड के भस्मीकरण बहुमूल्य धातु भस्म, (सूची क क 1150 से संबंधित प्रविष्टि नोट करें)
ख 1170	फोटोग्राफिक फिल्म के भस्मीकरण से बहुमूल्य धातु भस्म
ख 1180	चांदी हैलाइड और धात्विक चांदी वाली अपशिष्ट फोटोग्राफिक फिल्म
ख 1190	चांदी हैलाइड और धात्विक चांदी वाला अपशिष्ट फोटोग्राफिक कागज
ख 1200	आयरन और स्टील के विनिर्माण से उत्पन्न ग्रेनुलेटिड स्लैग
ख 1210	आयरन और स्टील के उत्पादन से उत्पन्न स्लैग जिसमें टिटेनियम डाइ-ऑक्साइड और वेनेडियम के स्रोत के रुप में स्लैग शामिल हैं
ख 1220	जिंक उत्पादन के स्लैग, कैमिकली स्टैब्लाइज्ड, जिसमें आयरन अंश अधिक है (20% से अधिक) और जिसे औद्योगिक विनिर्देशों के अनुसार मुख्यत: निर्माण के लिए प्रसंस्कृत किया गया है
ख 1230	आयरन और स्टील के विनिर्माण से उत्पन्न मिल स्केलिंग**
ख 1240	कापर-ऑक्साइड मिल स्केल
ख 2	**मुख्यत: अकार्बनिक संघटक वाले अपशिष्ट धातु जिनमें धातु और कार्बनिक तत्व हो सकते हैं।**
ख 2010	गैर-विक्षेपित रुप में खनन संक्रियाओं से अपशिष्ट :
	- प्राकृतिक ग्रेफाइट अपशिष्ट
	- स्लेट अपशिष्ट
	- अभ्रक अपशिष्ट
	- ल्यूसाइट, नेफलाइन और नेफलाइन साइनाइट अपशिष्ट
	- फेल्डसपार अपशिष्ट
	- फ्लोरस्फार अपशिष्ट
	- फाउंड्री संक्रियाओं में प्रयुक्त सिलिका को छोड़कर ठोस रुप में सिलिका अपशिष्ट
ख 2020	गैर-विक्षेपित रुप में कांच अपशिष्ट : - कांच क्युलेट और अन्य अपशिष्ट कैथोड रे ट्यूबों अन्य और एक्टिवेटिड कांच से एक्टिवेटिड क्यूलेट के अलावा कांच स्क्रैप
ख 2030	गैर-विक्षेपित रुप में सेरामिक अपशिष्ट :
	सेरामिक अपशिष्ट और स्क्रैप (धातु सेरामिक लवण) - सेरामिक आधारित रेशें
ख 2040	मुख्यतया अकार्बनिक घटक वाले अन्य अपशिष्ट :
	- फ्लू गैस डीसलफरीजेशन से उत्पन्न आंशिक परिष्कृत कैल्शियम सल्फेट (एफजीडी) - भवन गिराने से उत्पन्न अपशिष्ट जिप्सम वालबोर्ड या प्लास्टर बोर्ड -मुख्य रूप से निर्माण और अपघर्षी अनुप्रयोगों के लिए औद्योगिक विशिष्टियों के अनुसार प्रसंस्कृत और उच्च लौह तत्व (20% से अधिक) वाले रासायनिक रूप से स्थिर, ताम्र उत्पादन से स्लैग - ठोस रुप में सल्फर - कैल्शियम सायनामाइड के उत्पादन से लाइमस्टोन (पीएच < 9) - सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड - कारबोरन्डम (सिलिकॉन कारबाइड) - खंडित कंक्रीट

IndiaCode

	- लिथियम टेन्टालम और कांच स्क्रैप वाला निहित लिथियम-नियोबियम
ख 2060	अनुसूची ।। के किसी घटक के भाग ग के लक्षणों के प्रदर्शन की सीमा तक युक्त स्पैन्ट एक्टिवेटेड कार्बन, उदाहरणार्थ पेयजल की अभिक्रिया और खाद्य उद्योग की प्रक्रियाओं और विटामिन उत्पादन के कारण होने वाले स्पैन्ट एक्टिवेटिड कार्बन (भाग क (क 4160) पर सम्बद्ध प्रविष्टि नोट करें)
ख 2070	कैल्शियम फ्लोराइड स्लज
ख 2080	अनुसूची VI में शामिल नहीं रसायन उद्योग प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट जिप्सम (क 2040 में संबंधित प्रविष्ट नोट करें)।
ख 2090	पेट्रोलियम कोक या बिटुमन से बने स्टील या एल्युमीनियम उत्पादन से उत्पन्न अपशिष्ट एनोड बट्स, जो कि सामान्य औद्योगिक विनिर्देशों के अनुसार साफ किए गए हैं (क्लोर एल्कली इलैक्ट्रोलाइसिस में एनोड बट्स और मैटालर्जीकल उद्योग को छोड़कर)
ख 2100	एल्युमिनियम के अपशिष्ट हाइड्रेट्स तथा अपशिष्ट अल्युमिना तथा गैस सफाई, फ्लोक्युलेशन या फिल्टर प्रक्रियाओं के लिए प्रयुक्त ऐसी सामग्रियों को छोड़कर
ख 2130	सड़क निर्माण और रख-रखाव से बिटुमिनस सामग्री (एस्फाल्ट अपशिष्ट) जिसमें टार शामिल न हो (अनुसूची VI, क 3200 में संबंधित प्रविष्टि नोट करें)
ख 3	**मुख्यतया कार्बनिक संघटक वाले अपशिष्ट, जिनमें धातु और अकार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं**
ख 3027	लेबल सामग्री उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों से युक्त स्व-आसंजक लेबल लैमिनेट अपशिष्ट
ख 3030	टेक्सटाइल अपशिष्ट निम्नलिखित सामग्रियां बशर्ते कि वे अन्य अपशिष्टों से मिश्रित न हों और निम्नलिखित विशिष्टियों से तैयार किए गए हों : - रेशम अपशिष्ट (रिलिंग, धागा अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक के लिए अनुपयुक्त कॉकून सहित) • कार्डेड या कॉम्ब्ड नहीं • अन्य - धागा अपशिष्ट सहित किन्तु गार्नेटेड स्टॉक को छोड़कर ऊन या पशु के महीन या खुरदरे बाल का अपशिष्ट • ऊन या पशु के पतले बाल के नवॉयल • ऊन या पशु के पतले बाल के अन्य अपशिष्ट • पशु के खुरदरे बाल के अपशिष्ट - सूती अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित) • धागा अपशिष्ट (सूत अपशिष्ट सहित) • गार्नेटेड स्टॉक • अन्य - पटसन की रस्सी और अपशिष्ट - रस्सी और शुद्ध पटुआ के अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित) (कनाविस स्टीवा एल.) - रस्सी और जूट और अन्य टेक्सटाइल बास्ट फाइबर (पटसन, शुद्ध पटुआ और रामी को छोड़कर) के अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित) - रस्सी और सिसाल तथा जेनस वनकुमारी के अन्य टेक्सटाइल रेशों के अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट तथा गार्नेटेड स्टॉक सहित) - रस्सी, नवॉयल तथा नारियल के अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट तथा गार्नेटेड स्टॉक सहित) - रस्सी, नवॉयल तथा अबाका के अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट तथा गार्नेटेड स्टॉक सहित) (मनीला पटुआ या मुसा टेक्सटाइल वर्ग) - रस्सी, नवॉयल तथा नारियल और अन्य वनस्पति टेक्सटाइल रेशों, जिन्हें अन्यत्र कहीं अधिसूचित या सम्मिलित नहीं किया गया है, के अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट तथा गार्नेटेड स्टॉक सहित) - मानव निर्मित रेशों के अपशिष्ट (नवॉयल, धागा अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित) • सिंथेटिक रेशों के • कृत्रिम रेशों के - फटे पुराने वस्त्र और अन्य फटे पुराने टेक्सटाइल पदार्थ - प्रयुक्त रैग, स्क्रैप सुतली, कॉर्डेज, रस्सी तथा केबल और सुतली, कॉर्डेज, रस्सी की फटी पुरानी सामग्रियां या टेक्सटाइल सामग्रियों के केबल

IndiaCode

	• छंटनी किए हुए • अन्य
ख3035	अपशिष्ट टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंग, कार्पेट
ख3040	रबर अपशिष्ट निम्नलिखित सामग्रियां, बशर्ते कि उन्हें अन्य अपशिष्टों के साथ मिश्रित न किया जाए : □ हार्ड रबर (जैसे इबोनाइट) का अपशिष्ट तथा स्क्रैप □ अन्य रबर अपशिष्ट (अन्यत्र निर्दिष्ट ऐसे अपशिष्टों को छोड़कर)
ख3050	अशोधित कॉर्क तथा काष्ठ अपशिष्ट : - काष्ठ अपशिष्ट तथा स्क्रैप, चाहे उन्हें लट्ठों, ब्रिकेटों, पेलेटों या समान स्वरूप में संकुचित किया गया हो या नहीं - कॉर्क अपशिष्ट : कुचले गए, दानेदार या ग्राउंड कॉर्क
ख3060	कृषि-खाद्य उद्योगों से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट, बशर्ते कि वे संक्रामक न हों : - वाइन ली - शुष्क तथा स्टेराइल किए गए सब्जी के अपशिष्ट, अवशिष्ट और उपोत्पाद, चाहे पशुओं के खिलाने में प्रयुक्त पेलेट के रूप में हों या न हों, जिन्हें अन्यत्र अधिसूचित या सम्मिलित नहीं किया गया हो - डेगरा : वसायुक्त पदार्थों या पशु या वनस्पति वैक्स के शोधन के परिणामस्वरूप प्राप्त अवशिष्ट - हड्डियों तथा सिंग के अपशिष्ट, निष्काम, वसामुक्त, समान्य रूप से तैयार (किन्तु आकार में काटे गए नहीं), एसिड से शोधित या जिलेटिन मुक्त - मत्स्य अपशिष्ट - कोकोआ के छिलके, भूसी, चमड़े और अन्य कोकोआ अपशिष्ट - उपोत्पादों को छोड़कर कृषि-खाद्य उद्योग से उत्पन्न अन्य अपशिष्ट जो मानव या पशु उपभोग के लिए राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय अपेक्षाओं और मानकों का अनुपालन करते हों।
ख3070	निम्नलिखित अपशिष्ट : - मानव केश का अपशिष्ट - अपशिष्ट पुआल - पशु चारे के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए पेंसिलिन के उत्पादन से प्राप्त डीएक्टिवेटेड फंगस माइसेलियम
ख3080	रबर के छटनी अपशिष्ट और स्क्रैप
ख3090	चमड़े के गादों को छोड़कर चमड़े के छंटनी तथा अन्य अपशिष्ट या चमड़े की सामग्रियों के उत्पादन के लिए अनुपयुक्त चमड़े के घटक जिनमें हेक्सावैलेंट क्रोमियम मिश्रण और बायोसाइड सम्मिलित न हो (अनुसूची VI, क3100 में संबंधित प्रविष्टि देखें)
ख3100	चमड़े की धूल, राख, गाद या मैदा जिनमें हेक्सावैलेंट क्रोमियम मिश्रण और बायोसाइड सम्मिलित न हो (अनुसूची VI, क3090 में संबंधित प्रविष्टि देखें)
ख3110	फेलमोंगरी अपशिष्ट जिसमें जिनमें हेक्सावैलेंट क्रोमियम मिश्रण या बायोसाइड या संक्रामक पदार्थ सम्मिलित न हो (अनुसूची VI, क3110 में संबंधित प्रविष्टि देखें)
ख3120	खाद्य रंजकों से मिश्रित अपशिष्ट
ख 3130	अपशिष्ट पॉलीमर ईथर और अपशिष्ट गैर-परिसंकटमय मोनोमर ईथर पेराक्साइड फोरमिंग में अक्षम
ख 3140	न्यूमैटिक और अन्य टायर अपशिष्ट, संसाधन पुन:प्राप्ति, पुन:चक्रण, पुन:सुधार किन्तु प्रत्यक्ष पुन:उपयोग न किए जाने वालों को छोड़कर
ख 4	**ऐसे अपशिष्ट, जिनमें अकार्बनिक और कार्बनिक घटक हो सकते हैं :**
ख 4010	मुख्यतया जल आधारित या लेटैक्स पेंट, स्याही और हार्डेंड वार्निश वाले अपशिष्ट, जिनमें कार्बनिक, साल्वेट, भारी धातु या बायोसाइट उस सीमा तक नहीं है कि उन्हें परिसंकटमय कहा जा सके (भाग क 4070 में संबंधित प्रविष्टि देखें)
ख 4020	रेसिन, लेटैक्स, प्लास्टिसाइजर ग्लूस या एडहैसिव के उत्पादन, निर्माण और उपयोग से उत्पन्न अपशिष्ट जो भाग क में सूचीबद्ध नहीं हैं, साल्वेंटमुक्त हैं और उस सीमा तक अन्य संदूषक जो भाग ग की विशेषताओं को नहीं दर्शाते हैं (भाग क, क3050 में संबंधित प्रविष्टि देखें)
ख 4030	बैटरी सहित प्रयुक्त एकल प्रयोग कैमरा, जो भाग क में शामिल नहीं है।
ख 4030	बैटरी सहित प्रयुक्त एकल प्रयोग कैमरा, जो भाग क में शामिल नहीं है।

IndiaCode

* यह सूची परिसंकटमय अपशिष्टों के सीमापार संचलन संबंधी बेसल कन्वेंशन के उपाबंध-IX पर आधारित है और इसमें वे अपशिष्ट सम्मिलित हैं, जो बेसल कन्वेंशन के अनुच्छेद-I में परिसंकटमय के रुप में वर्णित नहीं किए गए हैं। **भाग ख में अपशिष्ट प्रतिबंधित हैं और** इनका निर्यात पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और विदेश व्यापार लाइसेंस महानिदेशालय, यदि लागू हो, की अनुमति के बिना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

नोट :

(1) कॉपर धातुमल, जिसमें तांबा 65% से अधिक और सीसा और कैडमियम क्रमश:1.25% और 0.1% तक या इससे कम, स्पैंट क्लींड मेटल कैटालिस्ट तांबा हो; और तांबा रिवट्र्स, केक और विशिष्ट, जिसमें सीसा और कैडमियम क्रमश: 1.25% और 0.1% या इससे कम हो, को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत इकाईयों (वास्तविक प्रयोक्ताओं) को विदेश व्यापार महानिदेशालय के लाइसेंस के बिना और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्वीकृति से अनुमति है। तांबा रिवर्टस, केक और अपशिष्ट जिनमें सीसा और कैडमियम क्रमश: 1.25% और 0.1% से अधिक है, या उस प्रतिबंधित संवर्ग में है जिसके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वास्तविक प्रयोक्ता) से अनुमति प्राप्त इकाईयों द्वारा प्रसंस्करण या पुन:उपयोग के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय के लाइसेंस के विरूद्ध आयात की अनुमति है।

(2) जिंक राख या वियोजन में स्कीमिंग, जिसमें जिंक 65% से अधिक और सीसा और कैडमियम क्रमश 1.25% और 0.1% या इससे कम है और स्पैट क्लीन्ड मेटल कैटालिस्ट, जिसमें जिंक है, विदेश व्यापार महानिदेशालय की अनुज्ञप्ति के बिना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वास्तविक उपभोक्ता) के साथ रजिस्ट्रीकृत यूनिटों को रजिस्ट्रीकरण पत्र में उपदर्शित वार्षिक मात्रा सीमा तक आयात की अनुमति है। जिंक राख और स्कीमिंग, जिसमें जिंक 65% से कम है और सीसा और कैडमियम क्रमश 1.25% और 0.1% या इससे अधिक है और हार्ड जिंक स्पैल्टर और ताम्र धातुमल, जिसमें सीसा 1.25% से अधिक है, उस निर्बन्धित प्रवर्ग के अधीन है जिसके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वास्तविक उपभोक्ता) से रजिस्ट्रीकृत इकाईयों द्वारा प्रसंस्करण या पुन:उपयोग के प्रयोजन के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय अनुज्ञप्ति पर आयात की अनुमति दी गई है।

भाग ग

परिसंकटमय विशेषताओं की सूची

कोड	**विशेषता**
एच 1	**विस्फोटक**

कोई विस्फोटक पदार्थ या अपशिष्ट ठोस या तरल पदार्थ या अपशिष्ट (या पदार्थों या अपशिष्टों का मिश्रण) है, जो स्वयं में रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ऐसे तापमान और दाब और ऐसी गति पर गैस उत्पादन में समर्थ है, जो आस-पास की वस्तुओं को हानि पहुंचाता है ।

एच 3 **ज्वलनशील द्रव**

"ज्वलनीय" शब्द का वही अर्थ है जो ज्वलनशील का है। ज्वलनशील द्रव्य ऐसे द्रव्य सा द्रव्यों का मिश्रण है या विलयन या निलंबन से ठोसयुक्त द्रव्य है "(उदाहरणार्थ पेंट, वार्निश, रोगन इत्यादि, किन्तु इनमें ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट सम्मिलित नहीं है, जिन्हें उनके खतरनाक विशेषताओं के कारण अन्य रुप में वर्गीकृत किया गया है) जो क्लोज्ड-कप टेस्ट में 60.5 डिग्री सेल्सियस से अनाधिक के तापमान पर या ओपन-कप टेस्ट में 60.5 डिग्री सेल्सियस से अनाधिक के तापमान पर ज्वलनीय वाष्प छोड़ते हैं। (चूंकि ओपन-कप टेस्ट और क्लोज्ड-कप टेस्ट के परिणाम सर्वथा तुलनीय नहीं हैं और समान जांच के पृथक परिणाम भी परिवर्तनशील हैं, अत: ऐसे अंतरों को अनुज्ञात करने के लिए उपरोक्त अंकों से विनियमनों में फेरबदल करना इस परिभाषा के अभिप्राय के अनुरूप होगा)।

एच 4.1 **ज्वलनीय ठोस**

विस्फोटक के रुप में वर्गीकृत से भिन्न ठोस अपशिष्ट ठोस जो परिवहन के दौरान झेली गई परिस्थितियों के अधीन आसानी से आग पकड़ लेते हैं या घर्षण, स्वप्रतिक्रिया से आग लगा सकते हैं।

एच 4.2 **ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जो स्वत: ज्वलनशील है**

ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जिनके परिवहन में सामान्य परिस्थितियों के अधीन स्वत: गर्म होने की संभावना होती है या जो वायु के संपर्क में आने पर गर्म हो जाते हैं और फिर आग पकड़ सकते हैं।

एच 4.3 **जल से संपर्क होने पर ज्वलनीय गैसें उत्सर्जित करने वाले पदार्थ या अपशिष्ट**

ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जो जल से परस्पर क्रिया द्वारा स्वत: ज्वलनीय बनने के या खतरनाक मात्रा में ज्वलनीय गैसे छोड़ सकते हैं।

एच 5.1 **ऑक्सीकरण**

ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जो स्वयं आवश्यक रुप से दहनशील नहीं हैं, किन्तु साधारणतया ऑक्सीजन छोड़कर अन्य सामग्री में आग लगा सकते हें, आग लगाने में सहायक हो सकते हैं।

एच 5.2 **कार्बनिक पैरोक्साइड्स**

ऐसे कार्बनिक पदार्थ या अपशिष्ट, जिनमें वाइवेलंट ओ-ओ संरचना है व ऊष्मीय अस्थिर पदार्थ है, जिनमें स्वत: त्वरित ऊष्माक्षेपक विघटन हो सकता है।

एच 6.1 **विष (तीव्र)**

ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जो यदि निगल या सूंघ लिए जाएं या त्वचा से संपर्क द्वारा या तो मृत्यु का कारण बनने, गंभीर क्षति पहुंचाने या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

एच 6.2 **संक्रामक पदार्थ**

ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जो ऐसे जीवनक्षम सूक्ष्म जीवों या उनके ऐसे जीव विष से मुक्त हैं, जो पशुओं या मनुष्यों में बीमारी फैलाते हैं या ऐसा संदेह है।

एच 8 **संक्षारक**

ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जो रासायनिक क्रिया द्वारा जीवित ऊतकों के संपर्क में आने पर गंभीर क्षति पहुंचाएंगे, या परिवहन के साधनों को काफी क्षति पहुंचाएंगे या नष्ट भी कर देंगे, ये अन्य परिसंकट उत्पन्न कर सकते हैं।

एच 10 **वायु या जल के संपर्क में विषैली गैसों का उत्सर्जन**

ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जो वायु या जल से परस्पर क्रिया द्वारा खतरनाक परिमाणों में विषैली गैसें छोड़ सकते हैं।

एच 11 **विषैली (विलंबित या चिरकालिक)**

ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जो यदि सूंघ लिए जाएं या जिनका अंतग्रर्हण कर लिया जाए या यदि त्वचा में प्रवेश कर लें तो विलंबित या चिरकालिक प्रभाव दिखा सकते हैं, जिनमें कासिनेंजेनसिटी शामिल हैं।

एच 12 **पारि-विषाक्त**

ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जो यदि उत्सर्जित हो जाएं तो पर्यावरण पर बायोएकुमुलेशन के द्वारा तुरंत या विलंबित प्रतिकूल प्रभाव और/या बायोटिक प्रणाली पर विषैला प्रभाव छोड़ते हैं या छोड़ सकते हैं।

एच 13 जो किसी उपाय से निस्तारण के पश्चात अन्य सामग्री छोड़ने में समर्थ हैं, उदाहरणार्थ लीचेट, जिसमें ऊपर सूचीबद्ध कोई एक लक्षण भी है।

IndiaCode

भाग घ

आयात और निर्यात के लिए लागू होने वाले अन्य अपशिष्टों की सूची, जिनके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति पूर्व सूचित सहमति अपेक्षित नहीं है। (बेसल कन्वेशन का उपाबंध IX*)

बेसल सं.	**अपशिष्टों का वर्णन**
ख 1	**धातु और धातुयुक्त अपशिष्ट**
ख1010	धात्विक, गैर-परिक्षेपण रुप में धातु और धातु एलॉय अपशिष्ट :
	- बहुमूल्य धातु (सोना, चांदी, प्लेटिनम किंतु पारा नहीं)**
	- लोहा और स्टील स्क्रैप**
	- निकल स्क्रैप**
	- एल्यूमिनियम स्क्रैप**
	- जिंक स्क्रैप**
	- टिन स्क्रैप**
	- टंगस्टन स्क्रैप**
	- मॉलिब्डेनम स्क्रैप**
	- टैंटालम स्क्रैप**
	- कोबाल्ट स्क्रैप**
	- विस्मथ स्क्रैप**
	- टाईटैनियम स्क्रैप**
	- जरकोनियम स्क्रैप**
	- मैगनीज स्क्रैप**
	- जरमेनियम स्क्रैप**
	- वेनेडियम स्क्रैप**
	- हैफनियम स्क्रैप**
	- इंडियम स्क्रैप**
	- नियोबियम स्क्रैप**
	- रेनियम स्क्रैप**
	- गैलियम स्क्रैप**
	- मैग्नीशियम स्क्रैप**
	- तांबा स्क्रैप**
	- क्रोमियम स्क्रैप**
ख 1050	मिश्र अलौह धातु हैवी फ्रैक्शन स्क्रैप जिसमें भाग ख 1050 में निर्दिष्ट धातुओं से अलग धातु मिश्रित हों और भाग ग की विशेषताओं का प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त सांद्रण में अनुसूची II में संघटक शामिल न हों।
ख 1100	धातुओं को गलाने, प्रगलन और परिष्करण से उत्पन्न अपशिष्ट युक्त धातु
	- हार्ड जिंक स्पेलटर**
	- जिंक युक्त ड्रोस ** : ~ गैल्वेनाइजिंग स्लैब जिंक टॉपड्रोस (>90% जिंक) ~ गैल्वेनाइजिंग स्लैब जिंक बॉटम ड्रोस (>92% जिंक) ~ जिंक डाई कास्टिग ड्रोस (>85% जिंक) ~ हाट डिप गैल्वेनाइजर्स स्लैब जिंक ड्रोस (बैच) (>92% जिंक)

IndiaCode

	~ जिंक स्किमिंग्स
	- एल्युमिनियम स्कीमिंग (या स्कीम) लवण स्लैग को छोड़कर
ख 1110	वैद्युत और इलैक्ट्रोनिक एसैम्बलीज (प्रिंटिड सर्किट बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक संघटक और तार सहित), जो प्रत्यक्ष पुन: प्रयोग के प्रयोजन हेतु और पुनचर्क्रण या अंतिम निपटान के लिए न हों
	- प्रयुक्त वैद्युत और इलैक्ट्रोनिक एसैम्बलीज जिनका आयात मरम्मत के लिए और मरम्मत के बाद आयात के एक वर्ष के अंदर वापस निर्यात के लिए किया गया हो * * *
	- प्रयुक्त वैद्युत और इलैक्ट्रोनिक एसैम्बलीज जिनका आयात किराए के लिए और आयात के एक वर्ष के अंदर वापस निर्यात के लिए किया गया हो * * *
	- प्रयुक्त वैद्युत और इलैक्ट्रोनिक एसैम्बलीज जिनका निर्यात मरम्मत के लिए और मरम्मत के बाद पुन: आयात के लिए किया गया हो
	- प्रयुक्त वैद्युत और इलैक्ट्रोनिक एसैम्बलीज जिनका आयात परीक्षण, अनुसंधान एवं विकास, परियोजना कार्य उद्देश्यों और आयात की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के अंदर वापस पुन: निर्यात करने के लिए किया गया हो * * *
	- वारंटी पुन:स्थापनों के लिए आयातित कलपुर्जे परंतु यह कि सामान संख्या में खराब या अकार्यशील पुर्जे आयात के एक वर्ष की अवधि के अंदर वापस निर्यात किए जा रहे हों * * *
	- रक्षा मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा आयात की गई प्रयुक्त वैद्युत और इलैक्ट्रोनिक एसैम्बलीज * * *
	- प्रयुक्त वैद्युत और इलैक्ट्रोनिक एसैम्बलीज (भारी संख्या में नहीं; संख्या तीन या इससे कम) जिनका आयात व्यक्तियों के लिए अपने निजी प्रयोगों के लिए किया गया हो
	- प्रयुक्त लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, मोबाईल, टैबलेट प्रत्येक में से एक जिसका एक आयात संघटनों द्वारा एक वर्ष के अंदर किया जाता हो
	- एकल व्यक्तियों के स्वामित्व और आवास के स्थानांतरण पर आयातित प्रयुक्त वैद्युत और इलैक्ट्रोनिक एसैम्बलीज
	- प्रयुक्त मल्टी फंक्शन प्रिंट और कॉपी करने की मशीनें (एमएफडी) * * * *
	- प्रयुक्त वैद्युत और इलैक्ट्रोनिक एसैम्बलीज जिनका आयात एअरलाइनों द्वारा एअर क्राफ्टों के अनुरक्षण के लिए किया गया हो और उन्हें जहाज पर या सीमा शुल्क बंधित क्षेत्रों के एअर साइड पर स्थित संबंधी एअर लाइन भंडारणों में रखा गया हो
ख 3	**मुख्यत: कार्बनिक संघटक वाले अपशिष्ट, जिनमें धातु और अकार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं**
ख 3020	पेपर, पेपर बोर्ड और पेपर उत्पाद अपशिष्ट * * निम्नलिखित सामग्री, बशर्ते उन्हें खतरनाक अपशिष्टों में नहीं मिलाया गया है : निम्नलिखित के पेपर अपशिष्ट और पेपर या पेपर बोर्ड स्क्रैप: - अविरंजित पेपर या पेपर बोर्ड या लहरदार पेपर या पेपर बोर्ड - अन्य पेपर या पेपर बोर्ड मुख्यतया रंजित रसायन लुगदी से बने, व्यापक रुप से रंगा न गया हो - मुख्यतया यांत्रिक लुगदी (उदाहरणार्थ समाचार पत्र, पत्रिका और ऐसे ही मुद्रित सामग्री) से बना पेपर या पेपर बोर्ड - अन्य, किंतु उन तक सीमित नहीं 1) लेमिनेटिड पेपर बोर्ड, 2) अवर्गीकृत स्क्रैप
ख 3140	- एअर क्राफ्टों के अनुरक्षण के लिए एअरलाइनों द्वारा रिट्रिडिंग के लिए आयात किए गए और रिट्रिडिंग के बाद पुन: निर्यात किए जाने के लिए मूल उपकरण विनिर्माताओं को निर्यात किए गए एअरक्राफ्ट टायर और उन्हें जहाज पर या सीमा शुल्क बंधित क्षेत्रों के एअर साइड पर स्थित संबंधी एअर लाइन भंडारणों में रखा गया हो

टिप्पणी :

* यह सूची परिसंकटमय अपशिष्टों के सीमापार संचलन संबंधी बेसल कन्वेंशन के उपाबंध-IX पर आधारित है और इसमें वे अपशिष्ट सम्मिलित हैं, जो बेसल कन्वेंशन के अनुच्छेद-। में परिसंकटमय के रुप में वर्णित नहीं किए गए हैं।

* * देश में आयात की अनुमति वास्तविक प्रयोक्ता या एक बारगी (आधार पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत वास्तविक प्रयोक्ता की ओर से व्यापारी को सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा इन नियमों की अनुसूची VIII में निर्दिष्ट दस्तावेजों के सत्यापन के अध्यधीन है।

* * * देश में आयात की अनुमति केवल मूल उपकरण निर्माताओं से वास्तविक प्रयोक्ताओं को और सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा इन नियमों की अनुसूची VIII में निर्दिष्ट दस्तावेजों के सत्यापन के अध्यधीन है।

* * * * देश में आयात की अनुमति वास्तविक प्रयोक्ता या इन नियमों की अनुसूची VIII के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित और सत्यापित दस्तावेजों के अनुरूप वास्तविक प्रयोक्ता की ओर से व्यापारी को है। एक बार एमएफडी के स्वदेशी रूप से विनिर्मित हो जाने पर मल्टीफक्शन प्रिंट और कॉपी करने की मशीन के लिए मुक्त व्यापार की नीति की समीक्षा की जाएगी।

अनुसूची III के भाग ग में बिना "तारे" वाले सूचीबद्ध अन्य सभी अपशिष्टों के लिए सीमा शुल्क प्राधिकरण की शर्तों, यदि कोई हों, के अनुपालन के अध्यधीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से किसी भी दस्तावेज के बिना अनुमति है।

अनुसूची IV

[नियम 6 (1) (ii) और 6(2) देखें)]

सामान्य रूप से पुन:चक्रण योग्य परिसंकटमय अपशिष्टों की सूची

क्र. सं.	अपशिष्ट
(1)	(2)
1	पीतल ड्रास
2	कॉपर ड्रास
3	कॉपर ऑक्साइड मिल स्केल
4	कॉपर प्रत्यावृत, केक और अवशिष्ट
5	विपेक्षित रुप में अपशिष्ट कॉपर और कॉपर मिश्र
6	और प्रसंस्करण या शोधन के लिए कॉपर प्रसंस्करण से धातुमल
7	आईएसआरआई कोड पदार्थ अर्थात "ड्रयूड" सहित विद्युतरोधी कॉपर तार स्क्रैब या पीवीसी सीटिंग के साथ कॉपर
8	जेली फिल्ड कॉपर तारें
9	कॉपर वाली स्पैंट क्लीयरड मैटल कैटलिस्ट
10	निकिल, कैडमियम, जिंक, कॉपर और आर्सेनिक वनेडियम और कोबाल्ट वाले स्पैंट कैटलिस्ट
11	जिंक ड्रास-हॉट डिप गैल्वनाइजर स्लैब
12	जिंक ड्रास-बाटम ड्रास
13	गैल्वानाईजिंग और डाई-कास्टिंग प्रचालनों से होने वाली जिंक राख/स्क्रीमिंग
14	स्मैलटिंग और धातुओं के शोधन से उत्पन्न जिंक राख/स्क्रीमिंग/अन्य जिंक वाले अपशिष्ट
15	बिखरने वाले जिंक अलाय अपशिष्टों सहित जिंक राख और अपशिष्ट
16	जिंक वाले स्पैंट क्लीयर्ड मैटल कैटालिस्ट
17	बैटरी (प्रबंधन और प्रहस्तन) नियम, 2001 के अधीन न आने वाली ग्रिड प्लेट सहित प्रयुक्त लैड एसिड बैटरी प्लेट्स और अन्य लैड स्क्रैप/राख/अपशिष्ट। (*बैटरी स्क्रैप अर्थात आईएसआरआई कोड में सम्मिलित लैड, बैटरी प्लेट्स, कोड वर्ड "रेल्स" बैटरी लग्स आईएसआरआई में सम्मिलित कोडवर्ड "रेक्स"; आईएसआरआई कोड में शामिल स्क्रैप ड्रेन/शुष्क, लैड बैटरीज) कोड वर्ड "रेन्स"
18	वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के अपशिष्ट घटक, जिसमें अनुसूची III भाग क में सूचीबद्ध एक्युमुलेटर्स और अन्य बैटरियों के संघटक, मरकरी स्विच, कैथोड-रे ट्यूबस से क्रियाशील ग्लास क्यूलेट्स और अन्य क्रियाशील ग्लास और पीसीबी - केपीसिटेर्स और अन्य अनुसूची II के संघटकों के साथ अन्य संदूषित घटक (यथा कैडमियम, मरकरी, लेड, पोलीक्लोरिनेटिड, बाइफिनाइल) उस सीमा तक शामिल है कि ये इस अनुसूची III के भाग ग में निर्देशित परिसंकट लक्षण प्रदर्शित करते हैं।

IndiaCode

19	पेंट और इंक स्लज/अवशिष्ट
20	प्रयुक्त तेल और अपशिष्ट तेल

अनुसूची V

[नियम 3 (36) और 3(39) देखें]

भाग क

पुन:चक्रण के लिए उपयुक्त प्रयुक्त तेल के विनिर्देश

क्र.सं.	पैरामीटर	अधिकतम अनुज्ञेय सीमाएं
(1)	(2)	(3)
1	पोलीक्लोरीनेटिड वाईफिनाइल (पीसीबी)	<2 पीपीएम*
2	सीसा	100 पीपीएम
3	आर्सेनिक	5 पीपीएम
4	कैडमियम + क्रोमियम + निकल	500 पीपीएम
5	पोलीऐरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स (पीएएच)	6%

भाग ख

अपशिष्ट तेल से व्युत्पन्न ईंधन के विनिर्देश

क्र.सं.	पैरामीटर	अधिकतम अनुज्ञेय सीमाएं
(1)	(2)	(3)
1	सेडिमेंट	0.25%
2	सीसा	100 पीपीएम
3	आर्सेनिक	5 पीपीएम
4	कैडमियम + क्रोमियम + निकल	500 पीपीएम
5	पोलीऐरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स (पीएएच)	6%
6	कुल हेलोजन	4000 पीपीएम
7	पोलीकोलरीनेटि बाई-फिलाइल (पीसीबी)	<2 पीपीएम*
8	सल्फर	4.5%
9	जल तत्व	1%

* इलेक्ट्रॉन कैपचर डिटेक्टर (ईसीडी) का प्रयोग करते हुए गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी (जीएलसी) द्वारा संसूचन सीमा 2 पीपीएम है।

अनुसूची VI

[नियम 12 (6) , 12(7) और 14(1) देखें]

आयात के लिए प्रतिषिद्ध परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट

बेसल सं.*	परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का वर्णन
(1)	(2)
क 1010	धातु अपशिष्ट निम्नलिखित में से किसी भी समिश्रण का अपशिष्ट किंतु अनुसूची III के भाग ख और भाग ग में विशिष्ट रूप से सूचीबद्ध ऐसे अपशिष्टों को छोड़कर
	- आर्सेनिक

IndiaCode

	- बेरेलियम
	- मरकरी
	- सेलेनियम
	- थेलियम
क 1020	अपशिष्ट जिनमें संघटक या संदूषक हैं, स्थूल रुप में धातु अपशिष्टों को छोड़कर, निम्नलिखित में से कोई : - बेरेलियम; बेरेलियम यौगिक - सेलेनियम; सेलेनियम यौगिक
क 1030	वे अपशिष्ट, जिनमें निम्निलिखित से कोई संघटक् संदूषक सम्मिलित हो : - आर्सेनिक; आर्सेनिक यौगिक - पारा; पारा यौगिक - थेलियम; थेलियम यौगिक
क 1040	संघटक के रूप में हेक्सावेलेन्ट क्रोमियम यौगिक वाला अपशिष्ट
क 1140	तरल स्वरूप में अपशिष्ट की क्यूरपिक क्लोराइड और कॉपर सायनाइड केटालिस्ट (अनुसूची III के भाग क में संबंधित प्रविष्टि देखें)
क 1060	धातुओं के अम्लोपचार से उत्पन्न अपशिष्ट लीकर
क 1110	कॉपर विद्युत परिष्करण और विद्युत प्राषण सनक्रियाओं से उत्पन्न स्पेंट विद्युत अपघटनी विलयन
क 1130	स्पेंट उत्कीर्णन विलयन जिसमें घुलित कॉपर हो
क 1180	अपशिष्ट वैद्युत एवं इलैक्ट्रानिक एसैम्बलीज या स्कैप (विद्युत उत्पादन से उत्पन्न स्क्रैप एसैम्बलीज शामिल नहीं हैं) जिनमें एक्यूमुलेटर जैसे घटक और अनुसूची III भाग क में सम्मिलित अन्य बैटरियां, मर्करी स्वीच, कैथोड - किरन ट्यूब से उद्वलित ग्लास और कुछ सीमा तक अन्य उद्वलित ग्लास और पीसीबी - कैपेसिटर या अनुसूची II के घटकों (अर्थात कैडमियम, मर्करी, सीसा, पॉलीक्लोरिनेटिड बाईफिनाइल) से संदूषित घटक जो अनुसूची III के भाग ग में इंगित जोखिम पूर्ण लक्षण प्रदर्शित करते हैं (भाग खख 1110 में संबंधित प्रविष्टि देखें)
क 1190	वेस्ट मैटल केबल्स, प्लास्टिक कोटिड या इन्सुलेटिड या कोलतार के साथ संदूषित, पीसीबी, सीसा कैडमियम अन्य ओरगेनोहेलोजन संघटक या अन्य घटक जैसा कि अनुसूची II में उल्लिखित है, जिस सीमा तक वे अनुसूची III के भाग ग में इंगित परिसंकटमय विशेषताएं प्रदर्शित करें।
क 2	**मुख्यत: अकार्बनिक संघटकों वाले अपशिष्ट जिसमें धातु और कार्बनिक पदार्थ अंतर्विष्ट हों**
क 2020	अकार्बनिक फ्लोरीन संघटक के अपशिष्ट, जो द्रव या स्लज के रुप में है, किन्तु जिसमें भाग ख में निर्दिष्ट ऐसे अपशिष्ट शामिल नहीं हैं
क 2040	रासायनिक औद्योगिक प्रक्रिया से उद्भूत अपशिष्ट जिप्सम यदि वह अनुसूची II में उल्लिखित संघटक जो अनुसूची III के भाग ग में इंगित परिसंकटमय विशेषताएं इंगित करते हों (भाग खख 2080 में संबंधित प्रविष्टि देखें)
क 2050	अपशिष्ट एस्बेस्टस (धूल और रेशा)
क2060	कोयला चालित विद्युत संयंत्र फ्लाई-ऐश जिसमें भाग ग की विशेषताओं को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करने की सीमा तक सांद्रण में अनुसूची II के संघटक शामिल हों
क 3	**मुख्यत: कार्बनिक संघटक वाले अपशिष्ट जिनमें धातु और अकार्बनिक सामग्री हों**
क 3030	ऐसे अपशिष्ट, जिनमें सीसा अपरकोटररोधी यौगिक स्लज या अंतर्विष्ट है या उनमें है या उनसे संदूषित है।
क 3040	अपशिष्ट तापीय (उष्मा स्थानांतरण) तरल
क 3060	अपशिष्ट नाइट्रोसेलुलोस
क 3070	द्रव या स्लज के रूप में क्लोरोफिनोल सहित अपशिष्ट फिनोल , फिनोल यौगिक
क 3080	अपशिष्ट ईथर जिसके अंतर्गत वह नहीं है जो सूची ख में विनिर्दिष्ट नहीं है
क 3090	अपशिष्ट चर्म धूल, भस्म, स्लज या विचूर्ण जब उसमें हेक्सावेलेंट क्रोमियम यौगिक या बायोसाइड हो (भाग खख 3100 में संबंधित प्रविष्टि देखें)

क 3100	चर्म शोधन और अन्य चर्म अपशिष्ट या चर्मयौगिक अपशिष्ट जो कि चर्म वस्तुओं के निर्माण में उपयुक्त न हो। हेक्सावेलेंट क्रोमियम यौगिक और बायोसाइड हो (भाग खख 3090 में संबंधित प्रविष्टि देखें)।
क 3110	फेलमोंजरी अपशिष्ट, जिसमें हेक्सावेलेंट क्रोमियम यौगिक या बायोसाइड या संक्रामक पदार्थ भी है (भाग खख 3110 में संबंधित प्रविष्टि देखें)।
क3140	अपशिष्ट अहैलोजनीकृत कार्बनिक विलायक किंतु उन अपशिष्टों को छोड़कर जो भाग ख में विनिर्दिष्ट हैं
क 3150	अपशिष्ट हैलोजनीकृत कार्बनिक बिलयन
क3160	अपशिष्ट हैलोजनीकृत या अहैलोजनीकृत निर्जला आसवन अवशेष जो कार्बनिक विलायक पुन: प्राप्ति की संक्रिया से उत्पन्न हो
क3170	ऐलीफैटिक हैलोजनीकृत हाइड्रोकार्बन के उत्पादन से उत्पन्न अपशिष्ट (जैसे क्लोरोमेथेन, हाइक्लोरोईथेन, विनाइल क्लोराइड, विनिलीडीन क्लोराइड, एलिल क्लोराइड और एपिक्लोरहाइड्रिन)
क 3180	अपशिष्ट पदार्थ और वस्तुएं, जिनमें संदूषण के साथ पॉलीक्लोरीनेटिड बाईफिलाईल (पीसीबी), पॉली क्लोरेनेटिड टरफिनाइल (पीसीटी), पॉलीक्लोरिनेटिड नैफ्थलीन (पीसीएन) या पॉली ब्रोमिनेटिड बाइफिनाइल (पीबीबी) या इन यौगिकों का कोई अन्य पॉलीब्रॉमिनेटिड एनेलॉग शामिल है।
क 3190	अपशिष्ट टैरी अवशिष्ट (एस्फाल्ट सीमेंट के सिवाय), जो कि शोधन, आसवन या किसी कार्बनिक सामग्री के पाइरोलिटिक शोधन से उद्भूत होते हैं।
क3200	सड़क निर्माण और अनुरक्षण कार्यों से उत्पन्न बिटुमिनस सामग्री (एस्फाल्ट अपशिष्ट) (भाग ख, ख 2130 में संबंधित प्रविष्टि देखें)।
क 4	**ऐसे अपशिष्ट जिनमें या तो अकार्बनिक या कार्बनिक संघटक हों।**
क 4020	नैदानिक और संबंधित अपशिष्ट ; मेडिकल, नर्सिंग, डेंटल, वेटेनरी या वैसे ही कार्यों से उत्पन्न अपशिष्ट तथा अस्पताल या रोगियों के अन्वेषण या निदान के दौरान या अनुसंधान परियोजनाओं के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट।
क 4030	बायोसाइड और फाइटो-फार्मास्युटिकल्स के उत्पादन, निर्माण और प्रयोग से प्राप्त अपशिष्ट, जिनमें कीटनाशी, शाकनाशी अपशिष्ट भी हैं जो विनिर्देश से पृथक कालातीत (विनिर्माता द्वारा संस्तुति अवधि के अंदर अप्रयुक्त) हैं या उसके अभिप्रेत मूल उपयोग के लिए अनुपयुक्त हैं।
क 4050	वे अपशिष्ट, जो निम्नलिखित में से किसी से मिलकर बने हैं, सम्मिलित हैं या उनमें से किसी से संदूषित हैं : - मूल्यवान धातु को छोड़कर अकार्बनिक साइनायड, अकार्बनिक सायनाइड के ठोस रुप में मिलकर बने हों - कार्बनिक साइनाइड
क 4060	अपशिष्ट तेल/जल, हाइड्रोकार्बन/जल मिश्रण, इमल्सन
क4080	विस्फोटक प्रकृति के अपशिष्ट (किंतु भाग ख में विनिर्दिष्ट ऐसे अपशिष्टों को छोड़कर)
क4090	इस अनुसूची के ख 2120 में विनिर्दिष्ट से अलग अम्लीय या बेसिक विलयन
क 4110	वे अपशिष्ट, जो निम्नलिखित में से किसी से मिलकर बने हैं, सम्मिलित हैं या उनमें से किसी से संदूषित हैं : - कोई सजातीय पॉलीक्लोरीकृत डाइबेंजोफ्यूरान - कोई सजातीय पॉलीक्लोरीकृत डाइबेंजो-पी-डाइऑक्सीन
क4150	अनुसंधान और विकास या अध्यापन कार्यकलापों से उत्पन्न अपशिष्ट रसायन पदार्थ जिनकी पहचान नहीं की गई है और/या नए हो और उनके मानव स्वास्थ्य और/या पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव ज्ञात न हो
ख 1	**धातु और धातु मिश्रित अपशिष्ट**
ख 1110	पुन: प्रयोग हेतु प्रयुक्त गहन देखरेख वाले चिकित्सा उपकरण
ख1115	प्लास्टिक से इंसुलेटिड या कोटिड अपशिष्ट सामग्री, जो इस अनुसूची के क1190 में शामिल नहीं हैं, किसी अवस्था में संसाधन पुन:प्राप्ति, पुनर्चक्रण, पुन:रूद्धार, प्रत्यक्ष पुन:उपयोग या वैकल्पिक प्रयोगों या किसी अन्य निपटान संबंधी संक्रियाओं के लिए अभिप्रेत, अनियंत्रित तापीय प्रक्रियाओं जैसे खुले में जलाना को छोड़कर
ख1250	कार्यकाल पूरा कर चुके वाहनों के अपशिष्ट जिनमें तरल या अन्य परिसंकटमय संघटक शामिल न हों
ख 2	**मुख्यत: अकार्बनिक संघटक वाले अपशिष्ट जिनमें धातु और कार्बनिक तत्व शामिल हो सकते हैं**
ख2050	कोयला चालित विद्युत संयंत्र के फ्लाई-ऐश, इस अनुसूची के ख2060 में संबंधित प्रविष्टि देखें

ख2110	बॉक्साइट अवशिष्ट (लाल मिट्टी) (11.5 से कम तक पीएच हल्का किया गया)
ख2120	2 से अधिक और 11.5 से कम पीएच के साथ अपशिष्ट एसिड अथवा बेसिक घोल, जो क्षयकारी या अन्यथा परिसंकटमय नहीं है (इस अनुसूची के ख 4090 में प्रविष्टि देखें)
ख 3	**मुख्यत: कार्बनिक संघटक वाले अपशिष्ट, जिनमें धातु और अकार्बनिक पदार्थ शामिल हो सकते हैं**
ख3010	ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट एक विशिष्टि तक तैयार निम्नलिखित प्लास्टिक या मिश्रित प्लास्टिक अपशिष्ट : - नॉन-हैलोजिनेटिड पॉलिमर और कोपॉलिमर के प्लास्टिक स्क्रैप जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हो किंतु निम्नलिखित तक सीमित न हों : इथिलीन, स्टाइरीन, पॉलिप्रपिलीन, पॉलिइथीलीन, टेरिफ थैलेट, एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन, पोलिएसिटल, पोलिएमाइड, पोलिब्यूटिलीन, टेरिफ थैलेट, पोली कार्बोनेट, पोलिइथर, पोलिफनिलिन, सल्फाइड, एक्रिलिक पोलिमर, अल्केन सी10 - सी13 (प्लास्टिसाइसजर), पोलियूरिथेन (सीएफसी रहित), पोलिसिलोक्सेन, पोलिमिथाइल मिथाक्राइलेट, पोलि विनाइल अल्कोहल, पोलिविनाइल ब्यूटाइराल, पोलिविनाइल एसिटेट - निम्नलिखित सहित शोधित अपशिष्ट रेसिन या संघनन उत्पाद : यूरिया फार्मल्डिहाइड रेसिन, फेनोल फर्मल्डिहाइड रेसिन, मेलामाइन फर्मल्डिहाइड रेसिन, इपोक्सि रेसिन, अल्काइड रेसिन, पोलिएमाइड - निम्नलिखित फ्लोरिनेटेड पोलिमर अपशिष्ट (उपभोग पश्चात अपशिष्ट को छोड़कर) : परफ्लोरोइथिलिन/प्रोपिलिन, परफ्लोरो अल्कोक्सी अल्केन, टेट्राफ्लोरोइथिलीन/परफ्लोरो विनाइल ईथर (पीएफए), टेट्राफ्लोरोइथिलीन/परफ्लोरो मिथाइल विनाइल ईथर (एमएफए), मेटाफ्लोरो अल्कोक्सी अल्केन, पोलिविनाइलफ्लोराइड, पोलिविनाइलडेनिफ्लोराइड
ख3026	तरल पदार्थों के लिए सुसंहत पैकेजिंग के पूर्व-शोधन से उत्पन्न निम्नलिखित अपशिष्ट, जिनमें अनुसूची II में उल्लिखित संघटक भाग ग की विशेषताओं का प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त सांद्रण में शामिल न हों : - गैर-पृथक्करण योग्य प्लास्टिक फ्रैक्शन - गैर-पृथक्करण योग्य प्लास्टिक-एलुमिनियम फ्रैक्शन
ख3065	पशु या वनस्पति मूलक अपशिष्ट खाद्य वसा और तेल - (यथा फ्राइंग तेल)
ख3140	अपशिष्ट न्यूमेटिक टायर प्रत्यक्ष पुन: उपयोग के लिए
भ46	घरेलू संग्रहित अपशिष्ट/नगरीय अपशिष्ट
भ47	घरेलू अपशिष्ट के भष्मीकरण से उत्पन्न अवशेष

अनुसूची-VII

[नियम 13(6) और 21 देखें]

प्राधिकरणों और तदनुरूपी कर्त्तव्यों की सूची

क्र.सं.	**प्राधिकरण**	**तत्संबंधी कर्तव्य**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	i. परिसंकट अपशिष्टों की पहचान करना ii. परिसंकटमय अपशिष्टों के निर्यातकर्ताओं को अनुमति iii परिसंकटमय अपशिष्टों के आयाकर्ताओं को अनुमति

IndiaCode

		iv. भारत से परिसंकटमय अपशिष्टों के अभिवहन के लिए अनुमति v. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन को बढ़ावा देना vi. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्यकलाप संबंधी प्रशिक्षण और जागरुकता कार्यक्रम प्रायोजित करना।
2	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	i. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कार्यकलापों का समन्वय। ii. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के प्रबंध को संचालित करने वाले प्राधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन। iii. अपशिष्ट और लीचेट की अभिक्रिया और व्ययन के लिए मानकों और विनिर्देशों की सिफारिश करना। परिसंकटमय अपशिष्टों के वर्गीकरण के लिए प्रक्रियाओं की सिफारिश करना। iv. परिसंकटमय अपशिष्ट के प्रहस्तन की सुविधाओं का यथा आवश्यकता निरीक्षण करना v. इन नियमों में शामिल करने के लिए अपशिष्ट की पहचान करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रलेखन vi. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के निवारण या न्यूनीकरण और प्रहस्तन के लिए दिशानिर्देश तैयार करना और अद्यतन करना vii. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के पुनर्चक्रण, उपयोग पूर्व-प्रसंस्करण सह-प्रसंस्करण के लिए मार्गनिर्देशों/मानक प्रचालन पद्धतियों को तैयार और अद्यतन करना viii. परिसंकटमय अपशिष्ट के प्रबंधन संबंधी वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट तैयार करना ix. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य
3	राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/प्रशासन	i. साझा परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट शोधन भंडारण और निपटान सुविधा (टीएसडीएफ) के लिए स्थल की पहचान करना ii. पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्टों का मूल्यांकन और स्थल के अनुमोदन के निर्णय की सूचना देना या स्थल अधिग्रहण करना या प्रसुविधा के प्रचालक या दखलदार या दखलदारों के संघ को स्थल के अधिग्रहण की सूचना देना iii. स्थलों की अधिसूचना iv. राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में सभी संभाव या विद्यमान निपटान स्थलों की सूची को समय-समय पर प्रकाशित करना
4	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियां	i. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का सूचीकरण ii. प्राधिकार का दिया जाना और नवीकरण iii. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी निर्यात और आयात सहित प्राधिकार के विभिन्न उपबंधों और शर्तों के अनुपालन को मॉनीटर करना iv. आयातकर्ताओं द्वारा आयात के लिए दिए गए आवेदनों की जांच करना और उन आवेदनों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अग्रेषित करना v. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों की उत्पत्ति को रोकने या कम करने या न्यून करने के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन vi. इन नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई करना vii. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर इन

indiacode

		नियमों के अंतर्गत सौंपा गया कोई अन्य कार्य
5	विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत गठित विदेश व्यापार महानिदेशालय	i. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के आयात के लिए अनुज्ञप्ति का अनुदान ii. आयात या निर्यात के लिए प्रतिषिद्ध परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के लिए अनुज्ञप्ति से इंकार करना।
6	भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) के अधीन पत्तन प्राधिकरण और सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकरण	i. दस्तावेजों का सत्यापन करना ii. किसी अवैध व्यापार के बारे में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचित करना iii. आयात और निर्यात के लिए अनुमति दिए गए अपशिष्टों का यथा आवश्यकता विश्लेषण करना iv. इन नियमों के उपबंधों और परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के विश्लेषण के संबंध में पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करना v. भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 या सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उल्लंघनों के लिए निर्यातकर्ता या आयातकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करना।

अनुसूची VIII

[नियम 13 (2) और 13(4) देखे)]

अनुसूची III के भाग में विनिर्दिष्ट और अन्य अपशिष्टों के आयात के लिए सीमा-शुल्क प्राधिकरण द्वारा सत्यापन के लिए दस्तावेजों की सूची

क्र.सं.	बेसल सं.	अन्य अपशिष्ट का विवरण	दस्तावेजों की सूची
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ख1010	धात्विक, गैर-परिक्षेपण रुप में धातु और धातु एलॉय अपशिष्ट : - बहुमूल्य धातु (सोना, चांदी, प्लेटिनम किंतु पारा नहीं) - लोहा और स्टील स्क्रैप - निकल स्क्रैप - एल्यूमिनियम स्क्रैप - जिंक स्क्रैप - टिन स्क्रैप - टंगस्टन स्क्रैप - मॉलिब्डेनम स्क्रैप - टैंटालम स्क्रैप - कोबाल्ट स्क्रैप - विस्मथ स्क्रैप - टाईटैनियम स्क्रैप - जरकोनियम स्क्रैप - मैगनीज स्क्रैप - जरमेनियम स्क्रैप - वेनेडियम स्क्रैप - हैफनियम स्क्रैप - इंडियम स्क्रैप	(क) विधिवत भरा हुआ प्ररूप 6 - संचलन दस्तावेज; (ख) जहां कहीं लागू हो, विदेश व्यापार महानिदेशालय से आयात अनुज्ञप्ति; (ग) निर्यात करने वाले देश की निरीक्षण अभिकरण या विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित निरीक्षण एवं प्रमाणन अभिकरण द्वारा जारी पूर्व-शिपमेंट निरीक्षण प्रमाण पत्र; (घ) वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए वायु तथा जल अधिनियमों के अंतर्गत कार्य करने के लिए विधि मान्य सहमति पत्र और इन नियमों के अंतर्गत प्राधिकार । व्यापारियों के लिए केवल संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक बार का वैध प्राधिकार अपेक्षित है ; (ङ) आयात किए जा रहे अपशिष्ट की रासायनिक विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट; (च) पिछले वित्त वर्ष में आयात के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फाइल की गई वार्षिक विवरण की पावती प्रति ।

IndiaCode

		- नियोबियम स्क्रैप - रेनियम स्क्रैप - गैलियम स्क्रैप - मैग्नीशियम स्क्रैप - तांबा स्क्रैप - क्रोमियम स्क्रैप	
2	ख1050	मिश्र अलौह धातु, हैवी फ्रैक्शन स्क्रैप जिसमें भाग ख 1050 में निर्दिष्ट धातुओं से अलग धातु मिश्रित हों और भाग ग की विशेषताओं का प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त सांद्रण में अनुसूची II में उल्लिखित संघटक शामिल न हों।	(क) विधिवत भरा हुआ प्ररूप 6 - संचलन दस्तावेज; (ख) जहां कहीं लागू हो, विदेश व्यापार महानिदेशालय से आयात अनुज्ञप्ति; (ग) निर्यात करने वाले देश की निरीक्षण अभिकरण या विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित निरीक्षण एवं प्रमाणन अभिकरण द्वारा जारी पूर्व-शिपमेंट निरीक्षण प्रमाण पत्र; (घ) वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए वायु तथा जल अधिनियमों के अंतर्गत कार्य करने के लिए विधि मान्य सहमति पत्र और इन नियमों के अंतर्गत प्राधिकार । व्यापारियों के लिए केवल संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक बार का विधि मान्य प्राधिकार अपेक्षित है ; (ङ) आयात किए जा रहे अपशिष्ट की रासायनिक विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट; (च) पिछले वित्त वर्ष में आयात के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फाइल की गई वार्षिक विवरण की पावती प्रति ।
3	ख1100	धातुओं को गलाने, प्रगलन और परिष्करण से उत्पन्न अपशिष्ट युक्त धातु - हार्ड जिंक स्पेलटर - जिंक युक्त ड्रोस : ~ गैल्वेनाइजिंग स्लैब जिंक टॉप ड्रोस (>90% जिंक) ~ गैल्वेनाइजिंग स्लैब जिंक बॉटम ड्रोस (>92% जिंक) ~ जिंक डाई कास्टिग ड्रोस (>85% जिंक) ~ हाट डिप गैल्वेनाइजर्स स्लैब जिंक ड्रोस (बैच) (>92% जिंक) ~ जिंक स्किमिंग्स - एल्युमिनियम स्कीमिंग (या स्कीम) लवण स्लैग को छोड़कर	(क) विधिवत भरा हुआ प्ररूप 6 - संचलन दस्तावेज; (ख) जहां कहीं लागू हो, विदेश व्यापार महानिदेशालय से आयात अनुज्ञप्ति; (ग) निर्यात करने वाले देश की निरीक्षण अभिकरण या विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित निरीक्षण एवं प्रमाणन अभिकरण द्वारा जारी पूर्व-शिपमेंट निरीक्षण प्रमाण पत्र; (घ) वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए वायु तथा जल अधिनियमों के अंतर्गत कार्य करने के लिए विधि मान्य सहमति पत्र और इन नियमों के अंतर्गत प्राधिकार । व्यापारियों के लिए केवल संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक बार का वैध प्राधिकार अपेक्षित है ; (ङ) आयात किए जा रहे अपशिष्ट की रासायनिक विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट; (च) पिछले वित्त वर्ष में आयात के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फाइल की गई वार्षिक विवरणी की पावती प्रति ।
4	ख1110	वैद्युत और इलैक्ट्रोनिक एसैम्बलीज (प्रिंटिड सर्किट बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक संघटक और तार सहित), जो प्रत्यक्ष पुन: प्रयोग के प्रयोजन हेतु और पुनचर्क्रण या अंतिम निपटान के लिए न हों	
(क)		प्रयुक्त वैद्युत और इलैक्ट्रोनिक एसैम्बलीज जिनका आयात मरम्मत के लिए और मरम्मत के बाद आयात के एक वर्ष के अंदर वापस निर्यात के लिए किया गया हो	(क) विधिवत भरा हुआ प्ररूप 6 - संचलन दस्तावेज; (ख) पुन: निर्यात के लिए वचन पत्र; (ग) पूववर्ती आयात का विवरण, यदि उनके पुन: निर्यात के संबंध में कोई पुष्टि हो; (घ) पिछले वित्त वर्ष में आयात के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फाइल की गई वार्षिक विवरण की पावती प्रति; (ङ) पुन: निर्यात किए जा रहे मरम्मत किए गए और मरम्मत न किए जा सकने योग्य वैद्युत तथा इलेक्ट्रांनिक एसैम्बलीज और

			कलपुर्जों या अंग या घटक या उपभोज्य वस्तुओं का ग्रहण करने के लिए निर्यात करने वाली कंपनी से प्रमाण पत्र ।
(ख)		प्रयुक्त वैद्युत और इलैक्ट्रोनिक एसैम्बलीज जिनका आयात किराए के लिए और आयात के एक वर्ष के अंदर वापस निर्यात के लिए किया गया हो	(क) विधिवत भरा हुआ प्ररूप 6 - संचलन दस्तावेज; (ख) पुन: निर्यात के लिए वचन पत्र; (ग) पूववर्ती आयात का विवरण, यदि उनके पुन: निर्यात के संबंध में कोई पुष्टि हो; (घ) पिछले वित्त वर्ष में आयात के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फाइल की गई वार्षिक विवरण की पावती प्रति ।
(ग)		प्रयुक्त वैद्युत और इलैक्ट्रोनिक एसैम्बलीज जिनका निर्यात मरम्मत के लिए और मरम्मत के बाद पुन: आयात के लिए किया गया हो	(क) विधिवत भरा हुआ प्ररूप 6 - संचलन दस्तावेज; (ख) त्रुटिपूर्ण वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक एसैम्बलीज के निर्यात का प्रमाण अर्थात् सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा अधिप्रमाणित शिपिंग या वायु मार्ग संबंधी दस्तावेज ।
(घ)		प्रयुक्त वैद्युत और इलैक्ट्रोनिक एसैम्बलीज जिनका आयात परीक्षण, अनुसंधान एवं विकास, परियोजना कार्य उद्देश्यों और आयात की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के अंदर वापस पुन: निर्यात करने के लिए किया गया हो	(क) विधिवत भरा हुआ प्ररूप 6 - संचलन दस्तावेज; (ख) पुन: निर्यात के लिए वचन पत्र; (ग) पूववर्ती आयात का विवरण, यदि उनके पुन: निर्यात के संबंध में कोई पुष्टि हो; (घ) निर्यात करने वाले देश की अधिकृत अभिकरण से चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र जिसमें कार्यशीलता, विनिर्माण की तारीख, अवशिष्ट काल और क्रम संख्या लिखी गई हो; (ङ) पिछले वित्त वर्ष में आयात के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फाइल की गई वार्षिक विवरण की पावती प्रति; (च) तीन वर्ष के अंत में पुन: निर्यात किए जा रहे पुराने कार्यशील या अकार्यशील वैद्युत तथा इलेक्ट्रांनिक एसैम्बलीज और/या कलपुर्जों या अंग या घटक या उपभोज्य वस्तुओं का ग्रहण करने के लिए निर्यात करने वाली कंपनी से प्रमाण पत्र ।
(ङ)		वारंटी पुन:स्थापनों के लिए आयातित कलपुर्जे परंतु यह कि सामान संख्या में खराब या अकार्यशील पुर्जे आयात के एक वर्ष की अवधि के अंदर वापस निर्यात किए जा रहे हों	(क) विधिवत भरा हुआ प्ररूप 6 - संचलन दस्तावेज; (ख) यदि खराब संघटक के स्थान पर प्रतिस्थापन के रूप में नवीकृत संघटकों आयात किया जा रहा हो तो समतुल्य संख्या के खराब संघटकों के आयात हेतु वचन पत्र; (ग) पूववर्ती आयात का विवरण, यदि उनके पुन: निर्यात के संबंध में कोई पुष्टि हो; (घ) पुन: निर्यात किए जा रहे खराब या अकार्यशील और कलपुर्जों या अंग या घटक या उपभोज्य वस्तुओं का ग्रहण करने के लिए निर्यात करने वाली कंपनी से प्रमाण पत्र; (ङ) वारंटी अवधि के दौरान वैद्युत तथा इलैक्ट्रांनिक की मरम्मत के लिए पुराने या नवीकृत कलपुर्जों के प्रयोग के संबंध में घोषित नीति संबंधी दस्तावेज ।
(च)		रक्षा मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा आयात की गई प्रयुक्त वैद्युत और इलैक्ट्रोनिक एसैम्बलीज	---
(छ)		प्रयुक्त वैद्युत और इलैक्ट्रोनिक एसैम्बलीज (भारी संख्या में नहीं; संख्या तीन या इससे कम) जिनका आयात व्यक्तियों के लिए अपने निजी प्रयोगों के लिए किया गया हो	---
(ज)		प्रयुक्त लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, मोबाईल, टैबलेट प्रत्येक में से तीन जिसका आयात संघटनों द्वारा एक वर्ष के अंदर किया जाता हो	---
(झ)		एकल व्यक्तियों के स्वामित्व और आवास के स्थानांतरण पर आयातित प्रयुक्त वैद्युत और इलैक्ट्रोनिक एसैम्बलीज	सीमा शुल्क प्राधिकरण के विद्यमान मार्ग निर्देशों के अनुसार

(ञ)		प्रयुक्त वैद्युत और इलैक्ट्रोनिक एसैम्बलीज जिनका आयात एअरलाइनों द्वारा एअर क्राफ्टों के अनुरक्षण के लिए किया गया हो और उन्हें जहाज पर या सीमा शुल्क बंधित क्षेत्रों के एअर साइड पर स्थित संबंधी एअर लाइन भंडारणों में रखा गया हो	---
(ट)		प्रयुक्त मल्टी फंक्शन प्रिंट और कॉपी करने की मशीनें (एमएफडी)*	(क) लदान और पैकेजिंग के बिल सहित मूल देश का प्रमाण पत्र ; (ख) कम से कम पांच वर्षों के अवशेष कार्यकाल और क्रम संख्या वाली वस्तुओं की कार्यशीलता के लिए निरीक्षण अभिकरण द्वारा जारी और निर्यात करने वाले देश या विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित निरीक्षण एवं प्रमाणन अभिकरण से प्रमाणित प्रमाण पत्र; (ग) उत्पादक के रूप में समय समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियम, 2011 के अंतर्गत विस्तारित उत्पादक दायित्व - प्राधिकार; (घ) एमएफडी ए3 और इससे बढ़े आकार की प्रिंटिंग के लिए होगा; (ङ) पिछले वित्त वर्ष में आयात के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फाइल की गई वार्षिक विवरण की पावती प्रति।
5	ख3020	पेपर, पेपर बोर्ड और पेपर उत्पाद अपशिष्ट निम्नलिखित सामग्री, बशर्ते उन्हें खतरनाक अपशिष्टों में नहीं मिलाया गया है : निम्नलिखित के पेपर अपशिष्ट और पेपर या पेपर बोर्ड स्क्रैप: - अविरंजित पेपर या पेपर बोर्ड या लहरदार पेपर या पेपर बोर्ड - अन्य पेपर या पेपर बोर्ड मुख्यत: रंजित रसायन लुगदी से बने, व्यापक रुप से रंगा न गया हो - मुख्यत: यांत्रिक लुगदी (उदाहरणार्थ समाचार पत्र, पत्रिका और ऐसे ही मुद्रित सामग्री) से बना पेपर या पेपर बोर्ड - अन्य, किंतु उन तक सीमित नहीं 1) लेमिनेटिड पेपर बोर्ड, 2) अवर्गीकृत स्क्रैप	(क) विधिवत भरा हुआ प्ररूप 6 - संचलन दस्तावेज; (ख) विदेश व्यापार महानिदेशालय से आयात अनुज्ञप्ति, जहां कहीं प्रयोज्य हो; (ग) निर्यात करने वाले देश की निरीक्षण अभिकरण या विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित निरीक्षण एवं प्रमाणन अभिकरण द्वारा जारी पूर्व-शिपमेंट निरीक्षण प्रमाण पत्र; घ) वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए इन नियमों के अंतर्गत कार्य करने के लिए विधि मान्य सहमति पत्र। व्यापारियों के लिए केवल संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक बार का वैध प्राधिकार अपेक्षित है; (ङ) आयात किए जा रहे अपशिष्ट की रासायनिक विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट; (च) पिछले वित्त वर्ष में आयात के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फाइल की गई वार्षिक विवरणी की पावती प्रति ।
6	ख3140	एअर क्राफ्टों के अनुरक्षण के लिए एअरलाइनों द्वारा रिट्रिडिंग के लिए आयात किए गए और रिट्रिडिंग के बाद पुन: निर्यात किए जाने के लिए मूल उपकरण विनिर्माताओं को निर्यात किए गए एअरक्राफ्ट टायर और उन्हें जहाज पर या सीमा शुल्क बंधित क्षेत्रों के एअर साइड पर स्थित संबंधी एअर लाइन भंडारणों में रखा गया हो	सीमा शुल्क प्राधिकरण के विद्यमान मार्ग निर्देशों के अनुसार

*** टिप्पणी** एमएफडी के स्वदेशी रूप से निर्माण हो जाने पर मल्टी फंक्शन प्रिंट और कॉपी करने की मशीन के लिए मुक्त व्यापार की नीति की समीक्षा की जाएगी।

प्ररुप 1

[नियम 6(1) देखें]

परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट के संग्रहण/परिवहन/ग्रहण/भंडारण/पुनर्चक्रण/पुन: प्रसंस्करण/शोधन/ निस्तारण/आयात/ निर्यात के लिए प्राधिकार प्रदान/नवीकरण के लिए अपेक्षित आवेदन

भाग क : सामान्य (सभी के द्वारा भरा जाए)

1. (क) इकाई का नाम और पता और प्रसुविधा का अवस्थान :

(ख) प्रसुविधा के अधिभोगी या निस्तारण सुविधा के प्रचालक का नाम और पदनाम, टेलीफोन, फैक्स और ई-मेल सहित

(ग) जिसके लिए प्राधिकार अपेक्षित हो (कृपया समुचित क्रियाकलाप(पों) को इंगित करें)

(i)	उत्पादन	☐
(ii)	संग्रहण	☐
(iii)	भंडारण	☐
(iv)	परिवहन	☐
(v)	ग्रहण	☐
(vi)	पुन: प्रयोग	☐
(vii)	पुनर्चक्रण	☐
(viii)	पुन: प्राप्ति	☐
(ix)	पूर्व प्रसंस्करण	☐
(x)	सहप्रसंस्करण	☐
(xi)	उपयोग	☐
(xii)	शोधन	☐
(xiii)	निस्तारण	☐
(xiv)	भस्मीकरण	☐

(घ) प्राधिकार के नवीनीकरण के मामले में पूर्व प्राधिकार संख्या और तारीख और पूर्व की पर्यावरणीय स्वीकृत की शर्तों, जहां कहीं लागू हो, के संबंध में अनुपालन रिपोर्टों सहित पिछले तीन वर्षों की वार्षिक विवरणियों की प्रतियां उपलब्ध कराएं :

2. (क) प्रतिवर्ष प्रहस्तन किए जाने वो अपशिष्ट की प्रकृति और मात्रा (मीट्रिक टन या किलो लीटर में)

(ख) किसी भी समय भंडारित अपशिष्ट की प्रकृति और मात्रा (मीट्रिक टन या किलो लीटर में)

3. (क) उत्पादन की कमीशिनिंग और उत्पादन का वर्ष :

(ख) उद्योग में कार्य होते हैं :

(i)	01 शिफ्ट	☐
(ii)	02 शिफ्ट	☐
(iii)	चौबीसों घंटे	☐

4. आपात-कालीन प्रतिक्रिया योजना (ईआरपी) की प्रति उपलब्ध कराएं जिसमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथा विनिर्दिष्ट आपात स्थितियों (अर्थात्) छलकना या रिसाव होना या आग लगना) स्थितियों से निपटने के लिए प्रक्रियाओं का निराकरण किया गया हो। ऐसे ईआरपी में निम्नलिखित, किंतु इन तक सीमित नहीं, शामिल नहीं होंगे :

- घटनाओं को सीमित और नियंत्रित करना ताकि प्रभावों को न्यूनतम किया जा सके और लोगों, पर्यावरण और संपत्ति के समक्ष उत्पनन होने वाले खतरे को सीमित किया जा सके;
- लोगों पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए आवश्यक उपायों का क्रियान्वयन करना;
- उपलब्ध सुरक्षा उपकरणों और संसाधनों के विवरण सहित घटनाओं की स्थितियों और उनके परिणामों को नियंत्रित करने के लिए की जाने वाली अपेक्षित कार्रवाहियों का विवरण;
- स्टाफ द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित कर्त्तव्यों में उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था;

IndiaCode

• संबंधित प्राधिकारियों और आपात सेवाओं को सूचित किए जाने की व्यवस्था; और

• आफ साइट उपशमन में सहायता प्रदान करने की व्यवस्था।

5. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के प्रहस्तन के दौरान उनके बिखरने, रिसाव या आग लगने की स्थिति में बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की गुजाइश सहित सभी प्रावधानों का अनुपालन करने के संबंध में वचनबंध या घोषणा उपलब्ध कराएं।

भाग ख : परिसंकटमय अपशिष्ट के उत्पन्नकर्ताओं के द्वारा भरा जाए

1. (क) विनिर्मित उत्पाद और सहउत्पाद (नाम और प्रतिवर्ष उत्पादवार मात्रा) :

(ख) इनपुट और आउटपुट दर्शाते हुए प्रक्रिया फ्लोशीट सहित प्रक्रिया का विवरण (कच्ची सामग्रियां, रसायन, उत्पाद, सहउत्पाद, अपशिष्ट, उत्सर्जन, मलजल इत्यादि)। कृपया अलग से शीट संलग्न करें :

(ग) प्रतिवर्ष उत्पन्न अपशिष्ट की विशेषताएं (अपशिष्टवार) और मात्रा

(घ) उपर्युक्त (ग) के प्रबंधन की पद्धति :

I. संयंत्र के अंदर प्रतिभूत भंडारण की क्षमता और पद्धति;

II. संयंत्र के अंदर उपयोग (विवरण उपलब्ध कराएं);

III. यदि संयंत्र के अंदर उपयोग में न लाया जाता हो तो कृपया विवरण दें कि इस अपशिष्ट का क्या किया जाता है;

IV. वास्तविक प्रयोक्ताओं/ टीएसडीएफ को परिवहन की व्यवस्था ।

(ङ) उपर्युक्त बिंदु (ग) के सभी अपशिष्टों के सुरक्षित प्रहस्तन के लिए उपलब्ध कराए गए पर्यावरण सुरक्षा उपायों और पर्यावरण सुविधाओं का विवरण:

2. परिसंकटमय रसायन का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम 1989 के अधीन यथापरिभाषित परिसंकटमय रसायनों के भंडारण से इन नियमों के अनुसार उत्पन्न परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट

भाग ग : शोधन, भंडारण और निस्तारण सुविधा के प्रचालकों द्वारा भरा जाए

1. निम्नलिखित सहित सुविधा का विवरण उपलब्ध कराएं :

(i) स्थान की अवस्थिति, ले-आउट सहित नक्शा उपलब्ध कराएं;

(ii) अपशिष्ट का सुरक्षित भंडारण और भंडारण क्षमता;

(iii) शोधन प्रक्रियाएं और उनकी क्षमताएं;

(iv) प्रतिभूत खत्ता स्थल;

(v) भस्मीकरण, यदि कोई हो;

(vi) लीचेट संग्रहण और शोधन प्रणाली;

(vii) अग्नि शमन प्रणालियां;

(viii) निगरानी सहित पर्यावरण प्रबंधन योजना; और

(ix) उत्पन्नकर्ताओं से अपशिष्ट का परिवहन करने की व्यवस्था ।

2. शोधन, भंडारण और निस्तारण सुविधा स्थल पर किए जाने वाले किसी अन्य कार्यकलाप का विवरण उपलब्ध कराएं।

3. पर्यावरण पूर्वानुमति की प्रति संलग्न करें।

भाग घ : परिसंकटमय या अन्य अपशिष्टों के पुन:चक्रणकर्ताओं या पूर्व-प्रसंस्करणकर्ताओं या सह प्रसंस्करणकर्ताओं या प्रयोक्ताओं द्वारा भरा जाए

1. स्वदेशी या आयात अथवा दोनों स्रोतों से प्रतिवर्ष प्राप्त विभिन्न अपशिष्टों की प्रकृति और मात्रा :

2. जिला उद्योग केन्द्र या किसी अन्य प्राधिकृत सरकारी अभिकरण द्वारा जारी पंजीकरण के अनुसार संस्थापित क्षमता :

IndiaCode

3. भंडारण क्षमता सहित अपशिष्टों के प्रतिभूत भंडारण का विवरण उपलब्ध कराएं :

4. इनपुट और आउटपुट दर्शाते हुए प्रक्रिया फ्लोशीट सहित प्रक्रिया का विवरण (इनपुट अपशिष्ट रसायन, उत्पाद, सहउत्पाद, उत्पन्न अपशिष्ट, उत्सर्जन, मलजल इत्यादि)। कृपया अलग से शीट संलग्न करें :

5. उत्पादों या सहउत्पादों के अंतिम प्रयोक्ताओं का विवरण उपलब्ध कराएं:

6. अपशिष्ट की निस्तारण की पद्धति सहित बहिस्राव शोधन संयंत्र, स्क्रबर इत्यादि जैसी प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों का विवरण उपलब्ध कराएं :

7. वृतिक स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों का विवरण उपलब्ध कराएं :

8. क्या सुविधा की संस्थापना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप की गई है? यदि हां तो इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन संबंधी रिपोर्ट उपलब्ध कराएं :

9. प्रसुविधा तक अपशिष्ट के परिवहन की व्यवस्था:

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख
स्थान

पदनाम

प्ररूप 2

[नियम 6(2) देखें]

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिभोगियों, पुन:चक्रणकर्ताओं, पुन: प्रसंस्करणकर्ताओं, पुन:प्रयोक्ताओं, प्रयोक्ताओं और निस्तारण सुविधाओं के प्रचालकों के प्राधिकार की मंजूरी या नवीनीकरण का प्ररुप

1. प्राधिकार की संख्या और जारी करने की तारीख :
2. आवेदन का संदर्भ (संख्या और तारीख)
3.के.....कोमें स्थित परिसर में परिसंकटमय या अन्य अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रहण, ग्रहण भंडारण, परिवहन, पुन: प्रयोग, पुन:चक्रण, पुन: प्राप्ति, पूर्व प्रसंस्करण, सह प्रसंस्करण, उपयोग, शोधन निस्तारण या किसी अन्य प्रयोग के लिए संलग्न हस्ताक्षरित निरीक्षण रिपोर्ट के आधार एतदद्वारा प्राधिकार की मंजूरी दी जाती है।

प्राधिकार का विवरण

क्र.सं.	इन नियमों की अनुसूचियों I, II और III के अनुसार परिसंकटमय अपशिष्ट की श्रेणी	निस्तारण या पुन:चक्रण या उपयोग या सह प्रसंस्करण इत्यादि की प्राधिकृत पद्धति	मात्रा टन/वर्ष

(1) प्राधिकार की अवधि के लिए विधि मान्य होगा।

(2) प्राधिकार निम्नलिखित सामान्य और विशिष्ट शर्तों के अध्यधीन होगा। (कृपया सामान्य शर्तों के अतिरिक्त लगाई जाने वाली किन्ही आवश्यक विशिष्ट शर्तों, यदि कोई हों, को स्पष्ट करें:

IndiaCode

प्राधिकार की सामान्य शर्तें :

1. प्राधिकृत व्यक्ति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा।

2. प्राधिकार या उसका नवीनीकरण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के अनुरोध पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

3. प्राधिकृत व्यक्ति उसे प्राधिकार के माध्यम से अनुज्ञेय को छोड़कर परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों को किराए पर नहीं देगा, उधार नहीं देगा, विक्रय नहीं करेगा, अंतरण नहीं करेगा या अन्यथा परिवहन नहीं करेगा।

4. प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन में यथा उल्लिखित कार्मिकों, उपकरणों या कार्यदशाओं में अप्राधिकृत परिवर्तन उसके प्राधिकार के भंग का कारक होगा।

5. प्राधिकृत व्यक्ति बिखराव, रिसाव, आग इत्यादि जैसे सभी प्रकार के स्थल विशिष्ट संभावित दृश्यों और उनके संभावित प्रभावों पर विचार करते हुए आपात कार्यवाही प्रक्रिया (ईआरपी) क्रियान्वित करेगा जिसके लिए यह प्राधिकार प्रदान किया जा रहा है और साथ ही नियमित समय अंतराल पर इस संबंध में मॉक ड्रिल करेगा।

6. प्राधिकृत व्यक्ति 'परिसंकटमय अपशिष्ट के हथालन तथा निस्तारण के कारण होने वाली पर्यावरणीय क्षति के लिए कार्यान्वयन दायित्व और दंड' के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शक सिद्धांतों में रेखांकित किए गए उपबंधों का अनुपालन करेगा।

7. प्राधिकृत व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रसुविधा बंद करने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्वानुमति प्राप्त करे।

8. आयातित परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट का अभिवहन और किसी आकस्मिक दुर्घटना तथा उसकी निकासी संक्रिया के लिए पूर्ण रूप से बीमा किया जाएगा।

9. आयातित परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट की खपत के अभिलेख का रखरखाव किया जाएगा ।

10. आयातित परिसंकटमय या अन्य अपशिष्टों के पुन:चक्रण या पुन: प्रयोग या पुन: प्राप्ति या पुन: प्रसंस्करण या पुन: उपयोग के दौरान उत्पन्न होने वाले परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट का शोधन और निस्तारण प्राधिकार की विशिष्ट शर्तों के अनुरूप किया जाएगा ।

11. आयातकर्ता या निर्यातकर्ता आयात या निर्यात और क्षति, यदि कोई हो, के न्यूनीकरण, का खर्च वहन करेगा।

12. प्राधिकार के नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन इन नियमों के अंतर्गत अधिकथित के अनुसार किया जाएगा।

13. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अनुपालन के लिए कोई अन्य शर्तें।

14. वार्षिक विवरणी वर्ष के 31 मार्च की अवधि को सुनिश्चित करते हुए 30 जून तक दर्ज की जाएगी।

ख. विशिष्ट शर्तें:

तारीख :

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम और मुद्रा

प्ररुप 3

[नियम 6 (5), 13(7),14(6),16(5) और 20(1) देखें]

परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के अभिलेख के रखरखाव हेतु प्रारुप

1. प्रसुविधा का नाम और पता :

IndiaCode

2. प्राधिकार जारी किए जाने की तारीख और उसकी संदर्भ संख्या :

3. प्रहस्तन किए गए (उत्पन्न या प्राप्त) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का वर्णन :

तारीख	**इन नियमों की अनुसूचियों I, II और III के अनुसार श्रेणी सहित अपशिष्ट का प्रकार**	**कुल मात्रा (मीट्रिक टन)**	**भंडारण की प्रगति**	**गंतव्य स्थान या जहां से प्राप्त हुआ है**

** उपर्युक्त तालिका को स्वदेशी और आयातित अपशिष्ट के लिए अलग-अलग भरें।*

4. भेजे गए उत्पादों सहित परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के प्रबंधन और पुनर्चक्रणकर्ता या पूर्व प्रसंस्करणकर्ता और प्रयोक्ता के मामले में किसे भेजा गया, का तारीखवार विवरण :

5. पर्यावरणीय निगरानी की तारीख (प्राधिकार या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गनिर्देशों के अनुसार)

अधिभोगी के हस्ताक्षर

तारीख
स्थान

प्ररूप 4

[नियम 6 (5), 13(8), 16(6) और 20 (2)]

वार्षिक विवरिणयां फाइल करने के लिए प्रारूप

[अप्रैल से मार्च की पूर्ववर्ती अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाए]

1. प्रसुविधा का नाम और पता :

2. प्राधिकार संख्या और जारी करने की तारीख :

3. प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, टेलीफोन, फैक्स नम्बर और ई-मेल सहित पूरा पता :

4. वर्ष के दौरान उत्पादन (उत्पादवार) जहां कहीं प्रयोज्य हो

भाग क. परिसंकटमय अपशिष्ट के उत्पन्नकर्ता के द्वारा भरा जाए

1. उत्पन्न अपशिष्ट की श्रेणीवार कुल मात्रा

2. प्रेषित की गई मात्रा

(i) निपटान सुविधा को

(ii) पुन:चक्रणकर्ता या सह-प्रसंस्करणकर्ता या पूर्व प्रसंस्करणकर्ता को

(iii) अन्य

3. आंतरिक रूप से उपयोग में लाई गई मात्रा, यदि कोई हो

4. वर्ष के अंत में भंडारित मात्रा-

भाग ख. शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा के प्रचालकों द्वारा भरा जाए

1. प्राप्त की गई कुल मात्रा-

2. वर्ष के प्रारंभ में भंडार में मात्रा-

3. शोधित मात्रा-

4. खत्ता स्थलों में निस्तारित और शोधन के पश्चात मात्रा-

5. भस्मीकरण की गई मात्रा (यदि लागू हो)-

IndiaCode

6. ऊपर विनिर्दिष्ट से अलग प्रसंस्करण की गई मात्रा-

7. वर्ष के अंत में भंडारित मात्रा-

भाग ग. पुन:चक्रणकर्ताओं या सह-प्रसंस्करणकर्ताओं या अन्य प्रयोक्ताओं द्वारा भरा जाए

1. वर्ष के दौरान प्राप्त अपशिष्ट की मात्रा-

(i) घरेलू स्रोत

(ii) आयातित (यदि लागू हो)

2. वर्ष के प्रारंभ में भंडार में मात्रा-

3. पुनर्चक्रित की गई या सह-प्रसंस्करण की गई या प्रयुक्त मात्रा-
4. प्रेषण किए गए उत्पादों की मात्रा (जहां कहीं लागू हो)-

5. उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा-

6. निस्तारित अपशिष्ट की मात्रा-

7. पुन: निर्यात की गई मात्रा (जहां कहीं लागू हो)-

8. वर्ष के अंत में भंडारित मात्रा-

तारीख
स्थान

अधिभोगी या निपटान सुविधा
के प्रचालक के हस्ताक्षर :

प्ररुप 5

[नियम 13(1) और 14(1) देखें]

पुनर्प्रयोग या पुनर्चक्रण या पुन: प्राप्ति या सह-प्रसंस्करण या उपयोग के लिए परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट के आयात या निर्यात के लिए आवेदन

आवेदक द्वारा भरा जाए

क्र.सं.	**विवरण**	**आयातक या निर्यातक द्वारा दिया जाने वाला विवरण**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	भारत में आयातकर्ता या निर्यातकर्ता (नाम और पता)	
	संपर्क व्यक्ति	
	टेलीफोन,फैक्स और ई-मेल	
	सुविधा का स्थान/पता	
	आयात या निर्यात का कारण	
2.	भारत के बाहर आयातकर्ता या निर्यातकर्ता (नाम और पता)	
3.	आयात या निर्यात किए जाने वाले अपशिष्ट का विवरण	
	(क) मात्रा (ख) बेसल सं. (ग) एकल/बहु संचलन (घ) अपशिष्ट का रासायनिक संघटन (विवरण संलग्न करें, जहां लागू हो) (ड.) भौतिक विशेषताएं (च) विशेष प्रहस्तन अपेक्षाएं, यदि लागू हों	
4.	अनुसूची ।।।क के परिसंकटमय अपशिष्ट के लिए क्या पूर्व सूचित सहमति प्राप्त की गई है	
5.	**आयातकर्ता के लिए** (क) पर्यावरणीय सुरक्षोपायों सहित प्रक्रिया का विवरण (अलग से शीट	

	संलग्न करें) (ख) पुनर्चक्रण या सह-प्रसंस्करण या पुन: प्राप्ति या उपयोग की क्षमता **राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विधि मान्य प्राधिकार और प्रचालन की वैध सहमति में से प्रत्येक की प्रति संलग्न करें।**	
6.	पिछले तीन वर्षों में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति के प्रति आयात का विवरण	
7.	प्रवेश का बंदरगाह	

8. वचन बंध

मैं सत्यानिष्ठा से घोषणा करता हूं कि :

(i) दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार पूर्ण और सही है और विधिक रूप से प्रवर्तनीय लिखित बाध्यताओं के संबंध में करार कर लिया गया है कि और यह कि कोई लागू बीमा अथवा अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां सीमापार संचलन को शामिल करते हुए लागू हैं या लागू रहेंगी।

(ii) अनुज्ञात अपशिष्ट का अभिवहन और किसी आकस्मिक दुर्घटना तथा उसकी निकासी संक्रिया के लिए पूर्ण रूप से बीमा किया जाएगा।

(iii) आयातित अपशिष्ट की खपत और अंतिम दशा का अभिलेखन किया जाएगा और प्रत्येक तिमाही में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी।

(iv) ऐसे परिसंकटमय अपशिष्ट, जो कच्ची सामग्री के रूप में आयातित परिसंकटमय अपशिष्ट के उपयोग से हमारे परिसर में उत्पन्न होता है, का शोधन और निपटान प्राधिकार की शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(v) मैं निर्यात और नुकसान, यदि कोई हो के न्यूनीकरण का खर्च वहन करने की सहमति देता हूं।

(vi) मुझे इस बात की जानकारी है कि मिथ्या प्रमाण पत्र/वचनबंध देने/इन नियमों और विधिपूर्ण आदेशों का अनुपालन न करने के लिए विशेष शास्तियों की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत जुर्माने और कारावास की संभावना भी है।

(vii) यदि आयातकर्ता को स्वीकार्य न हो तो निर्यात किए गए अपशिष्ट वापस ले लिए जाएंगे।

आवेदक के हस्ताक्षर
पदनाम

तारीख

स्थान.....

प्ररुप 6

[नियम 13(2), 13(10) और 14(5)देखें]

सीमापार संचालन - संचलन दस्तावेज

क्र.सं.	**विवरण**		**निर्यातक/आयातक द्वारा दिए जाने वाला विवरण**
1	निर्यातकर्ता (नाम और पता) संपर्क व्यक्ति टेलीफोन,फैक्स और ई-मेल	:	
2.	अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता (नाम और पता): संपर्क व्यक्ति टेलीफोन,फैक्स और ई-मेल	:	
	उत्पत्ति स्थल	:	

IndiaCode

3.	आयातकर्ता या वास्तविक प्रयोक्ता (नाम और पता) संपर्क व्यक्ति टेलीफोन,फैक्स और ई-मेल	: : :	
4.	व्यापारी (नाम और पता) संपर्क व्यक्ति टेलीफोन,फैक्स और ई-मेल		
	वास्तविक प्रयोक्ता का विवरण (नाम, पता, टेलीफोन और ई-मेल)		
5.	आवेदक की संदर्भ संख्या (यदि कोई हो)	:	
6.	लदान पत्र (प्रतिलिपि संलग्न करें)	:	
7.	आयात/निर्यात का देश		
8.	अपशिष्ट का सामान्य विवरण		
	(क) मात्रा (ख) भौतिक विशेषताएं (ग) अपशिष्ट का रासायनिक संघटन, जहां लागू हो विवरण संलग्न करें (घ) बेसल सं. (ड.) यूएन पोत परिवहन सं. (च) यूएन वर्ग (छ) यूएन सं. (ज) एच संख्या (झ) वाई संख्या (ञ) आईटीसी (एचएस) (ट) सीमाशुल्क कोड (एच.एस.) (ठ) अन्य (विशेष ब्यौरा दें)		
9.	पैकेजों का प्रकार		
	संख्या		
10.	दुर्घटनाओं की स्थिति में आपात प्रावधान सहित विशेष प्रहस्तन अपेक्षाएं		
11.	एकल/बहु पारेषण के अध्यधीन संचलन		
	बहु संचलन की स्थिति में - (क) प्रत्येक पारेषण की संभावित तारीख या पारेषणों की बारंबारता (ख) अनुमानित कुल मात्रा और प्रत्येक पारेषण की मात्रा		
12.	अपशिष्ट का परिवाहक (नाम और पता)[1] संपर्क व्यक्ति टेलीफोन, फैक्स और ई-मेल		
	पंजीकरण संख्या		
	परिवहन का साधन (सड़क, रेल, अंतर्देशीय जल मार्ग, समुद्र, वायु)[2]		
	अंतरण की तारीख		
	वाहक के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		
13.	**परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट के लिए निर्यातक की घोषणा :**		

IndiaCode

	मैं प्रमाणित करता हूं कि ऊपर क्र.सं.1 से 12 तक दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार पूर्ण और सही है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि विधिक रूप से प्रवर्तनीय लिखित बाध्यताओं की बाबत यह करार कर लिया गया है कि कोई लागू बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां सीमापार पारगमन को शामिल करते हुए लागू रहेंगी। तारीख :..... हस्ताक्षर :..... नाम :.....		
आयातकर्ता (वास्तविक प्रयोक्ता या व्यापारी) द्वारा भरा जाए			
14.	आयातकर्ता/वास्तविक प्रयोक्ता/व्यापारी[2/3] द्वारा प्राप्त माल		
	प्राप्त मात्राकि.ग्रा./ली. तारीख : नाम : हस्ताक्षर:		
15.	पुन: प्राप्ति की पद्धतियां		
	आर कोड* प्रयुक्त प्राद्योगिकी (विवरण संलग्न करें, यदि आवश्यक हो)		
16.	मैं यह प्रमाणित करता हूं कि इन नियमों के तहत शामिल घोषित माल के अलावा उपर्युक्त प्रेषित माल में अन्य कुछ भी आयातित और पुन: चक्रित नहीं किया जाएगा। हस्ताक्षर : तारीख :		
17.	संचलन सहमति के लिए विशिष्ट शर्तें, यदि लागू हों		(विवरण संलग्न करें)
नोट :-(1) सूची संलग्न करें, यदि एक से अधिक हो; (2) उपयुक्त विकल्प चुने; (3) आपात स्थिति में तत्काल सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करें; (4) यदि वाहक एक से अधिक हो, तो क्र.सं.12 में विदित सूचना दें।			

IndiaCode

संचलन प्रलेख में प्रयुक्त लघु रूपों की सूची

पुन: प्राप्ति संक्रियाएं (*)

आर1 ईंधन (प्रत्यक्ष भस्मीकरण से भिन्न) या ऊर्जा उत्पादन के अन्य साधनों के रूप में प्रयोग।

आर2 विलायक का उद्धरण/पुनरूत्पादन।

आर3 ऐसे कार्बनिक पदार्थों का पुनर्चक्रण/उद्धरण, जो विलायक के रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं।

आर4 धातुओं और धातु सम्मिश्रणों का पुनर्चक्रण/उद्धरण।

आर5 अन्य अकार्बनिक पदार्थों का पुनर्चक्रण/उद्धरण ।

आर6 अम्ल और क्षारों का पुनरूत्पादन ।

आर7 प्रदूषण उपशमन के लिए प्रयुक्त संघटकों की पुन: प्राप्ति ।

आर8 उत्प्रेरकों से संघटकों की पुन: प्राप्ति ।

आर9 प्रयुक्त तेल का पुन:परिशोधन या पहले प्रयुक्त तेल के अन्य पुनरूपयोग।

आर10 भूमि उपचार जिसके परिणामस्वरूप कृषि या परिस्थितिकीय सुधार का फायदा।

आर11 सं. आर 1 से आर 10 तक की किसी भी संक्रिया से प्राप्त अवशिष्ट सामग्रियों का प्रयोग।

तारीख: हस्ताक्षर:
स्थान : पदनाम :

प्ररूप 7

[नियम 13(2)(ग) देखें]

अनुसूची III के भाग घ के अपशिष्ट के लिए व्यापारियों के एकबारगी प्राधिकार के लिए आवेदन पत्र का प्ररूप

(व्यापारी द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाए)

1.	व्यापारी का नाम और पता, टेलीफोन, फैक्स संख्या और ई-मेल सहित	:	
2.	टिन/वैट संख्या/आयात/निर्यात कोड	:	
3.	आयात किए जाने वाले अन्य अपशिष्ट का विवरण और मात्रा	:	
4.	भंडारण, यदि कोई हो, का विवरण	:	
5.	प्राधिकृत वास्तविक उपयोगकर्ता(ओं) का/के नाम और पता/पते	:	

IndiaCode

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख :
स्थान :

प्ररूप 8

[नियम 17(1) और 18(2) देखें]

परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट के कंटेनरों की लेबलिंग

सावधानी से प्रहस्तन करें

इन नियमों की अनुसूचियों II और III के भाग ग के अनुसार अपशिष्ट की श्रेणी और विशेषताएं.....	असंगत अपशिष्ट और पदार्थ
कुल मात्रा	भंडारण की तारीख
अपशिष्ट की भौतिक अवस्था (ठोस/अर्द्ध ठोस/द्रव) :	
प्रेषणकर्ता का नाम और पता	प्राप्तकर्ता का नाम और पता
फोन	फोन
ई-मेल	ई-मेल
टेलीफोन और फैक्स संख्या	टेलीफोन और फैक्स संख्या
संपर्क व्यक्ति	संपर्क व्यक्ति
आपात स्थिति में कृपया संपर्क करें	

टिप्पणी :

1. लेबल की पृष्ठभूमि का रंग - *फ्लोरेसेंट येलो*
2. शब्द 'परिसंकटमय अपशिष्ट' और 'सावधानी से प्रहस्तन करें' हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में स्पष्ट रूप से और लाल रंग में लिखे जाएं।
3. शब्द 'अन्य अपशिष्ट' हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में संतरे रंग में स्पष्ट रूप से लिखे जाएं।

4. लेबल न मिटने वाली और मौसम सह सामग्री का होना चाहिए।

प्ररुप 9

[नियम 18(2) देखें]

परिवहन आपात स्थिति (ट्रेम) कार्ड

[अपशिष्ट के प्रेषणकर्ता द्वारा दिए गए परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों के परिवहन के दौरान परिवाहक द्वारा साथ रखा जाए]

1. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों की विशेषताएं :

क्र. सं.	**अपशिष्ट का प्रकार**	**भौतिक गुण**	**रासायनिक संघटक**	**प्रभाव संबंधी परिसंकट**	**प्राथमिक उपचार आवश्यकताएं**

2. आग की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :

3. बिखरने/दुर्घटना/विस्फोट की स्थिति में अपनाई जाने प्रक्रिया :

4. विशेषज्ञ सेवाओं के लिए कृपया संपर्क करें :
 (i) नाम और पता :
 (ii) टेलीफोन नं. :

IndiaCode

(प्रेषणकर्ता का नाम, संपर्क के लिए नम्बर और हस्ताक्षर)

तारीख
स्थान

प्ररूप 10

[नियम 19(1) देखें]

परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट संबंधी मालसूची

1.	प्रेषणकर्ता का नाम और डाक का पता : (फोन नं. और ई-मेल सहित)	
2.	प्रेषणकर्ता का प्राधिकार संख्या :	
3.	सूची दस्तावेज संख्या :	
4.	परिवाहक का नाम और पता : (फोन नं. और ई-मेल सहित)	
5.	वाहन का प्रकार :	(ट्रक/टैंकर/विशेष वाहन)
6.	परिवाहक की पंजीकरण संख्या	
7.	वाहन की पंजीकरण संख्या	
8.	प्राप्तकर्ता का नाम और डाक का पता (फोन नं. और ई-मेल सहित)	
9.	प्राप्तकर्ता का प्राधिकार संख्या	
10	अपशिष्ट का विवरण	
11.	कुल मात्रा	घन मी. या मीट्रिक टन

	कंटेनरों की संख्या	संख्या.....
12.	वास्तविक स्वरूप	(ठोस/अर्ध ठोस/गाद/तैलीय/टैरी/स्लरी/द्रव)
13.	प्रहस्तन संबंधी विशेष अनुदेश और अतिरिक्त सूचना	
14.	प्रेषणकर्ता का प्रमाण-पत्र	मैं यह घोषणा करता हूं कि पारेषण की अंतर्वस्तुएं समुचित पोत परिवहन के नाम से ऊपर पूर्णतया और सही रुप में वर्णित की गई है और उन्हें प्रवर्गीकृत पैक चिन्हांकित और लेबलित किया गया है और वह लागू राष्ट्रीय सरकारी विनियमों के अनुसार सड़क द्वारा परिवहन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त दशा में हैं।
	नाम और मुहर : हस्ताक्षर:	माह दिन वर्ष
15.	अपशिष्ट की प्राप्ति के लिए परिवाहक की अभिस्वीकृति	
	टंकित नाम और स्टैम्प : हस्ताक्षर	माह दिन वर्ष
16.	परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट की प्राप्ति की बाबत प्राप्तकर्ता का प्रमाण-पत्र	
	टंकित नाम और स्टैम्प : हस्ताक्षर	माह दिन वर्ष

प्रारूप 11

[नियम 22 देखें]

दुर्घटना की रिपोर्ट करने के लिए प्रपत्र

[प्रसुविधा या प्रेषणकर्ता या प्राप्तकर्ता या परिवहनकर्ता द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाए]

1. दुर्घटना की तारीख और समय :
2. दुर्घटना के कारकों का क्रम :
3. दुर्घटना में शामिल परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का विवरण :
4. स्वास्थ्य या पर्यावरण पर दुर्घटना के प्रभावों के मूल्यांकन की तारीख :
5. किए गए आपातकालीन उपाए :
6. दुर्घटना के प्रभावों को समाप्त करने के लिए उठाए गए कदम :
7. ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए गए कदम :

तारीख : **हस्ताक्षर :**

स्थान : **पदनाम :**

प्ररूप 12

[नियम 24(1) देखें]

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने का आवेदन

1. अपील करने वाले व्यक्ति का नाम और पता :
2. आदेश की संख्या, तारीख और उस प्राधिकरण का पता जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है : (आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

IndiaCode

3. अपील करने का आधार :

4. मांगी गई राहत :

5. पैरा 2 में संदर्भित आदेश, जिसके विरुद्ध अपील दायर की जा रही है, के अतिरिक्त अनुलग्नकों की सूची :

हस्ताक्षर.....

तारीख :

नाम और पता

----------X----------X----------

[23-16/2009-एचएसएमडी]

विश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2016

G.S.R. 395(E).—Whereas the draft rules, namely the Hazardous And Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2015, were published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* number G.S.R. 582(E), dated the 24th July, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary Part II, section 3, sub-section (ii) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS the copies of the said Gazette containing the said notification were made available to the public on the 24th day of July, 2015;

AND WHEREAS the objections and suggestions received within the specified period from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), and in supersession of the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. - These rules shall apply to the management of hazardous and other wastes as specified in the Schedules to these rules but shall not apply to -

(a) waste-water and exhaust gases as covered under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder and as amended from time to time;

(b) wastes arising out of the operation from ships beyond five kilometres of the relevant baseline as covered under the provisions of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) and the rules made thereunder and as amended from time to time;

(c) radio-active wastes as covered under the provisions of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) and the rules made thereunder and as amended from time to time;

(d) bio-medical wastes covered under the Bio-Medical Wastes (Management and Handling) Rules, 1998 made under the Act and as amended from time to time; and

(e) wastes covered under the Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 made under the Act and as amended from time to time.

3. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

1. "Act" means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

2. "actual user" means an occupier who procures and processes hazardous and other waste for reuse, recycling, recovery, pre-processing, utilisation including co-processing;

3. "authorisation" means permission for generation, handling, collection, reception, treatment, transport, storage, reuse, recycling, recovery, pre-processing, utilisation including co-processing and disposal of hazardous wastes granted under sub-rule (2) of rule 6;

4. "Basel Convention" means the United Nations Environment Programme Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and their Disposal;

5. "captive treatment, storage and disposal facility" means a facility developed within the premises of an occupier for treatment, storage and disposal of wastes generated during manufacture, processing, treatment, package, storage, transportation, use, collection, destruction, conversion, offering for sale, transfer or the like of hazardous and other wastes;

6. "Central Pollution Control Board" means the Central Pollution Control Board constituted under sub-section (1) of section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);

7. "common treatment, storage and disposal facility" means a common facility identified and established individually or jointly or severally by the State Government, occupier, operator of a facility or any association of occupiers that shall be used as common facility by multiple occupiers or actual users for treatment, storage and disposal of the hazardous and other wastes;

8. "co-processing" means the use of waste materials in manufacturing processes for the purpose of energy or resource recovery or both and resultant reduction in the use of conventional fuels or raw materials or both through substitution;

9. "critical care medical equipment" means life saving equipment and includes such equipment as specified by the Ministry of Health and Family Welfare from time to time;

10. "disposal" means any operation which does not lead to reuse, recycling, recovery, utilisation including co-processing and includes physico-chemical treatment, biological treatment, incineration and disposal in secured landfill;

11. "export", with its grammatical variations and cognate expressions, means taking out of India to a place outside India;

12. "exporter" means any person or occupier under the jurisdiction of the exporting country who exports hazardous or other wastes, including the country which exports hazardous or other waste;

13. "environmentally sound management of hazardous and other wastes" means taking all steps required to ensure that the hazardous and other wastes are managed in a manner which shall protect health and the environment against the adverse effects which may result from such waste;

14. "environmentally sound technologies" means any technology approved by the Central Government from time to time;

15. "facility" means any establishment wherein the processes incidental to the generation, handling, collection, reception, treatment, storage, reuse, recycling, recovery, pre-processing, co-processing, utilisation and disposal of hazardous and, or, other wastes are carried out;

16. "Form" means a form appended to these rules;

17. "hazardous waste" means any waste which by reason of characteristics such as physical, chemical, biological, reactive, toxic, flammable, explosive or corrosive, causes danger or is likely to cause danger to health or environment, whether alone or in contact with other wastes or substances, and shall include -
 (i) waste specified under column (3) of Schedule I;
 (ii) waste having equal to or more than the concentration limits specified for the constituents in class A and class B of Schedule II or any of the characteristics as specified in class C of Schedule II; and
 (iii) wastes specified in Part A of Schedule III in respect of import or export of such wastes or the wastes not specified in Part A but exhibit hazardous characteristics specified in Part C of Schedule III;

18. "import", with its grammatical variations and cognate expressions, means bringing into India from a place outside India;

19. "importer" mean any person or occupier who imports hazardous or other waste;

20. "manifest" means transporting document prepared and signed by the sender authorised in accordance with the provisions of these rules;

21. "occupier" in relation to any factory or premises, means a person who has, control over the affairs of the factory or the premises and includes in relation to any hazardous and other wastes, the person in possession of the hazardous or other waste;

22. "operator of disposal facility" means a person who owns or operates a facility for collection, reception, treatment, storage and disposal of hazardous and other wastes;

23. "other wastes**"** means wastes specified in Part B and Part D of Schedule III for import or export and includes all such waste generated indigenously within the country;

24. "pre-processing" means the treatment of waste to make it suitable for co-processing or recycling or for any further processing;

25. "recycling" means reclamation and processing of hazardous or other wastes in an environmentally sound manner for the originally intended purpose or for other purposes;

26. "reuse" means use of hazardous or other waste for the purpose of its original use or other use;

27. "recovery" means any operation or activity wherein specific materials are recovered;

28. "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

29. "State Government" in relation to a Union territory means, the Administrator thereof appointed under article 239 of the Constitution;

30. "State Pollution Control Board" means the State Pollution Control Board constituted under section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and includes, in relation to a Union territory, the Pollution Control Committee;

31. "storage" mean storing any hazardous or other waste for a temporary period, at the end of which such waste is processed or disposed of;

32. "transboundary movement" means any movement of hazardous or other wastes from an area under the jurisdiction of one country to or through an area under the jurisdiction of another country or to or through an area not under the jurisdiction of any country, provided that at least two countries are involved in the movement;

33. "transport" means off-site movement of hazardous or other wastes by air, rail, road or water;

34. "transporter" means a person engaged in the off-site transportation of hazardous or other waste by air, rail, road or water;

IndiaCode

35. "treatment" means a method, technique or process, designed to modify the physical, chemical or biological characteristics or composition of any hazardous or other waste so as to reduce its potential to cause harm;

36. "used oil" means any oil-

(i) derived from crude oil or mixtures containing synthetic oil including spent oil, used engine oil, gear oil, hydraulic oil, turbine oil, compressor oil, industrial gear oil, heat transfer oil, transformer oil and their tank bottom sludges; and
(ii) suitable for reprocessing, if it meets the specification laid down in Part A of Schedule V but does not include waste oil;

37. "utilisation" means use of hazardous or other waste as a resource;

38. "waste" means materials that are not products or by-products, for which the generator has no further use for the purposes of production, transformation or consumption.

Explanation.- for the purposes of this clause,
(i) waste includes the materials that may be generated during, the extraction of raw materials, the processing of raw materials into intermediates and final products, the consumption of final products, and through other human activities and excludes residuals recycled or reused at the place of generation; and
(ii) by-product means a material that is not intended to be produced but gets produced in the production process of intended product and is used as such;

39. "waste oil" means any oil which includes spills of crude oil, emulsions, tank bottom sludge and slop oil generated from petroleum refineries, installations or ships and can be used as fuel in furnaces for energy recovery, if it meets the specifications laid down in Part-B of Schedule V either as such or after reprocessing.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

PROCEDURE FOR MANAGEMENT OF HAZARDOUS AND OTHER WASTES

4. Responsibilities of the occupier for management of hazardous and other wastes.-

(1) For the management of hazardous and other wastes, an occupier shall follow the following steps, namely:-
(a) prevention;
(b) minimization;
(c) reuse,
(d) recycling;
(e) recovery, utilisation including co-processing;
(f) safe disposal.

(2) The occupier shall be responsible for safe and environmentally sound management of hazardous and other wastes.

(3) The hazardous and other wastes generated in the establishment of an occupier shall be sent or sold to an authorised actual user or shall be disposed of in an authorised disposal facility.

(4) The hazardous and other wastes shall be transported from an occupier's establishment to an authorised actual user or to an authorised disposal facility in accordance with the provisions of these rules.

(5) The occupier who intends to get its hazardous and other wastes treated and disposed of by the operator of a treatment, storage and disposal facility shall give to the operator of that facility, such specific information as may be needed for safe storage and disposal.

(6) The occupier shall take all the steps while managing hazardous and other wastes to-
(a) contain contaminants and prevent accidents and limit their consequences on human beings and the environment; and

(b) provide persons working in the site with appropriate training, equipment and the information necessary to ensure their safety.

5. Responsibilities of State Government for environmentally sound management of hazardous and other wastes. – (1) Department of Industry in the State or any other government agency authorised in this regard by the State Government, to ensure earmarking or allocation of industrial space or shed for recycling, pre-processing and other utilisation of hazardous or other waste in the existing and upcoming industrial park, estate and industrial clusters;

(2) Department of Labour in the State or any other government agency authorised in this regard by the State Government shall,-

(a) ensure recognition and registration of workers involved in recycling, pre-processing and other utilisation activities;
(b) assist formation of groups of such workers to facilitate setting up such facilities;
(c) undertake industrial skill development activities for the workers involved in recycling, pre-processing and other utilisation;
(d) undertake annual monitoring and to ensure safety and health of workers involved in recycling, pre-processing and other utilisation.

(3) Every State Government may prepare integrated plan for effective implementation of these provisions and to submit annual report to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, in the Central Government.

6. Grant of authorisation for managing hazardous and other wastes.- (1) Every occupier of the facility who is engaged in handling, generation, collection, storage, packaging, transportation, use, treatment, processing, recycling, recovery, pre-processing, co-processing, utilisation, offering for sale, transfer or disposal of the hazardous and other wastes shall be required to make an application in **Form 1** to the State Pollution Control Board and obtain an authorisation from the State Pollution Control Board within a period of sixty days from the date of publication of these rules. Such application for authorisation shall be accompanied with a copy each of the following documents, namely:-

(a) consent to establish granted by the State Pollution Control Board under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (25 of 1974) and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (21 of 1981);
(b) Consent to operate granted by the State Pollution Control Board under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (25 of 1974) and/or Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, (21 of 1981);
(c) in case of renewal of authorisation, a self-certified compliance report in respect of effluent, emission standards and the conditions specified in the authorisation for hazardous and other wastes:

Provided that an application for renewal of authorisation may be made three months before the expiry of such authorisation:

Provided further that-

(i) any person authorised under the provisions of the Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008, prior to the date of commencement of these rules, shall not be required to make an application for authorisation till the period of expiry of such authorisation;
(ii) any person engaged in recycling or reprocessing of the hazardous waste specified in Schedule IV and having registration under the provisions of the Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008, shall not be required to make an application for authorisation till the period of expiry of such registration.

(2) On receipt of an application complete in all respects for the authorisation, the State Pollution Control Board may, after such inquiry as it considers necessary, and on being satisfied that the applicant possesses appropriate facilities for collection, storage, packaging, transportation, treatment, processing, use, destruction, recycling, recovery, pre-processing, co-processing, utilisation, offering for sale, transfer or disposal of the hazardous and other waste, as the case may be, and after ensuring technical capabilities and equipment complying with the standard operating procedure or other guidelines specified by the Central Pollution Control Board from time to time and through site inspection, grant within a period of one hundred and twenty days, an authorisation in **Form 2** to the applicant, which shall be valid for a period of five years subject to such conditions as may be laid down therein. For commonly recyclable hazardous waste as given in Schedule IV, the guidelines already prepared by the Central Pollution Control Board shall be followed:

Provided that in the case of an application for renewal of authorisation, the State Pollution Control Board may, before granting such authorisation, satisfy itself that there has been no violation of the conditions specified in the authorisation earlier granted by it and same shall be recorded in the inspection report.

(3) The authorisation granted by the State Pollution Control Board under sub-rule (2) shall be accompanied by a copy of the field inspection report signed by that Board indicating the adequacy of facilities for collection, storage, packaging, transportation, treatment, processing, use, destruction, recycling, recovery, pre-processing, co-processing, utilisation, offering for sale, transfer or disposal of the hazardous and other wastes and compliance to the guidelines or standard operating procedures specified by the Central Pollution Control Board from time to time.

(4) The State Pollution Control Board may, for the reasons to be recorded in writing and after giving reasonable opportunity of being heard to the applicant, refuse to grant any authorisation under these rules.

(5) Every occupier authorised under these rules, shall maintain a record of hazardous and other wastes managed by him in **Form 3** and prepare and submit to the State Pollution Control Board, an annual return containing the details specified in **Form 4** on or before the 30th day of June following the financial year to which that return relates.

(6) The State Pollution Control Board shall maintain a register containing particulars of the conditions imposed under these rules for management of hazardous and other wastes and it shall be open for inspection during office hours to any interested or affected person.

(7) The authorised actual user of hazardous and other wastes shall maintain records of hazardous and other wastes purchased in a passbook issued by the State Pollution Control Board along with the authorisation.

(8) Handing over of the hazardous and other wastes to the authorised actual user shall be only after making the entry into the passbook of the actual user.

7. Power to suspend or cancel an authorisation.- (1) The State Pollution Control Board, may, if in its opinion the holder of the authorisation has failed to comply with any of the conditions of the authorisation or with any provisions of the Act or these rules and after giving him a reasonable opportunity of being heard and after recording reasons thereof in writing cancel or suspend the authorisation issued under rule 6 for such period as it considers necessary in the public interest.

(2) Upon suspension or cancellation of the authorisation, the State Pollution Control Board may give directions to the person whose authorisation has been suspended or cancelled for the safe storage and management of the hazardous and other wastes, and such occupier shall comply with such directions.

8. Storage of hazardous and other wastes.- (1) The occupiers of facilities may store the hazardous and other wastes for a period not exceeding ninety days and shall maintain a record of sale, transfer, storage, recycling, recovery, pre-processing, co-processing and utilisation of such wastes and make these records available for inspection:

Provided that the State Pollution Control Board may extend the said period of ninety days in following cases, namely:-

(i) small generators (up to ten tonnes per annum) up to one hundred and eighty days of their annual capacity;

(ii) actual users and disposal facility operators up to one hundred and eighty days of their annual capacity,

(iii) occupiers who do not have access to any treatment, storage, disposal facility in the concerned State; or

(iv) the waste which needs to be specifically stored for development of a process for its recycling, recovery, pre-processing, co-processing or utilisation;

(v) in any other case, on justifiable grounds up to one hundred and eighty days.

9. Utilisation of hazardous and other wastes.- (1) The utilisation of hazardous and other wastes as a resource or after pre-processing either for co-processing or for any other use, including within the premises of the generator (if it is not part of process), shall be carried out only after obtaining authorisation from the State Pollution Control Board in respect of waste on the basis of standard operating procedures or guidelines provided by the Central Pollution Control Board.

(2) Where standard operating procedures or guidelines are not available for specific utilisation, the approval has to be sought from Central Pollution Control Board which shall be granting approval on the basis of trial runs and thereafter, standard operating procedures or guidelines shall be prepared by Central Pollution Control Board:

Provided, if trial run has been conducted for particular waste with respect to particular utilisation and compliance to the environmental standards has been demonstrated, authorisation may be granted by the State Pollution Control Board with respect to the same waste and utilisation, without need of separate trial run by Central Pollution Control Board and such cases of successful trial run, Central Pollution Control Board shall intimate all the State Pollution Control Board regarding the same.

(3) No trial runs shall be required for co-processing of waste in cement plants for which guidelines by the Central Pollution Control Board are already available; however, the actual users shall ensure compliance to the standards notified under the Environment (Protection) Act,1986 (29 of 1986), for cement plant with respect to co-processing of waste:

Provided that till the time the standards are notified, the procedure as applicable to other kind of utilisation of hazardous and other waste, as enumerated above shall be followed.

10. Standard Operating Procedure or guidelines for actual users.- The Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the Central Pollution Control Board may issue guidelines or standard operating procedures for environmentally sound management of hazardous and other wastes from time to time.

CHAPTER III

IMPORT AND EXPORT OF HAZARDOUS AND OTHER WASTES

11. Import and export (transboundary movement) of hazardous and other wastes.- The Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall be the nodal Ministry to deal with the transboundary movement of the hazardous and other wastes in accordance with the provisions of these rules.

12. Strategy for Import and export of hazardous and other wastes.- (1) No import of the hazardous and other wastes from any country to India for disposal shall be permitted.

(2) The import of hazardous and other wastes from any country shall be permitted only for recycling, recovery, reuse and utilisation including co-processing.

(3) The import of hazardous waste in Part A of Schedule III may be allowed to actual users with the prior informed consent of the exporting country and shall require the permission of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(4) The import of other wastes in Part B of Schedule III may be allowed to actual users with the permission of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(5) The import of other wastes in Part D of Schedule III will be allowed as per procedure given in rule 13 and as per the note below the said Schedule.

(6) No import of the hazardous and other wastes specified in Schedule VI shall be permitted.

(7) The export of hazardous and other wastes from India listed in Part A and Part B of Schedule III and Schedule VI shall be with the permission of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. In case of applications for export of hazardous and other waste listed in Part A of Schedule III and Schedule VI, they shall be considered on the basis of prior informed consent of the importing country.

(8) The import and export of hazardous and other wastes not specified in Schedule III, but exhibiting the hazardous characteristics outlined in Part C of Schedule III shall require prior written permission of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change before it is imported to or exported from India, as the case may be.

13. Procedure for import of hazardous and other wastes.- (1) Actual users intending to import or transit for transboundary movement of hazardous and other wastes specified in Part A and Part B of Schedule III shall apply in **Form 5** along with the documents listed therein, to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for the proposed import together with the prior informed consent of the exporting country in respect of Part A of Schedule III waste, and shall send a copy of the application, simultaneously, to the concerned State Pollution Control Board for information and the acknowledgement in this respect from the concerned State Pollution Control Board shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change along with the application.

(2) For the import of other wastes listed in Part D of Schedule III, the importer shall not require the permission of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. However, the importer shall furnish the required information as per **Form 6** to the Customs authorities, accompanied with the following documents in addition to those listed in Schedule VIII, wherever applicable. For used electrical and electronic assemblies listed at serial numbers 4 (e) to 4(i) of Schedule VIII (Basel No. B1110), there is no specific requirement of documentation under these rules:

(a) the import license from Directorate General of Foreign Trade, if applicable;

IndiaCode

(b) the valid consents under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (25 of 1974) and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (21 of 1981) and the authorisation under these rules as well as the authorisation under the E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, as amended from time to time, whichever applicable;

(c) importer who is a trader, importing waste on behalf of actual users, shall obtain one time authorisation in **Form 7** and copy of this authorisation shall be appended to **Form 6**.

(3) For Part B of Schedule III, in case of import of any used electrical and electronic assemblies or spares or part or component or consumables as listed under Schedule I of the E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, as amended from time to time, the importer need to obtain extended producer responsibility-authorisation as producer under the said E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011.

(4) Prior to clearing of consignment of wastes listed in Part D of Schedule III, the Custom authorities shall verify the documents as given in column (3) of Schedule VIII.

(5) On receipt of the complete application with respect to Part A and Part B of Schedule III, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall examine the application considering the comments and observations, if any, received from the State Pollution Control Boards, and may grant the permission for import within a period of sixty days subject to the condition that the importer has -

(i) the environmentally sound facilities;
(ii) adequate arrangements for treatment and disposal of wastes generated;
(iii) a valid authorisation and consents from the State Pollution Control Board;
(iv) prior informed consent from the exporting country in case of Part A of Schedule III wastes.

(6) The Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall forward a copy of the permission to the concerned Port and Customs authorities, Central Pollution Control Board and the concerned State Pollution Control Board for ensuring compliance with respect to their respective functions given in Schedule VII.

(7) The importer of the hazardous and other wastes shall maintain records of the hazardous and other waste imported by him in **Form 3** and the record so maintained shall be made available for inspection.

(8) The importer of the hazardous and other wastes shall file an annual return in **Form 4** to the State Pollution Control Board on or before the 30th day of June following the financial year to which that return relates.

(9) Samples of hazardous and other wastes being imported for testing or research and development purposes up to 1000 gm or 1000 ml shall be exempted from need of taking permission for import under these rules.

(10) The Port and Customs authorities shall ensure that shipment is accompanied with the movement document as given in **Form 6** and the test report of analysis of the waste, consignment, wherever applicable, from a laboratory accredited or recognised by the exporting country. In case of any doubt, the customs may verify the analysis.

14. Procedure for Export of hazardous and other wastes from India.- (1) Any occupier intending to export waste specified in Part A of Schedule III, Part B of Schedule III and Schedule VI, shall make an application in **Form 5** along with insurance cover to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for the proposed transboundary movement of the hazardous and other wastes together with the prior informed consent in writing from the importing country in respect of wastes specified in Part A of Schedule III and Schedule VI.

(2) On receipt of an application under sub-rule (1), the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give permission for the proposed export within a period of sixty days from the date of submission of complete application and may impose such conditions as it may consider necessary.

(3) The Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall forward a copy of the permission granted under sub-rule (2) to the State Pollution Control Board of the State where the waste is generated and the Pollution Control Board of the State where the port of export is located and the concerned Port and Customs authorities for ensuring compliance of the conditions of the export permission.

(4) The exporter shall ensure that no consignment is shipped before the prior informed consent is received from the importing country, wherever applicable.

(5) The exporter shall also ensure that the shipment is accompanied with movement document in **Form 6.**

(6) The exporter of the hazardous and other wastes shall maintain the records of the hazardous or other waste exported by him in **Form 3** and the record so maintained shall be available for inspection.

15. Illegal traffic.- (1) The export and import of hazardous or other wastes from and into India, respectively shall be deemed illegal, if,-

(i) it is without permission of the Central Government in accordance with these rules; or
(ii) the permission has been obtained through falsification, mis-representation or fraud; or
(iii) it does not conform to the shipping details provided in the movement documents; or
(iv) it results in deliberate disposal (i.e., dumping) of hazardous or other waste in contravention of the Basel Convention and of general principles of international or domestic law.

(2) In case of illegal import of the hazardous or other waste, the importer shall re-export the waste in question at his cost within a period of ninety days from the date of its arrival into India and its implementation will be ensured by the concerned Port and the Custom authority. In case of disposal of such waste by the Port and Custom authorities, they shall do so in accordance with these rules with the permission of the Pollution Control Board of the State where the Port exists.

(3) In case of illegal import of hazardous or other waste, where the importer is not traceable then the waste either can be sold by the Customs authority to any user having authorisation under these rules from the concerned State Pollution Control Board or can be sent to authorised treatment, storage and disposal facility.

CHAPTER - IV
TREATMENT, STORAGE AND DISPOSAL FACILITY FOR HAZARDOUS AND OTHER WASTES

16. Treatment, storage and disposal facility for hazardous and other wastes.- (1) The State Government, occupier, operator of a facility or any association of occupiers shall individually or jointly or severally be responsible for identification of sites for establishing the facility for treatment, storage and disposal of the hazardous and other waste in the State.

(2) The operator of common facility or occupier of a captive facility, shall design and set up the treatment, storage and disposal facility as per technical guidelines issued by the Central Pollution Control Board in this regard from time to time and shall obtain approval from the State Pollution Control Board for design and layout in this regard.

(3) The State Pollution Control Board shall monitor the setting up and operation of the common or captive treatment, storage and disposal facility, regularly.

(4) The operator of common facility or occupier of a captive facility shall be responsible for safe and environmentally sound operation of the facility and its closure and post closure phase, as per guidelines or standard operating procedures issued by the Central Pollution Control Board from time to time.

(5) The operator of common facility or occupier of a captive facility shall maintain records of hazardous and other wastes handled by him in **Form 3.**

(6) The operator of common facility or occupier of a captive facility shall file an annual return in **Form 4** to the State Pollution Control Board on or before the 30th day of June following the financial year to which that return relates.

CHAPTER - V
PACKAGING, LABELLING, AND TRANSPORT OF HAZARDOUS AND OTHER WASTES.

17. Packaging and Labelling.- (1) Any occupier handling hazardous or other wastes and operator of the treatment, storage and disposal facility shall ensure that the hazardous and other wastes are packaged in a manner suitable for safe handling, storage and transport as per the guidelines issued by the Central Pollution Control Board from time to time. The labelling shall be done as per **Form 8.**

(2) The label shall be of non-washable material, weather proof and easily visible.

18. Transportation of hazardous and other wastes.- (1) The transport of the hazardous and other waste shall be in accordance with the provisions of these rules and the rules made by the Central Government under the Motor Vehicles Act, 1988 and the guidelines issued by the Central Pollution Control Board from time to time in this regard.

(2) The occupier shall provide the transporter with the relevant information in **Form 9,** regarding the hazardous nature of the wastes and measures to be taken in case of an emergency and shall label the hazardous and other wastes containers as per **Form 8**.

(3) In case of transportation of hazardous and other waste for final disposal to a facility existing in a State other than the State where the waste is generated, the sender shall obtain 'No Objection Certificate' from the State Pollution Control Board of both the States.

(4) In case of transportation of hazardous and other waste for recycling or utilisation including co-processing, the sender shall intimate both the State Pollution Control Boards before handing over the waste to the transporter.

(5) In case of transit of hazardous and other waste for recycling, utilisation including co-processing or disposal through a State other than the States of origin and destination, the sender shall give prior intimation to the concerned State Pollution Control Board of the States of transit before handing over the wastes to the transporter.

(6) In case of transportation of hazardous and other waste, the responsibility of safe transport shall be either of the sender or the receiver whosoever arranges the transport and has the necessary authorisation for transport from the concerned State Pollution Control Board. This responsibility should be clearly indicated in the manifest.

(7) The authorisation for transport shall be obtained either by the sender or the receiver on whose behalf the transport is being arranged.

19. Manifest system (Movement Document) for hazardous and other waste to be used within the country only.- (1) The sender of the waste shall prepare seven copies of the manifest in **Form 10** comprising of colour code indicated below and all seven copies shall be signed by the sender:

Copy number with colour code	**Purpose**
(1)	**(2)**
Copy 1 (White)	To be forwarded by the sender to the State Pollution Control Board after signing all the seven copies.
Copy 2 (Yellow)	To be retained by the sender after taking signature on it from the transporter and the rest of the five signed copies to be carried by the transporter.
Copy 3 (Pink)	To be retained by the receiver (actual user or treatment storage and disposal facility operator) after receiving the waste and the remaining four copies are to be duly signed by the receiver.
Copy 4 (Orange)	To be handed over to the transporter by the receiver after accepting waste.
Copy 5 (Green)	To be sent by the receiver to the State Pollution Control Board.
Copy 6 (Blue)	To be sent by the receiver to the sender.
Copy 7 (Grey)	To be sent by the receiver to the State Pollution Control Board of the sender in case the sender is in another State.

(2) The sender shall forward copy 1 (white) to the State Pollution Control Board, and in case the hazardous or other wastes is likely to be transported through any transit State, the sender shall intimate State Pollution Control Boards of transit States about the movement of the waste.

(3) No transporter shall accept waste from the sender for transport unless it is accompanied by signed copies 3 to 7 of the manifest.

(4) The transporter shall submit copies 3 to 7 of the manifest duly signed with date to the receiver along with the waste consignment.

(5) The receiver after acceptance of the waste shall hand over copy 4 (orange) to the transporter and send copy 5 (green) to his State Pollution Control Board and send copy 6 (blue) to the sender and the copy 3 (pink) shall be retained by the reciever.

(6) The copy 7 (grey) shall only be sent to the State Pollution Control Board of the sender, if the sender is in another State.

CHAPTER VI
MISCELLANEOUS

20. Records and returns.- (1) The occupier handling hazardous or other wastes and operator of disposal facility shall maintain records of such operations in **Form 3.**

(2) The occupier handling hazardous and other wastes and operator of disposal facility shall send annual returns to the State Pollution Control Board in **Form 4.**

(3) The State Pollution Control Board based on the annual returns received from the occupiers and the operators of the facilities for disposal of hazardous and other wastes shall prepare an annual inventory of the waste generated; waste recycled, recovered, utilised including co-processed; waste re-exported and waste disposed and submit to the Central Pollution Control Board by the 30th day of September every year. The State Pollution Control Board shall also prepare the inventory of hazardous waste generators, actual users, and common and captive disposal facilities and shall submit the information to Central Pollution Control Board every two years.

(4) The Central Pollution Control Board shall prepare the consolidated review report on management of hazardous and other wastes and forward it to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, along with its recommendations before the 30th day of December once in every year.

21. Responsibility of authorities. - The authority specified in column (2) of Schedule VII shall perform the duties as specified in column (3) of the said Schedule subject to the provisions of these rules.

22. Accident reporting. - Where an accident occurs at the facility of the occupier handling hazardous or other wastes and operator of the disposal facility or during transportation, the occupier or the operator or the transporter shall immediately intimate the State Pollution Control Board through telephone, e-mail about the accident and subsequently send a report in **Form 11.**

23. Liability of occupier, importer or exporter and operator of a disposal facility.-
(1) The occupier, importer or exporter and operator of the disposal facility shall be liable for all damages caused to the environment or third party due to improper handling and management of the hazardous and other waste.
(2) The occupier and the operator of the disposal facility shall be liable to pay financial penalties as levied for any violation of the provisions under these rules by the State Pollution Control Board with the prior approval of the Central Pollution Control Board.

24. Appeal.- (1) Any person aggrieved by an order of suspension or cancellation or refusal of authorisation or its renewal passed by the State Pollution Control Board may, within a period of thirty days from the date on which the order is communicated to him, prefer an appeal in **Form 12** to the Appellate Authority, namely, the Environment Secretary of the State.

(2) The Appellate Authority may entertain the appeal after expiry of the said period of thirty days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.
(3) Every appeal filed under this rule shall be disposed of within a period of sixty days from the date of its filing.

SCHEDULE I
[See rule 3 (1) (17) (i)]
List of processes generating hazardous wastes

S.No.	Processes	Hazardous Waste*
(1)	(2)	(3)
1.	Petrochemical processes and pyrolytic operations	1.1 Furnace or reactor residue and debris 1.2 Tarry residues and still bottoms from distillation 1.3 Oily sludge emulsion 1.4 Organic residues 1.5 Residues from alkali wash of fuels 1.6 Spent catalyst and molecular sieves 1.7 Oil from wastewater treatment
2.	Crude oil and natural gas production	2.1 Drill cuttings excluding those from water based mud 2.2 Sludge containing oil 2.3 Drilling mud containing oil
3.	Cleaning, emptying and maintenance of petroleum oil storage tanks including ships	3.1 cargo residue, washing water and sludge containing oil 3.2 cargo residue and sludge containing chemicals 3.3 Sludge and filters contaminated with oil 3.4 Ballast water containing oil from ships

4.	Petroleum refining or re-processing of used oil or recycling of waste oil	4.1 Oil sludge or emulsion 4.2 Spent catalyst 4.3 Slop oil 4.4 Organic residue from processes 4.5 Spent clay containing oil
5.	Industrial operations using mineral or synthetic oil as lubricant in hydraulic systems or other applications	5.1 Used or spent oil 5.2 Wastes or residues containing oil 5.3 Waste cutting oils
6.	Secondary production and / or industrial use of zinc	6.1 Sludge and filter press cake arising out of production of Zinc Sulphate and other Zinc Compounds. 6.2 Zinc fines or dust or ash or skimmings in dispersible form 6.3 Other residues from processing of zinc ash or skimmings 6.4 Flue gas dust and other particulates
7.	Primary production of zinc or lead or copper and other non-ferrous metals except aluminium	7.1 Flue gas dust from roasting 7.2 Process residues 7.3 Arsenic-bearing sludge 7.4 Non-ferrous metal bearing sludge and residue. 7.5 Sludge from scrubbers
8.	Secondary production of copper	8.1 Spent electrolytic solutions 8.2 Sludge and filter cakes 8.3 Flue gas dust and other particulates
9.	Secondary production of lead	9.1 Lead bearing residues 9.2 Lead ash or particulate from flue gas 9.3 Acid from used batteries
10.	Production and/or industrial use of cadmium and arsenic and their compounds	10.1 Residues containing cadmium and arsenic
11.	Production of primary and secondary aluminum	11.1 Sludges from off-gas treatment 11.2 Cathode residues including pot lining wastes 11.3 Tar containing wastes 11.4 Flue gas dust and other particulates 11.5 Drosses and waste from treatment of salt sludge 11.6 Used anode butts 11.7 Vanadium sludge from alumina refineries
12.	Metal surface treatment, such as etching, staining, polishing, galvanizing, cleaning, degreasing, plating, etc.	12.1 Acidic and alkaline residues 12.2 Spent acid and alkali 12.3 Spent bath and sludge containing sulphide, cyanide and toxic metals 12.4 Sludge from bath containing organic solvents 12.5 Phosphate sludge 12.6 Sludge from staining bath 12.7 Copper etching residues 12.8 Plating metal sludge
13.	Production of iron and steel including other ferrous alloys (electric furnace; steel rolling and finishing mills; Coke oven and by products plant)	13.1 Spent pickling liquor 13.2 Sludge from acid recovery unit 13.3 Benzol acid sludge 13.4 Decanter tank tar sludge 13.5 Tar storage tank residue 13.6 Residues from coke oven by product plant.
14.	Hardening of steel	14.1 Cyanide-, nitrate-, or nitrite -containing sludge 14.2 Spent hardening salt
15.	Production of asbestos or asbestos-containing materials	15.1 Asbestos-containing residues 15.2 Discarded asbestos 15.3 Dust or particulates from exhaust gas treatment.
16.	Production of caustic soda and chlorine	16.1 Mercury bearing sludge generated from mercury cell process 16.2 Residue or sludges and filter cakes 16.3 Brine sludge
17.	Production of mineral acids	17.1 Process acidic residue, filter cake, dust 17.2 Spent catalyst
18.	Production of nitrogenous and complex fertilizers	18.1 Spent catalyst 18.2 Carbon residue

		18.3 Sludge or residue containing arsenic 18.4 Chromium sludge from water cooling tower
19.	Production of phenol	19.1 Residue or sludge containing phenol 19.2 Spent catalyst
20.	Production and/or industrial use of solvents	20.1 Contaminated aromatic, aliphatic or napthenic solvents may or may not be fit for reuse. 20.2 Spent solvents 20.3 Distillation residues 20.4 Process Sludge
21.	Production and/or industrial use of paints, pigments, lacquers, varnishes and inks	21.1 Process wastes, residues and sludges 21.2 Spent solvent
22.	Production of plastics	22.1 Spent catalysts 22.2 Process residues
23.	Production and /or industrial use of glues, organic cements, adhesive and resins	23.1 Wastes or residues (not made with vegetable or animal materials) 23.2 Spent solvents
24.	Production of canvas and textiles	24.1 Chemical residues
25.	Industrial production and formulation of wood preservatives	25.1 Chemical residues 25.2 Residues from wood alkali bath
26.	Production or industrial use of synthetic dyes, dye-intermediates and pigments	26.1 Process waste sludge/residues containing acid, toxic metals, organic compounds 26.2 Dust from air filtration system 26.3 Spent acid 26.4 Spent solvent 26.5 Spent catalyst
27.	Production of organic-silicone compound	27.1 Process residues
28.	Production/formulation of drugs/pharmaceutical and health care product	28.1 Process Residue and wastes 28.2 Spent catalyst 28.3 Spent carbon 28.4 Off specification products 28.5 Date-expired products 28.6 Spent solvents
29.	Production, and formulation of pesticides including stock-piles	29.1 Process wastes or residues 29.2 Sludge containing residual pesticides 29.3 Date-expired and off-specification pesticides 29.4 Spent solvents 29.5 Spent catalysts 29.6 Spent acids
30.	Leather tanneries	30.1 Chromium bearing residue and sludge
31.	Electronic Industry	31.1 Process residue and wastes 31.2 Spent etching chemicals and solvents
32.	Pulp and Paper Industry	32.1 Spent chemicals 32.2 Corrosive wastes arising from use of strong acid and bases 32.3 Process sludge containing adsorbable organic halides(AO_X)
33.	Handling of hazardous chemicals and wastes	33.1 Empty barrels/containers/liners contaminated with hazardous chemicals /wastes 33.2 Contaminated cotton rags or other cleaning materials
34.	De-contamination of barrels / containers used for handling of hazardous wastes/chemicals	34.1 Chemical-containing residue arising from decontamination. 34.2 Sludge from treatment of waste water arising out of cleaning / disposal of barrels / containers
35.	Purification and treatment of exhaust air/gases, water and waste water from the processes in this schedule and common industrial effluent treatment plants (CETP's)	35.1 Exhaust Air or Gas cleaning residue 35.2 Spent ion exchange resin containing toxic metals 35.3 Chemical sludge from waste water treatment 35.4 Oil and grease skimming 35.5 Chromium sludge from cooling water
36.	Purification process for organic compounds/solvents	36.1 Any process or distillation residue 36.2 Spent carbon or filter medium

37.	Hazardous waste treatment processes, e.g. pre-processing, incineration and concentration	37.1 37.2 37.3	Sludge from wet scrubbers Ash from incinerator and flue gas cleaning residue Concentration or evaporation residues
38.	Chemical processing of Ores containing heavy metals such as Chromium, Manganese, Nickel, Cadmium etc.	38.1 38.2	Process residues Spent acid

*** The inclusion of wastes contained in this Schedule does not preclude the use of Schedule II to demonstrate that the waste is not hazardous. In case of dispute, the matter would be referred to the Technical Review Committee constituted by Ministry of Environment, Forest and Climate Change.**

Note: *The high volume low effect wastes such as fly ash, Phosphogypsum, red mud, jarosite, Slags from pyrometallurgical operations, mine tailings and ore beneficiation rejects are excluded from the category of hazardous wastes. Separate guidelines on the management of these wastes shall be issued by Central Pollution Control Board.*

SCHEDULE II

[See rule 3 (1) (17) (ii)]

List of waste constituents with concentration limits

Class A: Based on leachable concentration limits [Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) or Soluble Threshold Limit Concentration (STLC)]

Class	Constituents	Concentration in mg/l
(1)	**(2)**	**(3)**
A1	Arsenic	5.0
A2	Barium	100.0
A3	Cadmium	1.0
A4	Chromium and/or Chromium (III) compounds	5.0
A5	Lead	5.0
A6	Manganese	10.0
A7	Mercury	0.2
A8	Selenium	1.0
A9	Silver	5.0
A10	Ammonia	50*
A11	Cyanide	20*
A12	Nitrate (as nitrate-nitrogen)	1000.0
A13	Sulphide (as H_2S)	5.0
A14	1,1-Dichloroethylene	0.7
A15	1,2-Dichloroethane	0.5
A16	1,4-Dichlorobenzene	7.5
A17	2,4,5-Trichlorophenol	400.0
A18	2,4,6-Trichlorophenol	2.0
A19	2,4-Dinitrotoluene	0.13
A20	Benzene	0.5
A21	Benzo (a) Pyrene	0.001
A22	Bromodicholromethane	6.0
A23	Bromoform	10.0
A24	Carbon tetrachloride	0.5
A25	Chlorobenzene	100.0
A26	Chloroform	6.0
A27	Cresol (ortho+ meta+ para)	200.0
A28	Dibromochloromethane	10.0
A29	Hexachlorobenzene	0.13
A30	Hexachlorobutadiene	0.5
A31	Hexachloroethane	3.0
A32	Methyl ethyl ketone	200.0

IndiaCode

A33	Naphthalene	5.0
A34	Nitrobenzene	2.0
A35	Pentachlorophenol	100.0
A36	Pyridine	5.0
A37	Tetrachloroethylene	0.7
A38	Trichloroethylene	0.5
A39	Vinyl chloride	0.2
A40	2,4,5-TP (Silvex)	1.0
A41	2,4-Dichlorophenoxyacetic acid	10.0
A42	Alachlor	2.0
A43	Alpha HCH	0.001
A44	Atrazine	0.2
A45	Beta HCH	0.004
A46	Butachlor	12.5
A47	Chlordane	0.03
A48	Chlorpyriphos	9.0
A49	Delta HCH	0.004
A50	Endosulfan (alpha+ beta+ sulphate)	0.04
A51	Endrin	0.02
A52	Ethion	0.3
A53	Heptachlor (& its Epoxide)	0.008
A54	Isoproturon	0.9
A55	Lindane	0.4
A56	Malathion	19
A57	Methoxychlor	10
A58	Methyl parathion	0.7
A59	Monocrotophos	0.1
A60	Phorate	0.2
A61	Toxaphene	0.5
A62	Antimony	15
A63	Beryllium	0.75
A64	Chromium (VI)	5.0
A65	Cobalt	80.0
A66	Copper	25.0
A67	Molybdenum	350
A68	Nickel	20.0
A69	Thallium	7.0
A70	Vanadium	24.0
A71	Zinc	250
A72	Fluoride	180.0
A73	Aldrin	0.14
A74	Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT), Dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE), Dichlorodiphenyldichloroethane (DDD)	0.1
A75	Dieldrin	0.8
A76	Kepone	2.1
A77	Mirex	2.1
A78	Polychlorinated biphenyls	5.0
A79	Dioxin (2,3,7,8-TCDD)	0.001

IndiaCode

Class B: Based on Total Threshold Limit Concentration (TTLC)

Class	Constituent	Concentration in mg/kg
(1)	**(2)**	**(3)**
B1	Asbestos	10000
B2	Total Petroleum Hydrocarbons (TPH) (C5 - C36)	5,000

Note:

(1) The testing method for list of constituents at A1 to A61 in Class-A, shall be based on Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) and for extraction of leachable constituents, USEPA Test Method 1311 shall be used.

(2) The testing method for list of constituents at A62 to A79 in Class- A, shall be based on Soluble Threshold Limit Concentration (STLC) and Waste Extraction Test (WET) Procedure given in Appendix II of section 66261 of Title 22 of California Code regulation (CCR) shall be used.

(3) In case of ammonia (A10), cyanide (A11) and chromium VI (A64), extractions shall be conducted using distilled water in place of the leaching media specified in the TCLP/STLC procedures.

(4) A summary of above specified leaching/extraction procedures is included in manual for characterization and analysis of hazardous waste published by Central Pollution Control Board and in case the method is not covered in the said manual, suitable reference method may be adopted for the measurement.

(5) In case of asbestos, the specified concentration limits apply only if the substances are in a friable, powdered or finely divided state.

(6) The hazardous constituents to be analyzed in the waste shall be relevant to the nature of the industry and the materials used in the process.

Wastes which contain any of the constituents listed below shall be considered as hazardous, provided they exhibit the characteristics listed in Class-C of this Schedule :

IndiaCode

1.	Acid Amides
2.	Acid anhydrides
3.	Amines
4.	Anthracene
5.	Aromatic compounds other than those listed in Class A
6.	Bromates, (hypo-bromites)
7.	Chlorates (hypo-chlorites)
8.	Carbonyls
9.	Ferro-silicate and alloys
10.	Halogen- containing compounds which produce acidic vapours on contact with humid air or water e.g. silicon tetrachloride, aluminum chloride, titanium tetrachloride
11.	Halogen- silanes
12.	Halogenated Aliphatic Compounds
13.	Hydrazine (s)
14.	Hydrides
15.	Inorganic Acids
16.	Inorganic Peroxides
17.	Inorganic Tin Compounds
18.	Iodates
19.	(Iso- and thio-) Cyanates
20.	Manganese-silicate
21.	Mercaptans
22.	Metal Carbonyls
23.	Metal hydrogen sulphates
24.	Nitrides
25.	Nitriles
26.	Organic azo and azooxy Compounds
27.	Organic Peroxides
28.	Organic Oxygen Compounds
29.	Organic Sulphur Compounds
30.	Organo- Tin Compounds
31.	Organo nitro- and nitroso compounds

32.	Oxides and hydroxides except those of hydrogen, carbon, silicon, iron, aluminum, titanium, manganese, magnesium, calcium
33.	Phenanthrene
34.	Phenolic Compounds
35.	Phosphate compounds except phosphates of aluminum, calcium and iron
36.	Salts of pre-acids
37.	Total Sulphur
38.	Tungsten Compounds
39.	Tellurium and tellurium compounds
40.	White and Red Phosphorus
41.	2-Acetylaminofluorene
42.	4-Aminodiphenyl
43.	Benzidine and its salts
44.	Bis (Chloromethyl) ether
45.	Methyl chloromethyl ether
46.	1,2-Dibromo-3-chloropropane
47.	3,3'-Dichlorobenzidine and its salts
48.	4-Dimethylaminoazobenzene
49.	4-Nitrobiphenyl
50.	Beta-Propiolactone

IndiaCode

CLASS C : Based on hazardous Characteristics

Apart from the concentration limit given above, the substances or wastes shall be classified as hazardous waste if it exhibits any of the following characteristics due to the presence of any hazardous constituents:

Class C1: Flammable- A waste exhibits the characteristic of flammability or ignitability if a representative sample of the waste has any of the following properties, namely:-

(i) flammable liquids, or mixture of liquids, or liquids containing solids in solution or suspension (for example, paints, varnishes, lacquers, etc; but not including substances or wastes otherwise classified on account of their dangerous characteristics), which give off a flammable vapour at temperature less than 60°C. This flash point shall be measured as per ASTM D 93-79 closed-cup test method or as determined by an equivalent test method published by Central Pollution Control Board;

(ii) it is not a liquid and is capable, under standard temperature and pressure, of causing fire through friction, absorption of moisture or spontaneous chemical changes and, when ignited, burns vigorously and persistently creating a hazard;

(iii) it is an ignitable compressed gas;

(iv) It is an oxidizer and for the purposes of characterisation is a substance such as a chlorate, permanganate, inorganic peroxide, or a nitrate, that yields oxygen readily to stimulate the combustion of organic matter.

Class C2: Corrosive- A waste exhibits the characteristic of corrosivity if a representative sample of the waste has either of the following properties, namely:-

(i) it is aqueous and has a pH less than or equal to 2 or greater than or equal to 12.5;

(ii) it is a liquid and corrodes steel (SAE 1020) at a rate greater than 6.35 mm per year at a test temperature of 55 °C;

(iii) it is not aqueous and, when mixed with an equivalent weight of water, produces a solution having a pH less than or equal to 2 or greater than or equal to 12.5;

(iv) it is not a liquid and, when mixed with an equivalent weight of water, produces a liquid that corrodes steel (SAE1020) at a rate greater than 6.35 mm per year at a test temperature of 55 °C.

Note:

For the purpose of determining the corrosivity, the Bureau of Indian Standard 9040 C method for pH determination, NACE TM 01 69 : Laboratory Corrosion Testing of Metals and EPA 1110A method for corrosivity towards steel (SAE1020) to establish the corrosivity characteristics shall be adopted.

Class C3: Reactive or explosive- A waste exhibits the characteristic of reactivity if a representative sample of the waste it has any of the following properties, namely:-

(i) it is normally unstable and readily undergoes violent change without detonating;

(ii) it reacts violently with water or forms potentially explosive mixtures with water;

(iii) when mixed with water, it generates toxic gases, vapours or fumes in a quantity sufficient to present a danger to human health or the environment;

(iv) it is a cyanide or sulphide bearing waste which, when exposed to pH conditions between 2 and 12.5, can generate toxic gases, vapours or fumes in a quantity sufficient to present a danger to human health or the environmental;

(v) it is capable of detonation or explosive reaction if it is subjected to a strong initiating source or if heated under confinement;

(vi) it is readily capable of detonation or explosive decomposition or reaction at standard temperature and pressure;

(vii) it is a forbidden explosive.

Class C4: Toxic- A waste exhibits the characteristic of toxicity, if, :-

(i) the concentration of the waste constituents listed in Class A and B (of this schedule) are equal to or more than the permissible limits prescribed therein;

(ii) it has an acute oral LD50 less than 2,500 milligrams per kilogram;

(iii) it has an acute dermal LD50 less than 4,300 milligrams per kilogram;

(iv) it has an acute inhalation LC50 less than 10,000 parts per million as a gas or vapour;

(v) it has acute aquatic toxicity with 50% mortality within 96 hours for zebra fish (*Brachidanio rerio*) at a concentration of 500 milligrams per litre in dilution water and test conditions as specified in BIS test method 6582 – 2001.

(vi) it has been shown through experience or by any standard reference test- method to pose a hazard to human health or environment because of its carcinogenicity, mutagenecity, endocrine disruptivity, acute toxicity, chronic toxicity, bio-accumulative properties or persistence in the environment.

Class C5: Substances or Wastes liable to spontaneous combustion - Substances or Wastes which are liable to spontaneous heating under normal conditions encountered in transport, or to heating up on contact with air, and being then liable to catch fire.

Class C6: Substances or Wastes which, in contact with water emit flammable gases- Substances or Wastes which, by interaction with water, are liable to become spontaneously flammable or to give off flammable gases in dangerous quantities.

Class C7: Oxidizing - Substances or Wastes which, while in themselves not necessarily combustible, may, generally by yielding oxygen cause, or contribute to, the combustion of other materials.

Class C8: Organic Peroxides - Organic substances or Wastes which contain the bivalent O–O structure, which may undergo exothermic self-accelerating decomposition.

Class C9: Poisons (acute) - Substances or Wastes liable either to cause death or serious injury or to harm human health if swallowed or inhaled or by skin contact.

Class C10: Infectious ~~substances~~ - Substances or Wastes containing viable micro-organisms or their toxins which are known or suspected to cause disease in animals or humans.

Class C11: Liberation of toxic gases in contact with air or water - Substances or Wastes which, by interaction with air or water, are liable to give off toxic gases in dangerous quantities.

Class C12: Eco-toxic- Substances or Wastes which if released, present or may present immediate or delayed adverse impacts to the environment by means of bioaccumulation or toxic effects upon biotic systems or both.

Class C13: Capable, by any means, after disposal, of yielding another material, e.g., leachate, which possesses any of the characteristics listed above.

SCHEDULE III

[See rules 3 (1) (17) (iii), 3 (23), 12, 13 and 14]

Part A

List of hazardous wastes applicable for import and export with Prior Informed Consent [Annexure VIII of the Basel Convention*]

Basel No.	Description of Hazardous Wastes
(1)	**(2)**
A1	**Metal and Metal bearing wastes**
A1010	Metal wastes and waste consisting of alloys of any of the following but excluding such wastes specifically listed in Part B and Part D
	- Antimony
	- Cadmium
	- Lead
	- Tellurium
A1020	Waste having as constituents or contaminants, excluding metal wastes in massive form, any or the following:
	- Antimony, antimony compounds
	- Cadmium, cadmium compounds
	- Lead, lead compounds
	- Tellurium, tellurium compounds
A1040	Waste having metal carbonyls as constituents
A1050	Galvanic sludges
A1070	Leaching residues from zinc processing, dust and sludges such as jarosite, hematite, etc.
A1080	Waste zinc residues not included in Part B, containing lead and cadmium in concentrations sufficient to exhibit hazard characteristics indicated in Part C
A1090	Ashes from the incineration of insulated copper wire
A1100	Dusts and residues from gas cleaning systems of copper smelters
A1120	Waste sludges, excluding anode slimes, from electrolyte purification systems in copper electrorefining and electrowinning operations
A1140	Waste cupric chloride and copper cyanide catalysts not in liquid form note the related entry in Schedule VI
A1150	Precious metal ash from incineration of printed circuit boards not included in Part B
A1160	Waste lead acid batteries, whole or crushed
A1170	Unsorted waste batteries excluding mixtures of only Part B batteries. Waste batteries not specified in Part B containing constituents mentioned in Schedule II to an extent to render them hazardous
A2	**Wastes containing principally inorganic constituents, which may contain metals and organic materials**
A2010	Glass waste from cathode-ray tubes and other activated glasses
A2030	Waste catalysts but excluding such wastes specified in Part B
A3	**Wastes containing principally organic constituents, which may contain metals and inorganic materials**
A3010	Waste from the production or processing of petroleum coke and bitumen
A3020	Waste mineral oils unfit for their originally intended use
A3050	Wastes from production, formulation and use of resins, latex, plasticizers, glues or adhesives excluding such wastes specified in Part B (B4020)
A3120	Fluff-light fraction from shredding
A3130	Waste organic phosphorus compounds
A4	**Wastes which may contain either inorganic or organic constituents**
A4010	Wastes from the production, preparation and use of pharmaceutical products but excluding such waste specified in Part B
A4040	Wastes from the manufacture, formulation and use of wood-preserving chemicals (does not include wood treated with wood preserving chemicals)
A4070	Waste from the production, formulation and use of inks, dyes, pigments, paints, lacquers, varnish excluding those specified in Part B (B4010)
A4100	Wastes from industrial pollution control devices for cleaning of industrial off-gases but excluding such wastes specified in Part B
A4120	Wastes that contain, consist of or are contaminated with peroxides.
A4130	Wastes packages and containers containing Schedule II constituents in concentration sufficient to exhibit Part C of Schedule III hazard characteristics.

A4140	Waste consisting of or containing off specification or outdated chemicals (unused within the period recommended by the manufacturer) corresponding to constituents mentioned in Schedule II and exhibiting Part C of Schedule III hazard characteristics.
A4160	Spent activated carbon not included in Part B, B2060

*This List is based on Annexure VIII of the Basel Convention on Transboundary Movement of Hazardous Wastes and comprises of wastes characterized as hazardous under Article I, paragraph 1(a) of the Convention. Inclusion of wastes on this list does not preclude the use of hazard.
Characteristics given in Annexure VIII of the Basel Convention (Part C of this Schedule) to demonstrate that the wastes are not hazardous. **Hazardous wastes in Part-A are restricted and cannot be allowed to be imported without permission from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Directorate General of Foreign Trade license, if applicable.**

Part B

List of other wastes applicable for import and export and not requiring Prior Informed Consent [Annex IX of the Basel Convention*]

Basel No.	**Description of wastes**
(1)	**(2)**
B1	**Metal and metal-bearing wastes**
B1010	Metal and metal-alloy wastes in metallic, non-dispersible form:
	- Thorium scrap
	- Rare earths scrap
B1020	Clean, uncontaminated metal scrap, including alloys, in bulk finished form (sheet, plates, beams, rods, etc.), of:
	- Antimony scrap
	- Beryllium scrap
	- Cadmium scrap
	- -
	- Lead scrap (excluding lead acid batteries)
	- Selenium scrap
	- Tellurium scrap
B1030	Refractory metals containing residues
B1031	Molybdenum, tungsten, titanium, tantalum, niobium and rhenium metal and metal alloy wastes in metallic dispersible form (metal powder), excluding such wastes as specified in Part A under entry A1050, Galvanic sludges
B1040	Scrap assemblies from electrical power generation not contaminated with lubricating oil, PCB or PCT to an extent to render them hazardous
B1050	Mixed non-ferrous metal, heavy fraction scrap, containing cadmium, antimony, lead & tellurium mentioned in Schedule II in concentrations sufficient to exhibit Part C characteristics
B1060	Waste selenium and tellurium in metallic elemental form including powder
B1070	Waste of copper and copper alloys in dispersible form, unless they contain any of the constituents mentioned in Schedule II to an extent that they exhibit Part C characteristics
B1080	Zinc ash and residues including zinc alloys residues in dispersible form unless they contain any of the constituents mentioned in Schedule II in concentration such as to exhibit Part C characteristics
B1090	Waste batteries conforming to a standard battery specification, excluding those made with lead, cadmium or mercury
B1100	Metal bearing wastes arising from melting, smelting and refining of metals:
	- Slags from copper processing for further processing or refining containing arsenic, lead or cadmium
	- Slags from precious metals processing for further refining
	- Wastes of refractory linings, including crucibles, originating from copper smelting
	- Tantalum-bearing tin slags with less than 0.5% tin
B1110	Used Electrical and electronic assemblies other than those listed in Part D of Schedule III
	Electronic assemblies consisting only of metals or alloys Waste electrical and electronic assemblies or scrap (including printed circuit boards) not containing components such as accumulators and other batteries included in Part A of Schedule III, mercury-switches, glass from cathode-ray tubes and other activated glass and PCB-capacitors, or not

IndiaCode

	contaminated with Schedule II constituents such as cadmium, mercury, lead, polychlorinated biphenyl) or from which these have been removed, to an extent that they do not possess any of the characteristics contained in Part C of Schedule III (note the related entry in Schedule VI, A1180)
B1120	Spent catalysts excluding liquids used as catalysts, containing any of: Transition metals, excluding waste catalysts (spent catalysts, liquid used catalysts or other catalysts) in Part A and Schedule VI: - Scandium - Titanium - Vanadium - Chromium - Manganese - Iron - Cobalt - Nickel - Copper - Zinc - Yttrium - Zirconium - Niobium - Molybdenum - Hafnium - Tantalum - Tungsten - Rhenium Lanthanides (rare earth metals): - Lanthanum - Cerium
	- Praseodymium - Neodymium - Samarium - Europium - Gadolinium - Terbium - Dysprosium - Holmium - Erbium - Thulium - Ytterbium - Lutetium
B1130	Cleaned spent precious metal bearing catalysts
B1140	Precious metal bearing residues in solid form which contain traces of inorganic cyanides
B1150	Precious metals and alloy wastes (gold , silver, the platinum group but not mercury) in a dispersible form, non-liquid form with appropriate packaging and labelling
B1160	Precious metal ash from the incineration of printed circuit boards (note the related entry in Part A A1150)
B1170	Precious metal ash from the incineration of photographic film
B1180	Waste photographic film containing silver halides and metallic silver
B1190	Waste photographic paper containing silver halides and metallic silver
B1200	Granulated slag arising from the manufacture of iron and steel
B1210	Slag arising from the manufacture of iron and steel including slags as a source of Titanium dioxide and Vanadium
B1220	Slag from zinc production, chemically stabilised, having a high iron content (above 20%) and processed according to industrial specifications mainly for construction
B1230	Mill scale arising from the manufacture of iron and steel
B1240	Copper Oxide mill-scale
B2	**Wastes containing principally inorganic constituents, which may contain metals and organic materials**
B2010	Wastes from mining operations in non-dispersible form:
	- Natural graphite waste
	- Slate wastes
	- Mica wastes
	- Leucite, nepheline and nepheline syenite waste
	- Feldspar waste
	- Fluorspar waste
	- Silica wastes in solid form excluding those used in foundry operations
B2020	Glass wastes in non-dispersible form: - Cullet and other waste and scrap of glass except for glass from cathode-ray tubes and other activated glasses
B2030	Ceramic wastes in non-dispersible form: - Cermet wastes and scrap (metal ceramic composites) - Ceramic based fibres
B2040	Other wastes containing principally inorganic constituents: - Partially refined calcium sulphate produced from flue gas desulphurization (FGD) - Waste gypsum wallboard or plasterboard arising from the demolition of buildings - Slag from copper production, chemically stabilized, having a high iron content (above

Indian Code

	20%) and processed according to industrial specifications mainly for construction and abrasive applications - Sulphur in solid form - Limestone from production of calcium cyanamide (pH<9) - Sodium, potassium, calcium chlorides - Carborundum (silicon carbide) - Broken concrete - Lithium-tantalum and lithium-niobium containing glass scraps
B2060	Spent activated carbon not containing any of Schedule II constituents to the extent they exhibit Part C characteristics, for example, carbon resulting from the treatment of potable water and processes of the food industry and vitamin production (note the related entry in Part A A4160)
B2070	Calcium fluoride sludge
B2080	Waste gypsum arising from chemical industry processes not included in Schedule VI (note the related entry in A2040)
B2090	Waste anode butts from steel or aluminium production made of petroleum coke or bitumen and cleaned to normal industry specifications (excluding anode butts from chlor alkali electrolyses and from metallurgical industry)
B2100	Waste hydrates of aluminium and waste alumina and residues from alumina production, excluding such materials used for gas cleaning, flocculation or filtration processes
B2130	Bituminous material (asphalt waste) from road construction and maintenance, not containing tar (note the related entry in Schedule VI, A3200)
B3	**Wastes containing principally organic constituents, which may contain metals and inorganic materials**
B3027	Self-adhesive label laminate waste containing raw materials used in label material production
B3030	Textile wastes The following materials, provided they are not mixed with other wastes and are prepared to a specification: - Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock) • not carded or combed • other - Waste of wool or of fine or coarse animal hair, including yarn waste but excluding garnetted stock • noils of wool or of fine animal hair • other waste of wool or of fine animal hair • waste of coarse animal hair - Cotton waste (including yarn waste and garnetted stock) • yarn waste (including thread waste) • garnetted stock • other - Flax tow and waste - Tow and waste (including yarn waste and garnetted stock) of true hemp (Cannabis sativa L.) - Tow and waste (including yarn waste and garnetted stock) of jute and other textile bast fibres (excluding flax, true hemp and ramie) - Tow and waste (including yarn waste and garnetted stock) of sisal and other textile fibres of the genus Agave - Tow, noils and waste (including yarn waste and garneted stock) of coconut - Tow, noils and waste (including yarn waste and garneted stock) of abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee) - Tow, noils and waste (including yarn waste and garneted stock) of ramie and other vegetable textile fibres, not elsewhere specified or included - Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of man-made fibres • of synthetic fibres • of artificial fibres - Worn clothing and other worn textile articles - Used rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn out articles of twine, cordage, rope or cables of textile materials • sorted • other
B3035	Waste textile floor coverings, carpets
B3040	Rubber Wastes

IndiaCode

	The following materials, provided they are not mixed with other wastes: - Waste and scrap of hard rubber (e.g., ebonite) - Other rubber wastes (excluding such wastes specified elsewhere)
B3050	Untreated cork and wood waste: - Wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms - Cork waste: crushed, granulated or ground cork
B3060	Wastes arising from agro-food industries provided it is not infectious: - Wine lees - Dried and sterilized vegetable waste, residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included - Degras: residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes - Waste of bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or degelatinised - Fish waste - Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste - Other wastes from the agro-food industry excluding by-products which meet national and international requirements and standards for human or animal consumption
B3070	The following wastes: - Waste of human hair - Waste straw - Deactivated fungus mycelium from penicillin production to be used as animal feed
B3080	Waste parings and scrap of rubber
B3090	Paring and other wastes of leather or of composition leather not suitable for the manufacture of leather articles, excluding leather sludges, not containing hexavalent chromium compounds and biocides (note the related entry in Schedule VI, A3100)
B3100	Leather dust, ash, sludges or flours not containing hexavalent chromium compounds or biocides (note the related entry in Schedule VI, A3090)
B3110	Fellmongery wastes not containing hexavalent chromium compounds or biocides or infectious substances (note the related entry in Schedule VI, A3110)
B3120	Wastes consisting of food dyes
B3130	Waste polymer ethers and waste non-hazardous monomer ethers incapable of forming peroxides
B3140	Waste pneumatic and other tyres, excluding those which do not lead to resource recovery, recycling, reclamation but not for direct reuse
B4	**Wastes which may contain either inorganic or organic constituents**
B4010	Wastes consisting mainly of water-based or latex paints, inks and hardened varnishes not containing organic solvents, heavy metals or biocides to an extent to render them hazardous (note the related entry in Part A, A4070)
B4020	Wastes from production, formulation and use of resins, latex, plasticizers, glues or adhesives, not listed in Part A, free of solvents and other contaminants to an extent that they do not exhibit Part C characteristics (note the related entry in Part A, A3050)
B4030	Used single-use cameras, with batteries not included in Part A

* This list is based on Annexure IX of the Basel Convention on Transboundary Movement of Hazardous Wastes and comprises of wastes not characterized as hazardous under Article-I of the Basel Convention. **The wastes in Part- B are restricted and cannot be allowed to be imported without permission from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Directorate General of Foreign Trade license, if applicable.**

Note:

(1) Copper dross containing copper greater than 65% and lead and Cadmium equal to or less than 1.25% and 0.1% respectively; spent cleaned metal catalyst containing copper; and copper reverts, cake and residues containing lead and cadmium equal to or less than 1.25% and 0.1% respectively are allowed for import without Director General of Foreign Trade license to units (actual users) authorised by State Pollution Control Board and with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change's permission. Copper reverts, cake and residues containing lead and cadmium greater than 1.25% and 0.1% respectively are under restricted category for which import is permitted only against Director General of Foreign Trade license for the purpose of processing or reuse by units permitted with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (actual users).

(2) Zinc ash or skimmings in dispersible form containing zinc more than 65% and lead and cadmium equal to or less than 1.25% and 0.1% respectively and spent cleaned metal catalyst containing zinc are allowed for import without Director General of Foreign Trade license to units authorised by State Pollution control Board, Ministry of Environment, Forest and Climate Change's permission (actual users) upto an annual quantity limit indicated in registration letter. Zinc ash and skimmings containing less than 65% zinc and lead and cadmium equal to or more than 1.25% and 0.1% respectively and hard zinc spelter and brass dross containing lead greater than 1.25% are under restricted category for which import is permitted against Director General of Foreign Trade license and only for purpose of processing or reuse by units registered with the Ministry of Environment Forest and Climate Change (actual users).

Part C
List of Hazardous Characteristics

Code	Characteristic
H 1	**Explosive** An explosive substance or waste is a solid or liquid substance or waste (or mixture of substances or wastes) which is in itself capable by chemical reaction of producing gas at such a temperature and pressure and at such a speed as to cause damage to the surrounding.
H 3	**Flammable liquids** The word "flammable" has the same meaning as "inflammable". Flammable liquids are liquids, or mixtures of liquids, or liquids containing solids in solution or suspension (for example, paints, varnishes, lacquers, etc. but not including substances or wastes otherwise classified on account of their dangerous characteristics) which give off a flammable vapour at temperatures of not more than 60.5ºC, closed-cup test, or not more than 65.6ºC, open-cup test. (Since the results of open-cups tests and of closed-cup tests are not strictly comparable and even individual results by the same test are often variable, regulations varying from the above figures to make allowance for such differences would be within the spirit of this definition).
H 4.1	**Flammable solids** Solids, or waste solids, other than those classed as explosives, which under conditions encountered in transport are readily combustible, or may cause or contribute to fire through friction.
H 4.2	**Substances or wastes liable to spontaneous combustion** Substances or wastes which are liable to spontaneous heating under normal conditions encountered in transport, or to heating up on contact with air, and being then liable to catch fire.
H 4.3	**Substances or wastes which, in contact with water emit flammable gases** Substances or wastes which, by interaction with water, are liable to become spontaneously flammable or to give off flammable gases in dangerous quantities.
H 5.1	**Oxidizing** Substances or wastes which, while in themselves not necessarily combustible, may, generally by yielding oxygen cause, or contribute to, the combustion or other materials.
H 5.2	**Organic Peroxides** Organic substances or wastes which contain the bivalent-o-o-structure are thermally unstable substances which may undergo exothermic self-accelerating decomposition.
H 6.1	**Poisons (acute)** Substances or wastes liable either to cause death or serious injury or to harm human health if swallowed or inhaled or by skin contact.
H 6.2	**Infectious substances** Substances or wastes containing viable micro-organisms or their toxins which are known or suspected to cause disease in animals or humans.
H 8	**Corrosives** Substances or wastes which, by chemical action, will cause severe damage when in contact with living tissue, or, in the case of leakage, will materially damage, or even destroy, other goods or the means of transport; they may also cause other hazards.
H 10	**Liberation of toxic gases in contact with air or water** Substances or wastes which, by interaction with air or water, are liable to give off toxic gases in dangerous quantities.
H 11	**Toxic (delayed or chronic)** Substances or wastes which, if they are inhaled or ingested or if they penetrate the skin, may involve delayed or chronic effects, including carcinogenicity).
H 12	**Eco-toxic** Substances or wastes which if released, present or may present immediate or delayed adverse impacts to the environment by means of bioaccumulation or toxic effects upon biotic systems or both.

H 13 **Capable,** by any means, after disposal, of yielding another material, e.g., leachate, which possesses any of the characteristics listed above.

Part D

List of other wastes applicable for import and export without permission from Ministry of Environment, Forest and Climate Change [Annex IX of the Basel Convention*]

Basel No.	Description of wastes
(1)	(2)
B1	**Metal and metal-bearing wastes**
B1010	Metal and metal-alloy wastes in metallic, non-dispersible form :
	- Precious metals (gold, silver, platinum but not mercury) * *
	- Iron and steel scrap * *
	- Nickel scrap * *
	- Aluminium scrap* *
	- Zinc scrap * *
	- Tin scrap * *
	- Tungsten scrap * *
	- Molybdenum scrap * *
	- Tantalum scrap * *
	- Cobalt scrap * *
	- Bismuth scrap * *
	- Titanium scrap * *
	- Zirconium scrap * *
	- Manganese scrap * *
	- Germanium scrap * *
	- Vanadium scrap * *
	- Hafnium scrap * *
	- Indium scrap * *
	- Niobium scrap * *
	- Rhenium scrap * *
	- Gallium scrap * *
	- Magnesium scrap * *
	- Copper scrap * *
	- Chromium scrap * *
B1050	Mixed non-ferrous metal, heavy fraction scrap, containing metals other than specified in Part B1050 and not containing constituents mentioned in Schedule II in concentrations sufficient to exhibit Part C characteristics* *
B1100	Metal bearing wastes arising from melting, smelting and refining of metals:
	- Hard Zinc spelter * *
	- Zinc-containing drosses * *: ~ Galvanizing slab zinc top dross (>90% Zn) ~ Galvanizing slab zinc bottom dross (>92% Zn) ~ Zinc die casting dross (>85% Zn) ~ Hot dip galvanizers slab zinc dross (batch) (>92% Zn) ~ Zinc skimmings
	– Aluminium skimmings (or skims) excluding salt slag
B1110	Electrical and electronic assemblies (including printed circuit boards, electronic components and wires) destined for direct reuse and not for recycling or final disposal
	- Used electrical and electronic assemblies imported for repair and to be re-exported back after repair within one year of import * * *
	- Used electrical and electronic assemblies imported for rental purpose and re-exported back within one year of import * * *
	- Used electrical and electronic assemblies exported for repair and to be re-import after repair
	- Used electrical and electronic assemblies imported for testing, research and development, project work purposes and to be re-exported back within a period of three years from the date of import * * *

IndiaCode

	- Spares imported for warranty replacements provided equal number of defective or non-functional parts are exported back within one year of the import * * *
	- Used electrical and electronic assemblies imported by Ministry of Defence, Department of Space and Department of Atomic Energy * * *
	- Used electrical and electronic assemblies (not in bulk; quantity less than or equal to three) imported by the individuals for their personal uses
	- Used Laptop, Personal Computers, Mobile, Tablet up to 01 number each imported by organisations in a year
	- Used electrical and electronic assemblies owned by individuals and imported on transfer of residence
	- Used multifunction print and copying machines (MFDs)* * * *
	- Used electrical and electronic assemblies imported by airlines for aircraft maintenance and remaining either on board or under the custodianship of the respective airlines warehouses located on the airside of the custom bonded areas.
B3	**Wastes containing principally organic constituents, which may contain metals and inorganic materials**
B3020	Paper, paperboard and paper product wastes * * The following materials, provided they are not mixed with hazardous wastes: Waste and scrap of paper or paperboard of: - unbleached paper or paperboard or of corrugated paper or paperboard - other paper or paperboard, made mainly of bleached chemical pulp, not coloured in the mass - paper or paperboard made mainly of mechanical pulp (for example newspapers, journals and similar printed matter) - other, including but not limited to (1) laminated paperboard (2) unsorted scrap
B3140	Aircraft Tyres exported to Original Equipment Manufacturers for re-treading and re-imported after re-treading by airlines for aircraft maintenance and remaining either on board or under the custodianship of the respective airlines warehouses located on the airside of the custom bonded areas

IndiaCode

Note:

* This list is based on Annexure IX of the Basel Convention on Transboundary Movement of Hazardous Wastes and comprises of wastes not characterized as hazardous under Article-I of the Basel Convention.

* * Import permitted in the country to the actual user or to the trader on behalf of the actual users authorised by SPCB on one time basis and subject to verification of documents specified in Schedule VIII of these rules by the Custom Authority.

* * * Import permitted in the country only to the actual users from Original Equipment Manufacturers (OEM) and subject to verification of documents specified in Schedule VIII of these rules by the Custom Authority.

* * * * Import permitted in the country to the actual users or trader on behalf of the actual user in accordance with the documents required and verified by the Custom Authority as specified under Schedule VIII of these rules. The policy for free trade for multifunction print and copying machine to be reviewed once the MFDs are domestically manufactured.

All other wastes listed in Part D of Schedule III having no "Stars" are permitted without any documents from MoEF&CC subject to compliance of the conditions of the Customs Authority, if any.

SCHEDULE IV

[*See rules 6 (1) (ii) and 6 (2)*]

List of commonly recyclable hazardous wastes

S.No.	Wastes
(1)	(2)
1.	Brass Dross
2.	Copper Dross
3.	Copper Oxide mill scale
4.	Copper reverts, cake and residue
5.	Waste Copper and copper alloys in dispersible from
6.	Slags from copper processing for further processing or refining
7.	Insulated Copper Wire Scrap or copper with PVC sheathing including ISRI-code material namely "Druid"
8.	Jelly filled Copper cables
9.	Spent cleared metal catalyst containing copper
10.	Spent catalyst containing nickel, cadmium, Zinc, copper, arsenic, vanadium and cobalt
11.	Zinc Dross-Hot dip Galvanizers SLAB
12.	Zinc Dross-Bottom Dross
13.	Zinc ash/Skimmings arising from galvanizing and die casting operations
14.	Zinc ash/Skimming/other zinc bearing wastes arising from smelting and refining
15.	Zinc ash and residues including zinc alloy residues in dispersible from
16.	Spent cleared metal catalyst containing zinc
17.	Used Lead acid battery including grid plates and other lead scrap/ashes/residues not covered under Batteries (Management and Handling) Rules, 2001. [Battery scrap, namely: Lead battery plates covered by ISRI, Code word "Rails" Battery lugs covered by ISRI, Code word "Rakes". Scrap drained/dry while intact, lead batteries covered by ISRI, Code word "rains".
18.	Components of waste electrical and electronic assembles comprising accumulators and other batteries included in Part A of Schedule III, mercury-switches, activated glass cullets from cathode-ray tubes and other activated glass and PCB-capacitors, or any other component contaminated with Schedule II constituents (e.g. cadmium, mercury, lead, polychlorinated biphenyl) to an extent that they exhibit hazard characteristics indicated in part C of Schedule III.
19.	Paint and ink Sludge/residues
20.	Used oil and waste oil

SCHEDULE V

[See rules 3 (36) and 3 (39)]

PART A
Specifications of Used Oil Suitable for recycling

S.No.	Parameter	Maximum permissible Limits
(1)	(2)	(3)
1.	Polychlorinated biphenyls (PCBs)	< 2ppm *
2.	Lead	100 ppm
3.	Arsenic	5 ppm
4.	Cadmium+Chromium+Nickel	500 ppm
5.	Polyaromatic hydrocarbons (PAH)	6%

Part B
Specification of fuel derived from waste oil

S.No.	Parameter	Maximum permissible limits
(1)	(2)	(3)
1.	Sediment	0.25%
2.	Lead	100 ppm
3.	Arsenic	5 ppm
4.	Cadmium+Chromium+Nickel	500 ppm

5.	Polyaromatic hydrocarbons (PAH)	6%
6.	Total halogents	4000 ppm
7.	Polychlorinated biphenyls (PCBs)	<2 ppm *
8.	Sulfur	4.5%
9.	Water Content	1%

*The detection limit is 2 ppm by gas Liquid Chromatography (GLC) using Electron Capture detector (ECD)

SCHEDULE VI

[See rules 12 (6), 12 (7) and 14(1)]

Hazardous and Other wastes prohibited for import

Basel No.	Description of hazardous and other wastes
(1)	**(2)**
A1	**Metal and Metal bearing wastes**
A1010	Metal wastes and waste consisting of alloys of any of the following but excluding such wastes specifically listed in Part B and Part D of Schedule III
	- Arsenic
	- Beryllium
	- Mercury
	- Selenium
	- Thallium
A1020	Wastes having as constituents or contaminants, excluding metal wastes in massive form, any of the following:
	- Beryllium; beryllium compounds
	- Selenium; selenium compounds
A1030	Wastes having as constituents or contaminants any of the following:
	- Arsenic; arsenic compounds
	- Mercury; mercury compounds
	- Thallium; thallium compounds
A1040	Waste having hexavalent chromium compounds as constituents
A1140	Waste cupric chloride and copper cyanide catalysts in liquid form (note the related entry in Part A of Schedule III)
A1060	Wastes liquors from the pickling of metals
A1110	Spent electrolytic solutions from copper electrorefining and electrowinning operations
A1130	Spent etching solutions containing dissolved copper
A1180	Waste electrical and electronic assembles or scrap (does not include scrap assemblies from electric power generation) containing components such as accumulators and other batteries included in Part A of Schedule III, mercury-switches, glass from cathode-ray tubes and other activated glass and PCB-capacitors, or contaminated with Schedule II constituents (e.g. cadmium, mercury, lead, polychlorinated biphenyl) to an extent that they exhibit hazard characteristics indicated in Part C of Schedule III (note the related entry in Part B B1110)
A1190	Waste metal cables coated or insulated with plastics containing or contaminated with coal tar, PCB, lead, cadmium, other organohalogen compounds or other constituents as mentioned in Schedule II to the extent that they exhibit hazard characteristics indicated in Part C of Schedule III
A2	**Wastes containing principally inorganic constituents, which may contain metals and organic materials**
A2020	Waste inorganic fluorine compounds in the form of liquids or sludges but excluding such wastes specified in Part B
A2040	Waste gypsum arising from chemical industry processes, if it contains any of the constituents mentioned in Schedule 2 to the extent that they exhibit hazard characteristics indicated in Part C of Schedule III (note the related entry in Part B B2080)
A2050	Waste asbestos (dusts and fibres)
A2060	Coal-fired power plant fly-ash containing Schedule II constituents in concentrations sufficient to exhibit Part C characteristics

IndiaCode

A3	**Wastes containing principally organic constituents, which may contain metals and inorganic materials**
A3030	Wastes that contain, consist of or are contaminated with leaded anti-knock compounds sludges.
A3040	Waste thermal (heat transfer) fluids
A3060	Waste nitrocellulose
A3070	Waste phenols, phenol compounds including chlorophenol in the form of liquids or sludges
A3080	Waste ethers not including those specified in Part B
A3090	Waste leather dust, ash, sludges and flours when containing hexavalent chromium compounds or biocides (note the related entry in Part B B3100)
A3100	Waste paring and other waste of leather or of composition leather not suitable for the manufacture of leather articles, containing hexavalent chromium compound and biocides (note the related entry in Part B B3090)
A3110	Fellmongery wastes containing hexavalent chromium compounds or biocides or infectious substances (note the related entry in Part B B3110)
A3140	Waste non-halogenated organic solvents but excluding such wastes specified in Part B
A3150	Waste halogenated organic solvents
A3160	Waste halogenated or unhalogenated non-aqueous distillation residues arising from organic solvent recovery operations
A3170	Waste arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethane, dichloro-ethane, vinyl chloride, vinylidene chloride, allyl chloride and epichlorhydrin)
A3180	Wastes, substances and articles containing, consisting of or contaminated with polychlorinated biphenyl (PCB), polychlorinated terphenyl (PCT), polychlorinated naphthalene (PCN) or polybrominated biphenyl (PBB) or any other polybrominated analogues of these compounds
A3190	Waste tarry residues (excluding asphalt cements) arising from refining, distillation and any pyrolytic treatment of organic materials
A3200	Bituminous material (asphalt waste) from road construction and maintenance, containing tar (note the related entry in Part B, B2130)
A4	**Wastes which may contain either inorganic or organic constituents**
A4020	Clinical and related wastes; that is wastes arising from medical, nursing, dental, veterinary, or similar practices, and wastes generated in hospitals or other facilities during the investigation or treatment of patients, or research projects.
A4030	Waste from the production, formulation and use of biocide and phyto-pharmaceuticals, including waste pesticides and herbicides which are off-specification, out-dated (unused within the period recommended by the manufacturer), or unfit for their originally intended use,
A4050	Wastes that contain, consist of, or are contaminated with any of the following: - Inorganic cyanides, excepting precious-metal-bearing residues in solid form containing traces of inorganic cyanides. - Organic cyanides
A4060	Waste oils/water, hydrocarbons/water mixtures, emulsions
A4080	Wastes of an explosive nature (but excluding such wastes specified in Part B)
A4090	Waste acidic or basic solutions, other than those specified at B2120 of this Schedule
A4110	Wastes that contain, consist of or are contaminated with any of the following: - Any congenor of polychlorinated dibenzo-furan. - Any congenor of polychlorinated dibenzo-P-dioxin.
A4150	Waste chemical substances arising from research and development or teaching activities which are not identified and /or are new and whose effects on human health and /or the environment are not known
B1	**Metal and Metal bearing wastes**
B 1110	Used critical care medical equipment for re-use
B1115	Waste metal cables coated or insulated with plastics, not included in A1190 of this schedule, excluding those destined for operations which do not lead to resource recovery, recycling, reclamation, direct re-use or alternative uses or any other disposal operations involving, at any stage, uncontrolled thermal processes, such as open-burning.
B1250	Waste end-of-life motor vehicles, containing neither liquids nor other hazardous components
B2	**Wastes containing principally inorganic constituents, which may contain metals and organic materials**
B2050	Coal-fired power plant fly-ash, note the related entry at A2060 of this Schedule
B2110	Bauxite residue (red mud) (pH moderated to less than 11.5)
B2120	Waste acidic or basic solutions with a pH greater than 2 and less than 11.5, which are not corrosive or otherwise hazardous (note the related entry at A4090 of this schedule)
B3	**Wastes containing principally organic constituents, which may contain metals and inorganic**

	materials
B3010	Solid plastic waste The following plastic or mixed plastic waste, prepared to a specification: - Scrap plastic of non-halogenated polymers and co-polymers, including but not limited to the following: Ethylene, Styrene, Polypropylene, polyethylene terephthalate, Acrylonitrile, Butadiene, Polyacetals, Polyamides, polybutylene tere-phthalate, Polycarbonates, Polyethers, polyphenylene sulphides, acrylic polymers, alkanes C10-C13 (plasticiser), polyurethane (not containing CFC's), Polysiloxanes, polymethyl methacrylate, polyvinyl alcohol, polyvinyl butyral, Polyvinyl acetate - Cured waste resins or condensation products including the following: urea formaldehyde resins, phenol formaldehyde resins, melamine formaldehyde resins, epoxy resins, alkyd resins, polyamides - The following fluorinated polymer wastes (excluding post-consumer wastes): perfluoroethylene/ propylene, perfluoro alkoxy alkane, tetrafluoroethylene/per fluoro vinyl ether (PFA), tetrafluoroethylene/per fluoro methylvinyl ether (MFA), polyvinylfluoride , polyvinylidenefluoride
B3026	The following waste from the pre-treatment of composite packaging for liquids, not containing constituents mentioned in Schedule II in concentrations sufficient to exhibit Part C characteristics: - Non-separable plastic fraction - Non-separable plastic-aluminium fraction -
B3065	Waste edible fats and oils of animal or vegetable origin (e.g. frying oil)
B3140	Waste pneumatic tyres for direct reuse
Y 46	Wastes collected from household/municipal waste
Y 47	Residues arising from the incineration of household wastes

IndiaCode

SCHEDULE VII

[*See rules 13 (6) and 21*]

List of authorities and corresponding duties

S. No.	**Authority**	**Corresponding Duties**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	Ministry of Environment, Forests and Climate Change under the Environment (Protection)Act, 1986	(i) Identification of hazardous and other wastes (ii) Permission to exporters of hazardous and other wastes (iii) Permission to importer of hazardous and other wastes (iv) Permission for transit of hazardous and other wastes through India. (v) Promote environmentally sound management of hazardous and other waste. (vi) Sponsoring of training and awareness programme on Hazardous and Other Waste Management related activities.
2.	Central Pollution Control Board constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974	(i) Co-ordination of activities of State Pollution Control Boards (ii) Conduct training courses for authorities dealing with management of hazardous and other wastes (iii) Recommend standards and specifications for treatment and disposal of wastes and leachates, recommend procedures for characterisation of hazardous wastes.

		(iv) Inspection of facilities handling hazardous waste as and when necessary. (v) Sector specific documentation to identify waste for inclusion in these rules. (vi) Prepare and update guidelines to prevent or minimise the generation and handling of hazardous and other wastes. (vii) Prepare and update guidelines/ Standard Operating Procedures (SoPs) for recycling, utilization, pre-processing, co-processing of hazardous and other wastes. (viii) To prepare annual review report on management of hazardous waste. (ix) Any other function assigned by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, from time to time.
3.	State Government/Union Territory Government/Administration	(i) Identification of site (s) for common Hazardous and Other Waste Treatment Storage and Disposal Facility (TSDF) (ii) Asses Environment Impact Assessment (EIA) reports and convey the decision of approval of site or otherwise Acquire the site or inform operator of facility or occupier or association of occupiers to acquire the site (iii) Notification of sites. (iv) Publish periodically an inventory of all potential or existing disposal sites in the State or Union Territory
4.	State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974	(i) Inventorisation of hazardous and other wastes (ii) Grant and renewal of authorisation (iii) Monitoring of compliance of various provisions and conditions of permission including conditions of permission for issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change for exports and imports (iv) Examining the applications for imports submitted by the importers and forwarding the same to Ministry of Environment, Forest and Climate Change (v) Implementation of programmes to prevent or reduce or minimise the generation of hazardous and other wastes. (vi) Action against violations of these rules. (vii) Any other function under these Rules assigned by Ministry of Environment, Forest and Climate Change from time to time.
5.	Directorate General of Foreign Trade constituted under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992	(i) Grant of licence for import of hazardous and other wastes (ii) Refusal of licence for hazardous and other wastes prohibited for imports and export
6.	Port authority under Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) and Customs Authority under the Customs Act, 1962 (52 of 1962)	(i) Verify the documents (ii) Inform the Ministry of Environment, Forests and Climate Change of any illegal traffic (iii) Analyse wastes permitted for imports and exports, wherever required. (iv) Train officials on the provisions of these rules and in the analysis of hazardous and other wastes (v) Take action against exporter or importer for violations under the Indian Ports Act, 1908 or Customs Act, 1962

SCHEDULE VIII

[*See rules 13(2) and 13 (4)*]

List of documents for verification by Customs for import of other wastes specified in Part D of Schedule III

S. No.	Basel No.	Description of other wastes	List of Documents
(1)	(2)	(3)	(4)
1	B1010	Metal and metal-alloy wastes in metallic, non-dispersible form: - Precious metals (gold, silver, platinum) - Iron and steel scrap - Nickel scrap - Aluminium scrap - Zinc scrap - Tin scrap - Tungsten scrap - Molybdenum scrap - Tantalum scrap - Cobalt scrap - Bismuth scrap - Titanium scrap - Zirconium scrap - Manganese scrap - Germanium scrap - Vanadium scrap - Hafnium scrap - Indium scrap - Niobium scrap - Rhenium scrap - Gallium scrap - Magnesium scrap - Copper scrap - Chromium scrap	(a) Duly filled up Form 6 - Movement document; (b) The import license from Directorate General of Foreign Trade, wherever applicable; (c) Pre-shipment inspection certificate issued by the inspection agency of the exporting country or the inspection and certification agency approved by Directorate General of Foreign Trade; (d) The valid consents to operate under the Air and Water Acts and the authorisation under these rules, for actual users. For traders, only valid one time authorisation from concerned SPCB is required; (e) The chemical analysis report of the waste being imported; (f) an acknowledged copy of the annual return filed with concerned State Pollution Control Board for import in the last financial year.
2	B1050	Mixed non-ferrous metal, heavy fraction scrap, containing metals other than specified in Part B1050 and not containing constituents mentioned in Schedule II in concentrations sufficient to exhibit Part C characteristics* *	(a) Duly filled up Form 6 - Movement document; (b) The import license from Directorate General of Foreign Trade, wherever applicable; (c) Pre-shipment inspection certificate issued by the inspection agency of the exporting country or the inspection and certification agency approved by Directorate General of Foreign Trade; (d) The valid consents to operate under the Air and Water Acts and the authorisation under these rules, for actual users. For traders, only valid authorisation from concerned SPCB is required; (e) The chemical analysis report of the waste being imported; (f) An acknowledged copy of the annual return filed with concerned SPCB for import in the last financial year.
3	B1100	Metal bearing wastes arising from melting, smelting and refining of metals: - Hard Zinc spelter - Zinc-containing drosses: ~ Galvanizing slab zinc top dross (>90% Zn) ~ Galvanizing slab zinc bottom dross (>92% Zn) ~Zinc die casting dross (>85% Zn) ~ Hot dip galvanizers slab zinc dross (batch) (>92% Zn)	(a) Duly filled up Form 6 - Movement document; (b) The import license from Directorate General of Foreign Trade, wherever applicable; (c) Pre-shipment inspection certificate issued by the inspection agency of the exporting country or the inspection and certification agency approved by Directorate General of Foreign Trade; (d) The valid consents to operate under the Air and Water Acts and the authorisation under these rules, for actual users. For traders, only valid authorisation from concerned SPCB is

		~ Zinc skimmings – Aluminium skimmings (or skims) excluding salt slag	required; (e) The chemical analysis report of the waste being imported; (f) An acknowledged copy of the annual return filed with concerned SPCB for import in the last financial year.
4	B1110	Electrical and electronic assemblies (including printed circuit boards, electronic components and wires) destined for direct reuse and not for recycling or final disposal	
(a)		Used electrical and electronic assemblies imported for repair and to be re-exported after repair within one year of import	(a) Duly filled up Form 6 - Movement document; (b) Undertaking for re-export; (c) Details of previous import, if there has been any and confirmation regarding their re-export; (d) An acknowledged copy of the annual return filed with concerned SPCB for import in the last financial year (e) Certificate from exporting company for accepting the repaired and unrepairable electrical and electronic assemblies and the spares or part or component or consumables being re-exported.
(b)		Used electrical and electronic assemblies imported for rental purpose and re-exported back within one year of import	(a) Duly filled up Form 6 - Movement document; (b) Undertaking for re-export; (c) Details of previous import, if there has been any and confirmation regarding their re-export; (d) An acknowledged copy of the annual return filed with concerned SPCB for import in the last financial year
(c)		Used electrical and electronic assemblies exported for repair and to be re-imported after repair	(a) Duly filled up Form 6 - Movement document; (b) Proof of export of the defective electrical and electronic assemblies i.e. shipping or airway document authenticated by Customs
(d)		Used electrical and electronic assemblies imported for testing, research and development, project work purposes and to be re-exported back within a period of three years from the date of import	(a) Duly filled up Form 6 - Movement document; (b) Undertaking for re-export; (c) Details of previous import, if there has been any and confirmation regarding their re-export; (d) Chartered Engineer Certificate or certificate from accredited agency of exporting country indicating the functionality, manufacturing date, residual life and serial number; (e) an acknowledged copy of the annual return filed with concerned SPCB for import in the last financial year; (f) Certificate from exporting company for accepting the second hand functional or non-functional electrical and electronic assemblies and/or the spares or part or component or consumables being re-exported at the end of three years.
(e)		Spares imported for warranty replacements provided equal number of defective / non-functional parts are exported back within one year of the import.	(a) Duly filled up Form 6 - Movement document; (b) if refurbished components being imported as replacement to defective component then undertaking for export of equivalent numbers of defective components; (c) Details of previous import, if there has been any and confirmation regarding their re-export; (d) Certificate from exporting company for accepting the re-export of defective or non-functional spares or part or component or consumables being re-exported; (e) Documents on the declared policy regarding the use of second hand or refurbished spare

India Code

			parts for repair of electrical and electronic assemblies during warranty period.
(f)		Used electrical and electronic assemblies imported by Ministry of Defence, Department of Space and Department of Atomic Energy.	---
(g)		Used electrical and electronic assemblies (not in bulk; quantity less than or equal to three) imported by the individuals for their personal uses.	---
(h)		Used Laptop, Personal Computers, Mobile, Tablet up to 03 number each imported by organisations in a year.	---
(i)		Used electrical and electronic assemblies owned by individuals and imported on transfer of residence.	As per existing guidelines of Custom Authority
(j)		Used electrical and electronic assemblies, spares, imported by airlines for aircraft maintenance and remaining either on board or under the custodianship of the respective airlines warehouses located on the airside of the custom bonded areas.	----
(j)		Used multifunction print and copying machines (MFDs)*	(a) The country of Origin Certificate along with bill of lading and packaging; (b) The certificate issued by the inspection agency as certified by the exporting country or the inspection and certification agency approved by Directorate General Foreign Trade (DGFT) for functionality, having residual life of not less than five years and serial number; (c) Extended Producer Responsibility-Authorisation under e-waste (Management and Handling) Rules, 2011 as amended from time to time as Producer; (d) The MFDs shall be for printing A 3 size and above; (e) An acknowledged copy of the annual return filed with concerned SPCB for import in the last financial year.
5	B3020	Paper, paperboard and paper product wastes The following materials, provided they are not mixed with hazardous wastes: Waste and scrap of paper or paperboard of: - unbleached paper or paperboard or of corrugated paper or paperboard - other paper or paperboard, made mainly of bleached chemical pulp, not coloured in the mass - paper or paperboard made mainly of mechanical pulp (for example newspapers, journals and similar printed matter) - other, including but not limited to (1) laminated paperboard (2) unsorted scrap	(a) Duly filled up Form 6 – Movement document; (b) The import license from Directorate General of Foreign Trade, wherever applicable; (c) Pre-shipment inspection certificate issued by the inspection agency of the exporting country or the inspection and certification agency approved by Directorate General of Foreign Trade; (d) The valid consents to operate under the Air and Water Acts and the authorisation under these rules, for actual users. For traders, only valid authorisation from concerned SPCB is required; (e) The chemical analysis report of the waste being imported; (f) an acknowledged copy of the annual return filed with concerned State Pollution Control Board for import in the last financial year.

IndiaCode

6.	B3140	Aircraft Tyres exported to Original Equipment Manufacturers for re-treading and re-imported after re-treading by airlines for aircraft maintenance and remaining either on board or under the custodianship of the respective airlines warehouses located on the airside of the custom bonded areas	As per existing guidelines of Custom Authority

Note: * The policy for free trade for multifunction print and copying machine to be reviewed once the MFDs are domestically manufactured.

FORM 1

[See rule 6 (1)]

Application required for grant/renewal of authorisation for generation or collection or storage or transport or reception or recycling or reuse or recovery or pre-processing or co-processing or utilisation or treatment or disposal of hazardous and other waste

Part A: General (to be filled by all)

1. (a) Name and address of the unit and location of facility :
 (b) Name of the occupier of the facility or operator of disposal facility with designation, Tel, Fax and e-mail:
 (c) Authorisation required for (Please tick mark appropriate activity or activities:

(i) Generation ☐
(ii) Collection ☐
(iii) Storage ☐
(iv) Transportation ☐
(v) Reception ☐
(vi) Reuse ☐
(vii) Recycling ☐
(viii) Recovery ☐
(ix) Pre-processing ☐
(x) Co-processing ☐
(xi) Utilisation ☐
(xii) Treatment ☐
(xiii) Disposal ☐
(xiv) Incineration ☐

(d) In case of renewal of authorisation previous authorisation numbers and dates and provide copies of annual returns of last three years including the compliance reports with respect to the conditions of Prior Environmental Clearance, wherever applicable:

2. (a) Nature and quantity of waste handled per annum (in metric tonne or kilo litre)
 (b) Nature and quantity of waste stored at any time (in metric tonne or kilo litre)

3. (a) Year of commissioning and commencement of production:
 (b) Whether the industry works:

(i) 01 Shift ☐
(ii) 02 Shifts ☐
(iii) Round the clock ☐

IndiaCode

4. Provide copy of the Emergency Response Plan (ERP) which should address procedures for dealing with emergency situations (viz. Spillage or release or fire) as specified in the guidelines of Central Pollution Control Board. Such ERP shall comprise the following, but not limited to:

- Containing and controlling incidents so as to minimise the effects and to limit danger to the persons, environment and property;
- Implementing the measures necessary to protect persons and the environment;
- Description of the actions which should be taken to control the conditions at events and to limit their consequences, including a description of the safety equipment and resources available;
- Arrangements for training staff in the duties which they are expected to perform;
- Arrangements for informing concerned authorities and emergency services; and
- Arrangements for providing assistance with off-site mitigatory action.

5. Provide undertaking or declaration to comply with all provisions including the scope of submitting bank guarantee in the event of spillage, leakage or fire while handling the hazardous and other waste.

Part B: To be filled by hazardous waste generators

1. (a) Products and by-products manufactured (names and product wise quantity per annum):

(b) Process description including process flow sheet indicating inputs and outputs (raw materials, chemicals, products, by-products, wastes, emissions, waste water etc.) Please attach separate sheets:

(c) Characteristics (waste-wise) and Quantity of waste generation per annum:

(d) Mode of management of (c) above:

i. Capacity and mode of secured storage within the plant;
ii. Utilisation within the plant (provide details);
iii. If not utilised within the plant, please provide details of what is done with this waste;
iv. Arrangement for transportation to actual users/ TSDF;

(e) Details of the environmental safeguards and environmental facilities provided for safe handling of all the wastes at point (c) above;

2. Hazardous and other wastes generated as per these rules from storage of hazardous chemicals as defined under the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989

Part C: To be filled by Treatment, storage and disposal facility operators

1. Provide details of the facility including:

(i) Location of site with layout map;
(ii) Safe storage of the waste and storage capacity;
(iii) The treatment processes and their capacities;
(iv) Secured landfills;
(v) Incineration, if any;
(vi) Leachate collection and treatment system;
(vii) Fire fighting systems;
(viii) Environmental management plan including monitoring; and
(ix) Arrangement for transportation of waste from generators.

2. Provide details of any other activities undertaken at the Treatment, storage and disposal facility site.

3. Attach a copy of prior Environmental Clearance.

IndiaCode

Part D: To be filled by recyclers or pre-processors or co-processors or users of hazardous or other wastes

1. Nature and quantity of different wastes received per annum from domestic sources or imported or both:

2. Installed capacity as per registration issued by the District Industries Centre or any other authorised Government agency. Provide copy:

3. Provide details of secured storage of wastes including the storage capacity:

4. Process description including process flow sheet indicating equipment details, inputs and outputs (input wastes, chemicals, products, by-products, waste generated, emissions, waste water, etc.). Attach separate sheets:

5. Provide details of end users of products or by-products:

6. Provide details of pollution control systems such as Effluent Treatment Plant, scrubbers, etc. including mode of disposal of waste:

7. Provide details of occupational health and safety measures:

8. Has the facility been set up as per Central Pollution Control Board guidelines? If yes, provide a report on the compliance with the guidelines:

9. Arrangements for transportation of waste to the facility:

Signature of the Applicant
Designation

Date……..

Place…….

IndiaCode

FORM 2

[See rule 6(2)]

FORM FOR GRANT OR RENEWAL OF AUTHORISATION BY STATE POLLUTION CONTROL BOARD TO THE OCCUPIERS, RECYCLERS, REPROCESSORS, REUSERS, USER AND OPERATORS OF DISPOSAL FACILITIES

1. Number of authorisation and date of issue :
2. Reference of application (No. and date) :
3. ……of …….is hereby granted an authorisation based on the enclosed signed inspection report for generation, collection, reception, storage, transport, reuse, recycling, recovery, pre-processing, co-processing, utilisation, treatment, disposal or any other use of hazardous or other wastes or both on the premises situated at……...

Details of Authorisation

Sl. No.	Category of Hazardous Waste as per the Schedules I, II and III of these rules	Authorised mode of disposal or recycling or utilisation or co-processing, etc.	Quantity (ton/annum)

(1) The authorisation shall be valid for a period of ……

(2) The authorisation is subject to the following general and specific conditions (Please specify any conditions that need to be imposed over and above general conditions, if any):

A. General conditions of authorisation:

1. The authorised person shall comply with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, and the rules made there under.

2. The authorisation or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorised by the State Pollution Control Board.

3. The person authorised shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous and other wastes except what is permitted through this authorisation.

4. Any unauthorised change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorised shall constitute a breach of his authorisation.

5. The person authorised shall implement Emergency Response Procedure (ERP) for which this authorisation is being granted considering all site specific possible scenarios such as spillages, leakages, fire etc. and their possible impacts and also carry out mock drill in this regard at regular interval of time;

6. The person authorised shall comply with the provisions outlined in the Central Pollution Control Board guidelines on "Implementing Liabilities for Environmental Damages due to Handling and Disposal of Hazardous Waste and Penalty"

7. It is the duty of the authorised person to take prior permission of the State Pollution Control Board to close down the facility.

8. The imported hazardous and other wastes shall be fully insured for transit as well as for any accidental occurrence and its clean-up operation.

9. The record of consumption and fate of the imported hazardous and other wastes shall be maintained.

10. The hazardous and other waste which gets generated during recycling or reuse or recovery or pre-processing or utilisation of imported hazardous or other wastes shall be treated and disposed of as per specific conditions of authorisation.

11. The importer or exporter shall bear the cost of import or export and mitigation of damages if any.

12. An application for the renewal of an authorisation shall be made as laid down under these Rules.

13. Any other conditions for compliance as per the Guidelines issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or Central Pollution Control Board from time to time.

14. Annual return shall be filed by June 30th for the period ensuring 31st March of the year.

B. Specific conditions:

Date:

Signature of Issuing Authority
Designation and Seal

FORM 3

[See rules 6(5), 13(7), 14(6), 16(5) and 20 (1)]

FORMAT FOR MAINTAINING RECORDS OF HAZARDOUS AND OTHER WASTES

1. Name and address of the facility :
2. Date of issuance of authorisation and its reference number :
3. Description of hazardous and other wastes handled (Generated or Received)

Date	**Type of waste with category as per Schedules I, II and III of these rules**	**Total quantity (Metric Tonnes)**	**Method of Storage**	**Destined to or received from**

** Fill up above table separately for indigenous and imported waste.*

4. Date wise description of management of hazardous and other wastes including products sent and to whom in case of recyclers or pre-processor or utiliser:

5. Date of environmental monitoring (as per authorisation or guidelines of Central Pollution Control Board):

IndiaCode

Signature of occupier

Date……..

Place…….

FORM 4

[See rules 6(5), 13(8), 16(6) and 20 (2)]

FORM FOR FILING ANNUAL RETURNS

[To be submitted to State Pollution Control Board by 30th day of June of every year for the preceding period April to March]

1. Name and address of facility:

2. Authorisation No. and Date of issue:

3. Name of the authorised person and full address with telephone, fax number and e-mail:

4. Production during the year (product wise), wherever applicable

Part A. To be filled by hazardous waste generators

1. Total quantity of waste generated category wise

2. Quantity dispatched
 (i) to disposal facility
 (ii) to recycler or co-processors or pre-processor
 (iii) others

3. Quantity utilised in-house, if any -

4. Quantity in storage at the end of the year –

Part B. To be filled by Treatment, storage and disposal facility operators

1. Total quantity received -

2. Quantity in stock at the beginning of the year -

3. Quantity treated –

4. Quantity disposed in landfills as such and after treatment –

5. Quantity incinerated (if applicable) -

6. Quantity processed other than specified above -

7. Quantity in storage at the end of the year -

Part C. To be filled by recyclers or co-processors or other users

1. Quantity of waste received during the year –
 (i) domestic sources
 (ii) imported (if applicable)

2. Quantity in stock at the beginning of the year -

3. Quantity recycled or co-processed or used –

IndiaCode

4. Quantity of products dispatched (wherever applicable) –

5. Quantity of waste generated -

6. Quantity of waste disposed -

7. Quantity re-exported (wherever applicable)-

8. Quantity in storage at the end of the year -

Signature of the Occupier or
Operator of the disposal facility

Date……..

Place…….

FORM 5

[See rules 13 (1) and 14 (1)]

APPLICATION FOR IMPORT OR EXPORT OF HAZARDOUS AND OTHER WASTE FOR REUSE OR RECYCLING OR RECOVERY OR CO-PROCESSING OR UTILISATION

TO BE FILLED IN BY APPLICANT

IndiaCode

S. No.	Description	Details to be furnished by the importer or exporter
(1)	(2)	(3)
1.	Importer or Exporter (name and address) in India	
	Contact person	
	Tel, fax and e-mail	
	Facility location/address	
	Reason for import or export	
2.	Importer or exporter (name and address) outside of India	
3.	Details of waste to be imported or exported	
	(a) Quantity (b) Basel No. (c) Single/multiple movement (d) Chemical composition of waste (attach details), where applicable (e) Physical characteristics (f) Special handling requirements, if applicable	
4.	For Schedule III A hazardous waste whether Prior Informed Consent has been obtained	
5.	**For importer** (a) Process details along with environmental safeguard measures (attach separate sheet) (b) Capacity of recycling or co-processing or recovery or utilization **Enclose a copy each of valid authorisation and valid consent to operate from SPCB**	
6.	Details of import against the Ministry of Environment, Forest and Climate Change permission in the previous three years	
7.	Port of entry	

9. Undertaking :

I hereby solemnly undertake that:

(i) The information is complete and correct to the best of my knowledge and legally-enforceable written contractual obligations have been entered into and that my applicable insurance or other financial guarantees are or shall be in force covering the transboundary movement.

(ii) The waste permitted shall be fully insured for transit as well as for any accidental occurrence and its clean-up operation.

(iii) The record of consumption and fate of the imported waste shall be recorded and report sent to the SPCB every quarter.

(iv) The hazardous or other waste which gets generated in our premises by the use of imported hazardous or other wastes in the form of raw material shall be treated and disposed of as per conditions of authorisation.

(v) I agree to bear the cost of export and mitigation of damages if any.

(vi) I am aware that there are significant penalties for submitting a false certificate/ undertaking/ disobedience of the rules and lawful orders including the possibility of fine and imprisonment.

(vii) The exported wastes shall be taken back, if it is not acceptable to the importer.

Signature of the Applicant
Designation

Date……..
Place…….

IndiaCode

FORM – 6

[See rules 13(2), 13 (10) and 14 (5)]

TRANSBOUNDARY MOVEMENT- MOVEMENT DOCUMENT

S.No	Description		Details to be furnished by the exporter or importer
(1)	(2)		(3)
1	Exporter (Name and Address) Contact Person Tele, Fax and email	: : :	
2.	Generator(s) of the waste (Name and Address)[1] Contact Person Tele, Fax and email	: : :	
	Site of generation	:	
3.	Importer or Actual user (Name and Address) Contact person Tele, Fax and email	: : :	
4.	Trader (Name and Address) Contact person Tele, Fax and email	: : :	
	Details of actual user (Name, Address, Telephone and email)	:	
5.	Corresponding to applicant Ref. No., If any	:	
6.	Bill of lading (attach copy)	:	
7.	Country of import/export	:	
8.	General description of waste	:	
	(a) Quantity (b) Physical characteristics (c) Chemical composition of waste (attach details), where applicable (d) Basel No. (e) UN Shipping name (f) UN Class (g) UN No (h) H Number (i) Y Number (j) ITC (HS)		

	(k) Customs Code (H.S.) (l) Other (specify)		
9.	Type of packages	:	
	Number	:	
10.	Special handling requirements including emergency provision in case of accidents	:	
11.	Movement subject to single/multiple consignment		
	In case of multiple movement- (a) Expected dates of each shipment or expected frequency of the shipments (b) Estimated total quantity and quantities for each individual shipment	: :	
12.	Transporter of waste (Name and Address)[1] Contact Person Tele, Fax and email	:	
	Registration number	:	
	Means of transport (road, rail, inland waterway, sea, air)[2]	:	
	Date of Transfer	:	
	Signature of Carrier's representative	:	
13.	**Exporter's declaration for hazardous and other waste:**		
	I certify that the information in Sl. Nos. 1 to 12 above are complete and correct to my best knowledge. I also certify that legally-enforceable written contractual obligations have been entered into and are in force covering the transboundary movement regulations/rules. Date:..... Signature:..... Name:.....		
TO BE COMPLETED BY IMPORTER (ACTUAL USER OR TRADER)			
14.	Shipment received by importer/ actual user/trader[2] [3]		
	Quantity received.....Kg/litres Date: Name: Signature:		
15.	Methods of recovery		
	R code*		
	Technology employed (Attached details if necessary)		
16.	I certify that nothing other than declared goods covered as per these rules is intended to be imported in the above referred consignment and will be recycled /utilized. Signature: Date:		
17.	SPECIFIC CONDITIONS ON CONSENTING TO THE MOVEMENT if applicable.		(attach details)
Notes:-(1) Attach list, if more than one; (2) Select appropriate option; (3) Immediately contact competent authority in case of any emergency; (4) If more than one transporter carriers, attach information as required in SL. No. 12.			

IndiaCode

List of abbreviations used in the Movement Document

Recovery Operations (*)

R1 Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy.
R2 Solvent reclamation/regeneration.
R3 Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents.

R4 Recycling/reclamation of metals and metal compounds.
R5 Recycling/reclamation of other inorganic materials.
R6 Regeneration of acids or bases.
R7 Recovery of components used for pollution abatement.
R8 Recovery of components from catalysts.
R9 Used oil re-refining or other reuses of previously used oil.
R10 Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement
R11 Uses of residual materials obtained from any of the operations numbered R 1 to R 10

Date: **Signature:**

Place: **Designation:**

FORM 7

[See rule 13 (2) (c)]

APPLICATION FORM FOR ONE TIME AUTHORISATION OF TRADERS FOR PART- D OF SCHEDULE III, WASTE

[To be submitted by trader to the State Pollution Control Board]

1.	Name and address of trader with Telephone, Fax Number and e-mail	:	
2.	TIN/VAT Number/Import/ Export Code	:	
3.	Description and quantity of other waste to be imported	:	
4.	Details of storage, if any	:	
5.	Names and address of authorised actual user (s)	:	

Signature of the authorised person

Date:
Place:

FORM 8

[See rules 17 (1) and 18 (2)]

LABELLING OF CONTAINERS OF HAZARDOUS AND OTHER WASTE

Handle with care

Waste category and characteristics as per Part C of Schedules II and III of these rules …….	Incompatible wastes and substances …….
Total quantity …….	Date of storage
Physical State of the waste (Solid/Semi-solid/liquid):	
Sender's name and address	Receiver's name and address
Phone……	Phone……
E-mail……	E-mail……
Tel. and Fax No…….	Tel. and Fax No…….
Contact person……	Contact person……
In case of emergency please Contact ……	

Note:

1. *Background colour of labeI - fluorescent yellow.*
2. *The word, 'HAZARDOUS WASTES' and 'HANDLE WITH CARE' to be prominent and written in red, in Hindi, English and in vernacular language.*
3. *The word 'OTHER WASTES' to be written prominently in orange, in Hindi, English and in vernacular language.*

IndiaCode

4. Label should be of non-washable material and weather proof.

FORM 9

[See rule 18 (2)]

TRANSPORT EMERGENCY (TREM) CARD

[To be carried by the transporter during transportation of hazardous and other wastes, provided by the sender of waste]

1. Characteristics of hazardous and other wastes:

S. No.	Type of waste	Physical properties/	Chemical constituents	Exposure hazards	First Aid requirements

2. Procedure to be followed in case of fire :
3. Procedure to be followed in case of spillage/accident/explosion :
4. For expert services, please contact :
 (i) Name and Address
 (ii) Telephone No. :

(Name, contact number and signature of sender)

Date……..
Place…….

FORM 10

[See rule 19 (1)]

MANIFEST FOR HAZARDOUS AND OTHER WASTE

IndiaCode

1.	Sender's name and mailing address (including Phone No. and e-mail) :	
2.	Sender's authorisation No. :	
3.	Manifest Document No. :	
4.	Transporter's name and address: (including Phone No. and e-mail)	
5.	Type of vehicle :	(Truck/Tanker/Special Vehicle)
6.	Transporter's registration No. :	
7.	Vehicle registration No. :	
8.	Receiver's name and mailing address (including Phone No. and e-mail) :	
9.	Receiver's authorisation No. :	
10.	Waste description :	
11.	Total quantity : No. of Containers :	……..m^3 or MT ……..Nos.
12.	Physical form :	(Solid/Semi-Solid/Sludge/Oily/Tarry/Slurry/Liquid)
13.	Special handling instructions and additional information :	
14.	Sender's Certificate	I hereby declare that the contents of the consignment are fully and accurately described above by proper shipping name and are categorised, packed, marked, and labelled, and are in all respects in proper conditions for transport by road according to applicable national government regulations.
	Name and stamp: Signature: Month Day Year	
15.	Transporter acknowledgement of receipt of Wastes	
	Name and stamp: Signature: Month Day Year	
16.	Receiver's certification for receipt of hazardous and other waste	
	Name and stamp: Signature: Month Day Year	

FORM 11

[See rule 22]

FORMAT FOR REPORTING ACCIDENT

[To be submitted by the facility or sender or receiver or transporter to the State Pollution Control Board]

1.	The date and time of the accident	:
2.	Sequence of events leading to accident	:
3.	Details of hazardous and other wastes involved in accident	:
4.	The date for assessing the effects of the accident on health or the environment	:
5.	The emergency measures taken	:
6.	The steps taken to alleviate the effects of accidents	:
7.	The steps take to prevent the recurrence of such an accident	:

Date: **Signature:**

Place: **Designation:**

FORM 12

[See rule 24 (1)]

APPLICATION FOR FILING APPEAL
AGAINST THE ORDER PASSED BY STATE POLLUTION CONTROL BOARD

1.	Name and address of the person making the appeal	:
2.	Number, date of order and address of the authority which passed the order, against which appeal is being made	: (certified copy of the order be attached)
3.	Ground on which the appeal is being made	:
4.	Relief sought for	:
5.	List of enclosures other than the order referred in point 2 against which the appeal is being filed.	:

Signature…….

Name and address…….

Date:

----------x----------x----------

[23-16/2009- HSMD]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.